Par. S. 17. II. 3. 53
285

खंड २
संख्या ३

शनिवार
४ अप्रैल, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st
लोक सभा
तीसरा सत्र
शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग २५०१—२५३४]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग २५३४—२५५२]

(मूल्य ४ आने)

208 P.S.D..

लोक सभा

शनीवार, ४ अप्रेल, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विस्थापित व्यापारी तथा उद्योगपति (ऋण)

***११५१. श्री एस० सी० सामन्त :** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विस्थापित व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को ३१ दिसम्बर, १९५२ तक कितना ऋण दिया गया था ?

(ख) अब तक कितना वस्तुतः दिया गया है ?

(ग) कितनी राशि के कितने प्रार्थना पत्र अभी निपटाने शेष हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) पुनर्वास वित्त प्रशासन ने विस्थापित व्यक्तियों के लिये ३१ दिसम्बर, १९५२ तक ९.३० करोड़ रुपये के कुल ऋण स्वीकृत किये थे।

(ख) उक्त तिथि तक लगभग ५.२९ करोड़ रुपये की कुल राशि दी गई थी।

(ग) उक्त तिथि को ऋण के लिये २६,४७१ प्रार्थना पत्र विचाराधीन थे। इन विचाराधीन प्रार्थनापत्रों में कितना

ऋण मांगा गया था इस सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि प्रशासन इस सम्बन्ध म आंकड़े नहीं रखता।

श्री एस० सी० सामन्त : क्योंकि १९५१ में ऋणों के लिये प्रार्थना पत्र लेने का समय समाप्त हो गया है, मैं जान सकता हूं कि क्या पूर्वी पाकिस्तान से १९५२ में आने वाले विस्थापित व्यापारियों से नये सिरे से प्रार्थना पत्र लिये जायेंगे।

श्री ए० सी० गुहा : इस समय तो तिथि समाप्त हो चुकी है, किन्तु इस सुझाव पर बाद में विचार किया जा सकता है।

श्री एस० सी० सामन्त : उच्च शक्ति समिति की सिफारिशों के अनुसार संयुक्त स्कन्ध समवायों तथा सहकारी समितियों को कम से कम १ लाख रुपये दिये जाने थे। मैं जान सकता हूं कि कितनों को इस प्रकार की राशियां दी गई थीं ?

श्री ए० सी० गुहा : यह जानकारी प्रशासन के प्रतिवेदन से उपलब्ध हो सकती है जो कि पटल पर रख दिया गया है और सदन के पुस्तकालय में भी मिल सकता है। इस समय तो मुझे इस प्रश्न की पूर्वसूचना चाहिये।

श्री टी० के० चौधरी : मैं जान सकता हूं कि अब तक जो ऋण दिये गये हैं उन का राज्यवार अलग अलग हिसाब क्या है ?

श्री ए० सी० गुहा : इस के लिये भी मैं माननीय सदस्य से प्रशासन के प्रतिवेदन को देखने के लिये कहूंगा।

श्री वैलायुधन : बिना निर्णय के पड़े हुए प्रार्थना पत्रों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए मैं यह जान सकता हूं कि क्या कर्मचारियों या प्रशासन व्यवहस्था के अभाव के कारण ऐसा हुआ है ?

श्री ए० सी० गहा: नहीं, श्रीमान् । यह कर्मचारियों के अभाव के कारण नहीं हुआ है, किन्तु इस चीज़ के स्वरूप के कारण ही ऐसा हुआ है इस विषय के लिये कुछ अधिक समय की आवश्यकता होती है, और मैं यहां इतना और बतला दूं कि पहिले केवल ५०० प्रार्थना पत्र प्रतिमास निबटाये जाते थे और इस समय प्रतिमास २,००० प्रार्थना पत्र निबटाये जाते हैं। इस प्रकार हम ने संतोषजनक प्रगति की है और मैं समझता हूं कि इन प्रार्थना-पत्रों को शीघ्रातिशीघ्र निबटाने का हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि क्या पुनर्वास वित्त प्रशासन में सांख्यकीय विभाग है ताकि हम यह जान सकें कि कितने व्यक्तियों ने इन ऋणों के लिये प्रार्थना पत्र दिये थे ?

श्री ए० सी० गुहा: संख्या तो दी हुई है। प्रतिवेदन में कुल संख्या अर्थात् प्रार्थनापत्रों की कुल संख्या तथा उन में से जो निबटाये जा चुके हैं उन की संख्या मिल सकती है ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को यह विदित है कि प्रार्थना पत्र दो वर्ष से भी अधिक समय से लटके पड़े हैं और उन्हें अभी तक भी निबटाया नहीं गया है ?

श्री ए० सी० गुहा : इस समस्या के आन्तरिक स्वरूप तथा कठिनाई और कुछ अन्य कारणों से इस प्रकार के कुछ मामले हो सकते हैं। जैसा कि मैं पहिले ही बतला चुका हूं, इन्हें शीघ्रातिशीघ्र निबटाने का हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है और हम ने ५०० से २,००० प्रार्थनापत्रों को प्रतिमास निबटा कर सन्तोषजनक प्रगति की है ।

श्री गुरुपादस्वामी : मैं जान सकता हूं कि इन ऋणों पर किस दर से ब्याज लिया जाता है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि आगे से किस दर से ब्याज लिया जाये ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं समझता हूं कि यह अधिनियम में दिया हुआ है । यह छैः प्रति शत है और समय पर ब्याज देने से एक प्रति शत की छूट मिल जाती है : दूसरा प्रश्न तो कार्यार्थ एक सुझाव है ।

श्री के० के० बसु : क्या ऋण लेने वालों ने दी हुई सारी राशि एक बार ही निकलवा ली है या थोड़ी थोड़ी कर के निकलवाई है ?

श्री ए० सी० गुहा : यह भी प्रतिवेदन में मिल सकता है और मैं इतना और कह दूं कि कुछ मामलों में ऋण लेने वालों के लिये मंजूर ऋण से तुरन्त लाभ उठाना सम्भव नहीं होता है । मैं इस के कारण बतला सकता हूं । यह एक लम्बा सा वक्तव्य है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस की आवश्यकता नहीं । अगला प्रश्न ।

विस्थापित व्यक्तियों का त्रिपुरा में संस्थापन

*११५४. **श्री बी० के० दास :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिये कोई विशेष विकास सम्बन्धी योजना बनाई गई हैं ?

(ख) क्या १९५२में सामूहिक रूप से आने वाले पूर्वी बंगाल के कोई शरणार्थी त्रिपुरा में बसाये गये हैं; और

(ग) वहां कितने स्थायी मकान बनाये गये हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) त्रिपुरा में पुनर्वास की सामान्य योजनायें अपनाई गई हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) राज्य सरकार ने कोई मकान नहीं बनाये हैं, किन्तु विस्थापित व्यक्तियों को जो ऋण दिये गये थे उन से उन्हों ने २३,९०९ झौंपड़े बनाये हैं ।

श्री बी० के० दास : प्रश्न के भाग (ख) के सम्बन्ध में मैं यह जान सकता हूं कि १९५२ में सामूहिक रूप से आने वालों में से कितने बसाये जा चुके हैं ।

श्री ए० पी० जैन : १८९८ परिवार बसाये जा चुके हैं और ९०० और परिवारों को बसाया जा रहा है ।

श्री बी० के० दास : क्या यह उन व्यक्तियों की कुल संख्या है जिन्हें अब तक बसाया जा चुका है या यह उन लोगों की संख्या है जो १९५२ में आये हैं ?

श्री ए० पी० जैन : निस्सन्देह आप ने उन लोगों के सम्बन्ध में पूछा था जो १९५२ में आये हैं और मेरा उत्तर भी उन्हीं के सम्बन्ध में है ।

श्री बी० के० दास : अब तक पिछले शरणार्थियों और नये आने वालों की कुल संख्या कितनी है ?

श्री ए० पी० जैन : सामूहिक रूप से आने वालों की कुल संख्या १,६०,००० है । इन में से ७७,४६३ नवागन्तुक हैं ।

श्री टी० के० चौधरी : मैं यह जान सकता हूं कि क्या त्रिपुरा में धर्म नगर नाम की कोई बस्ती ह और क्या सरकार को इस बस्ती के प्रशासन तथा वहां की गृह-निर्माण योजनाओं के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

श्री ए० पी० जैन : धर्मनगर सदर बस्ती के नाम से एक बस्ती है, किन्तु इस के सम्बन्ध में हमें कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है ।

श्री शिवमूर्त्ति स्वामी : मैं जान सकता हूं कि विस्थापित व्यक्तियों को कितना ऋण दिया गया है और कुल झौंपड़ियों की लागत कितनी है ?

श्री ए० पी० जैन : मुझे खेद है कि मेरे पास अलग अलग आंकड़े नहीं हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : प्रश्न के भाग (ग) के सम्बन्ध में मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों के लिये कोई मकान बनाये हैं ? यदि नहीं, तो मैं जान सकता हूं कि कितने मकान राज्य की सहायता के बिना बनाये गये हैं ।

श्री ए० पी० जैन : मैंने २३,९०९ की संख्या बतलाई थी और ये मकान सरकार द्वारा दी गई राशियों में से व्यय कर के बनाये गये हैं । सरकार ने कुछ थोड़े से मकान बनाये हैं किन्तु इन मकानों के लिये सरकार स्थायी रूप से उत्तरदायी है ।

श्री बी० के० दास : क्या इस क्षेत्र को आगे और विकसित करने तथा इस में और शरणार्थी बसाने की कोई गुंजाइश है ? यदि हां, तो यहां कितने व्यक्ति बसाये जा सकते हैं और कुल कितनी भूमि उपलब्ध हो सकती है ।

श्री ए० पी० जैन : मैं यह नहीं समझा 'इस क्षेत्र' से क्या अभिप्राय है । मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री के० के० बसु : मैं यह जान सकता हूं कि क्या इस प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में जो संख्या बतलाई गई है वह उन लोगों की है जिन्हें कि सरकारी अभिकरणों द्वारा बसाया गया है अथवा उन की भी है जो निजी रूप से बसाये गये हैं ?

श्री ए० पी० जैन : : केवल उन की है जो सरकारी अभिकरण द्वारा बसाये गये हैं ।

हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में

***११५५. श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हाल में हुए भारतीय हिन्दी परिषद् के सम्मेलन में केन्द्रीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री द्वारा व्यक्त किये गये अभिमत पर और उस में पारित संकल्पों पर सरकार ने विचार किया है ;

(ख) यदि किया है, तो क्या संघ लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में होने वाली परीक्षाओं में सरकार ने हिन्दी को एक अनिवार्य विषय बना दिया है ; तथा

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर निषेधात्मक हो, तो यह कब सम्भव हो सकेगा ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) माननीय सूचना तथा प्रसारण मंत्री द्वारा उक्त सम्मेलन में व्यक्त किये गये विचारों के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है और न ही उस में पारित संकल्पों के विषय में कोई सूचना है, क्योंकि इन की कोई प्रति हमें प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा परिवीक्षाधीनों के लिये अन्तिम परीक्षा में हिन्दी एक अनिवार्य विषय किया हुआ है । संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली अन्य परीक्षाओं में इसे नहीं रखा गया है ।

(ग) इस अवस्था में इस प्रश्न के विषय में कोई निश्चय करना सम्भव नहीं है । किन्तु सरकार की यह नीति है कि हमें धीरे धीरे इस उद्देश्य की ओर बढ़ना चाहिये ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं पूछ सकता हूं कि आई० ए० एस० (भा० प्र० से०) और पुलिस सर्विस के अतिरिक्त दूसरी नौकरियों में जो लोग नियुक्त किये जाते हैं, उन परीक्षाओं के लिये क्या हिन्दी वैकल्पिक विषय भी नहीं है ?

श्री के० डी० मालवीय : नहीं, कुछ परीक्षायें ऐसी हैं जिन में अन्तर्विभागीय नियुक्तियों के लिये हिन्दी शिक्षाक्रम में है, लेकिन आम तौर पर जैसे कि तीसरे नम्बर की सेक्रेटेरियट सर्विसेज़ हैं, उन के लिये हिन्दी कम्पलसरी (अनिवार्य) नहीं है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस मन्द चाल से क्या गवर्नमेंट यह आशा करती है कि पन्द्रह वर्षों की अवधि में लोगों को अपने आप हिन्दी का ज्ञान हो जायगा ।

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, पर अगर हिन्दी को कम्पिटीटिव ऐग्जामिनेशन्स में आवश्यक विषय कर दिया जाये तो जितने कैन्डिडेट्स उन प्रदेशों से आते हैं जिन की मातृ भाषा हिन्दी नहीं है उन को कहने का मौक़ा मिल जायेगा कि उन के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है । इसलिये सरकार की नीति यह है कि तेजी से अहिन्दी प्रान्तों में हिन्दी शिक्षा का प्रचार किया जाये और जैसे ही हिन्दी का प्रचार हो जाये उस के साथ साथ हिन्दी को परीक्षाओं के लिये आवश्यक विषय कर दिया जाये ।

श्री पी० टी० चाको : क्या सरकार को विदित है कि लोक सेवा में भर्ती के लिये हिन्दी परीक्षाओं को आवश्यक बनाने का समय से पूर्व यह आग्रह जानबूझ कर अहिन्दी भाषियों को लोक सेवाओं से निकाल देने का प्रयत्न मात्र है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को किसी पर कोई आक्षेप नहीं करने चाहियें । उल्टे अर्थ निकालने से कोई लाभ नहीं । संशोधित प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है । क्या इस का देश के उन लोगों पर घातक प्रभाव पड़ेगा जो इन परीक्षाओं को देना चाहेंगे, किन्तु जिन की यह मातृ भाषा नहीं है ।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : इस का उत्तर माननीय मंत्री दें ।

श्री के० डी० मालवीय : मैं पहिले ही यह कह चुका हूं कि इस दिशा में समय से से पूर्व उठाया गया कोई पग उन लोगों के विरुद्ध अन्यायपूर्ण समझा जा सकता है जिन की मातृ भाषा हिन्दी नहीं है, किन्तु मैं श्री चाको के आक्षेप को स्वीकार नहीं करता ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि जो संघीय पदाधिकारी किसी स्थानीय भाषा की परीक्षा को पारित नहीं करेंगे उन्हें उस प्रदेश में नहीं लगाया जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम एक बात को छोड़ कर दूसरी को ले रहे हैं । माननीय सदस्यों को इस सदन में आश्वासन नहीं मांगने चाहियें ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सत्य है कि पुराने ज़माने की आई० सी० एस० (भा० लो० से०) परीक्षा में हिन्दी एक अनिवार्य विषय था ?

श्री के० डी० मालवीय : यह एक अनिवार्य विषय नहीं था, किन्तु हिन्दी का ज्ञान उतीर्ण होने के लिये एक विषय रखा हुआ था ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मेरे प्रश्न के उत्तर में जो जवाब मंत्री महोदय ने दिया है उस सम्बन्ध में क्या मैं पूछ सकता हूं कि अब तक जो काम किये गये हैं या किये जाने वाले हैं उनमें से कौन कौन से उपाय ऐसे हैं जिन से सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने का प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : सेन्ट्रल सर्विसेज़ के कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के उपाय बड़ी तीव्रता से किये जा रहे हैं और आशा है कि इतने वर्षों के अन्दर हजारों की संख्या में सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी सिखा दी जायेगी उन के लिये क्लासेज़ खोले गये हैं और आम तौर पर क्वालिफाइंग टेस्ट्स भी कहीं कहीं होते हैं जिन के जरिये इस बात की कोशिश की जाती है कि जो लोग नये भर्ती किये जायें उन में कम से कम इतनी योग्यता तो हो कि वे हिन्दी की मामूली बातों को समझ सकें ।

श्री सुरेश चन्द्र : क्या यह सत्य है कि केन्द्र तथा राज्यों के मंत्रियों ने हिन्दी को जारी करने के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न विचार प्रकट किये हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : इस विषय में हमारा एक ही मत है ।

श्री अच्युतन : क्या मैं यह समझूं कि भा० प्र० से० (आई० ए० एस०) और भा० पु० से० (आई० पी० एस०) की परीक्षाओं के लिये हिन्दी का प्रारम्भिक या अधिक ज्ञान आवश्यक है ?

श्री के० डी० मालवीय : पाठ्यक्रम में हिन्दी भी एक विषय है और उस में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उन्हें इस विषय की कुछ योग्यता हो जाये, अर्थात् उन्हें इतना ज्ञान प्राप्त हो जाये कि जिस से वे सरल और सीधी-सादी हिन्दी समझ सकें ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस तरह के कितने क्लासेज़ चल रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम एक विषय को छोड़ कर दूसरे विषय पर जा रहे हैं ।

सरदार ए० एस० सहगल : श्रीमान्, उन्हों ने इस का उत्तर दिया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : : यदि कोई मंत्री किसी माननीय सदस्य की सन्तुष्टि करना चाहे और यदि कुछ अधिक जानकारी देने से उस की सन्तुष्टि न हो, तो उसे मुख्य प्रश्न से हट कर और कोई प्रश्न पूछने का आधार नहीं बना लेना चाहिये ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : अनुपूरक प्रश्न केवल इसी उद्देश्य से पूछे जाते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : हाथ में छिपा कर मंत्रियों पर फेंक नहीं दिये जाते ।

श्री वी० पी० नायर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हिन्दी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में एक अनिवार्य विषय हो जायेगा और इस के फलस्वरूप होने वाले भेद भाव को ध्यान में रखते हुए मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही करेगी कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के परीक्षार्थियों के उत्तर-पत्र कुछ नर्मी से देखे जायें ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो कार्यार्थ एक सुझाव है ।

श्री के० डी० मालवीय : संयुक्त परीक्षाओं के लिये हिन्दी अनिवाय विषय नहीं है, अतः नर्मी का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : अंकों का अनुपात क्या है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने अगला प्रश्न ले लिया है ।

अफीम का चौर्यानयन

***११५६. डा० राम सुभग सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि हाल के मासों में अफीम का चौर्यानयन बहुत अधिक बढ़ गया है ;

(ख) सीमाशुल्क अधिकारियों ने १९५२-५३ के उत्तरार्द्ध में कुल कितनी अवैध अफीम पकड़ी; और

(ग) क्या फीम के चौर्यानयन को रोकने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) नहीं, श्रीमान् । यह सत्य नहीं है कि अफीम का चौर्यानयन बढ़ गया है, इस के विपरीत यह घट रहा है ।

(ख) सीमा शुल्क अधिकारियों ने जिन का केवल विदेशों में स्थित स्थानों से और उन को चोरी से लाने ले जाने से सम्बन्ध है, १९५२-५३ के उत्तरार्द्ध में, अर्थात्, अक्तूबर, १९५२ से आज तक ६ मन ७ सेर ३९ तोले अवैध अफीम पकड़ी है ।

(ग) अन्तर्राज्य चौर्यानयन को रोकना राज्य उत्पाद विभाग के अधिकारियों का काम है । पत्तनों पर स्थित सीमा शुल्क पदाधिकारी इस के अवैध निर्यातु को रोकने के लिये सदा सतर्क रहते हैं । चौर्यानयन को रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(१) अफीम के अन्तर्राष्ट्रीय चौर्यानयन के सम्बन्ध में स्वापक आयुक्त के कार्यालय के स्वापक गुप्त सूचना विभाग द्वारा उस के अपने अभिकर्त्ताओं से सूचना एकत्रित की जाती है और उस पर प्रभावपूर्ण कार्यवाही करने के लिय वह विभिन्न सीमा शुल्क समाहर्त्ताओं के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाती है ।

(२) इस प्रकार के चौर्यानयन के कार्यों के सम्बन्ध में भारतीय सीमाशुल्क अधिकारियों को विदेशों के इन्हीं पदाधिकारियों से परस्पर सीध सूचना के आदान प्रदान करने की आज्ञा है जिस से कि चौर्यानयन को रोकने के लिये तुरन्त उपाय किये जा सकें ।

(३) भयानक औषधों सम्बन्धी अपराधों को निपटाने के लिये सीमाशुल्क गृहों में विशेष गुप्त सूचना विभाग विद्यमान हैं ।

(४) चौर्यानयन के सभी प्रयत्नों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जाती है । अफीम के चौर्यानयन के विभिन्न प्रयत्नों के तरीकों का निरन्तर गहरा अध्ययन किया जा रहा है जिस से कि चौर्यानयन करने वालों की कार्यवाहियों का प्रतिकार किया जा सके । जो लोग ऐसी विश्वस्त सूचना देते हैं जिस

के परिणामस्वरूप अफीम पकड़ी जाये, उन्हें पुरस्कार दिये जाते हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं उन विदेशी गन्तव्य स्थानों को जान सकता हूं जिन का कि माननीय मंत्री ने निर्देश किया है ?

श्री ए० सी० गुहा : अफीम का चौर्यानयन भारत की अपेक्षा भारत से बाहर अधिक होता है । इस के स्रोत या गन्तव्य स्थान पड़ौसी देश जैसे कि ईरान, तुर्की और इस ओर बर्मा, हिन्द-चीनी और पाकिस्तान भी हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : इस चौर्यानयन के लिये कितने व्यक्ति पकड़े गये हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं पकड़े गये मामलों की संख्या बतला चुका हूं, व्यक्तियों की संख्या भी थोड़ी बहुत इतनी ही होगी ।

श्री कास्लीवाल : मैं जान सकता हूं कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी विशेषज्ञ अभिकरण ने अफीम की खेती को बिल्कुल निषिद्ध करार देने की सिफारिश की है ?

श्री ए० सी० गुहा : मझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या अफीम के चौर्यानयन को रोकने के लिये सीमाशुल्क अधिकारियों के अतिरिक्त और कोई अलग विभाग भी है ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरे विचार में है । सीमाशुल्क गुहों में विशेष गुप्त सूचना विभाग का मैं पहिले ही उल्लेख कर चका हूं ।

श्री टी० एन० सिंह : चौर्यानयन के आंकड़े केवल सामुद्रिक सीमा शुल्क के सम्बन्ध में हैं या नेपाल के सम्बन्ध में भी हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : अन्तर्राज्य चौर्यानयन इस में सम्मिलित नहीं हैं । ये केवल भारत से बाहर या अन्य देशों से भारत में किये जाने वाले चौर्यानयन के सम्बन्ध में हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : नेपाल भी तो एक अन्य देश है ।

श्री ए० सी० गुहा : अन्तर्देशीय चौर्यानयन इस में सम्मिलित है, किन्तु अन्तर्राज्य नहीं है ।

श्री पुन्नूस : यह कहा गया है कि कुछ पदाधिकारियों को इन के तरीकों का अध्ययन करने की सुविधा प्राप्त है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे पदाधिकारी बड़ी निपुणता से चौर्यानयन करते हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

केन्द्रीय औषधि अनुसन्धान शाला

*११५८. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय औषधि अनुसन्धानशाला, लखनऊ में इस के आरम्भ से अब तक कौन कौन सी महत्वपूर्ण औषधियों की खोज की गई है ?

(ख) उन में से किन किन की चिकित्सालयों में परीक्षा की जा चुकी है और उस का क्या परिणाम निकला है ?

(ग) उन में से कितनी सरकारी औषधालयों में उपचार के लिये प्रयोग में लाई जा रही हैं ?

(घ) क्या उन में से कोई उत्पादन के लिये पट्टे पर दी गई हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) से (घ) तक । अनुसन्धानशाला में कुष्ट निवारक कुछ नई औषधियों के संश्लेषण के सम्बन्ध में कार्य किया गया है और फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश की एक कुष्ट संस्था में दो संश्लिष्ट कुष्ट-निवारक औषधियों के चिकित्सा सम्बन्धी प्रयोगों की व्यवस्था की गई है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जान सकती हूं कि क्या यह बड़े परिमाण में तैयार की जाती है और इसे कौन तैयार करता है ?

श्री के० डी० मालवीय : अनुसन्धान शाला में इस संश्लिष्ट औषधि को मूल रूप में तैयार किया गया है । यह प्रचलित तिक्ती शुल्बा (अमीनो सल्फोन) का जो कि विदेशों से मंगवा कर प्रयोग की जाती है, संशोधित रूप है, किन्तु हमारी औषधि प्रयोगात्मक अवस्था में है । ज्योंहि परीक्षण और चिकित्सा सम्बन्धी प्रयोग पूरे हो जायेंगे, तब निश्चय ही इस के तैयार करने का प्रश्न उठेगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं जान सकती हूं कि क्या इस की चिकित्सालयों में परीक्षा की जा चुकी है और क्या सरकारी औषधालयों में भी इस का प्रयोग किया जा चुका है ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं पहिले ही बतला चुका हूं कि इस की फैज़ाबाद, उत्तर प्रदेश की कुष्ट संस्था में परीक्षा की जा रही है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह केन्द्रीय औषधि अनुसन्धानशाला किस संघटन के अधीन कार्य करती है ?

श्री के० डी० मालवीय : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के अधीन ।

श्री वैलायुधन : इस में कितने वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप विषय से बाहर जा रहे हैं .....

श्री वैलायुधन : इस में कितने वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं और उन्हों ने अब तक वहां कितनी औषधियों की परीक्षा की है ?

श्री के० डी० मालवीय : वे कई प्रकार का कार्य कर रहे हैं । इस समय वे जिन महत्वपूर्ण कार्यों में लगे हुए हैं उन में से एक भारतीय औषधियों तथा धात्वीय औषधों के सक्रिय सिद्धान्तों की परीक्षा भी है ।

डा० जयसूर्य : क्या यह संस्था हाफकिन संस्था द्वारा मलेरिया-निवारक औषधियों के सम्बन्ध में किये गये कार्य का पुनः अध्ययन कर रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं इस समय इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री के० के० बसु : मैं इस संस्था का कुल वार्षिक व्यय जान सकता हूं और क्या किसी विदेशी वैज्ञानिक का भी इस संस्था के साथ सम्बन्ध है ?

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक मुझे विदित है किसी विदेशी वैज्ञानिक का नहीं । वार्षिक व्यय के सम्बन्ध में मुझे पूर्वसूचना मिलनी चाहिये ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : जहां तक मंत्री महोदय के उत्तर से मैं समझ सकी हूं इस संस्था ने उत्पादन के लिये कोई औषधि नहीं दी है । क्या यही बात है, अथवा मुझे कोई गलतफहमी हुई है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह संस्था अभी प्रारम्भिक योजना की अवस्था में है । यद्यपि इस में बहुत काम किया गया है, किन्तु अभी जो काम किया गया है वह केवल औषधि विज्ञान के सक्रिय सिद्धान्तों की परीक्षा का ही है । सम्पूर्ण कार्य चार भागों में बांटा गया है और अभी अभी जो काम किया गया है उस में से अधिकांश का सम्बन्ध आधारभूत या मूल ज्ञान से है ।

श्री राघवय्या : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस औषधि का अच्छा परिणाम निकला है, मैं जान सकता हूं कि इस का बड़े परिमाण में उत्पादन करने के लिये तथा इसे जनता को उपलब्ध कराने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह बतलाया गया था कि वे अभी परीक्षा कर रहे हैं ।

डा० सुरेश चन्द्र : यह संस्था कब से कार्य कर रही है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह १७ फरवरी १९५१ को खोली गई थी ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या इस में अनुसन्धान का कार्य एक ऐसे व्यक्ति की देख रेख में होता है जिसे कि स्वयं अनुसन्धान के विषय में क्रियात्मक ज्ञान है ?

श्री के० डी० मालवीय : हां, श्रीमान् बिल्कुल ऐसी ही बात है ।

प्रतिरक्षा विज्ञान सम्बन्धी राष्ट्रमंडलीय मंत्रणादातृ समिति

***११६०. सरदार ए० एस० सहगल :** (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रतिरक्षा विज्ञान सम्बन्धी राष्ट्रमंडलीय मंत्रणादातृ समिति की बैठकों में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और सरकार को कितना व्यय करना पड़ा था ?

(ख) क्या इस के साथ ही राष्ट्रमंडलीय सेवा के मनोविज्ञान वेत्ताओं की भी बैठक हुई थी ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) नई दिल्ली में हाल में हुई प्रतिरक्षा विज्ञान सम्बन्धी राष्ट्रमंडलीय मंत्रणादातृ समिति की बैठकों में राष्ट्र मंडल के सात देशों के ४५ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था जिन में १६ प्रतिनिधि भारत के भी सम्मिलित थे ।

सरकार ने लगभग ७,००० रुपये व्यय किये थे ।

(ख) जी हां ।

सरदार ए० एस० सहगल : जो कामन्वैल्थ कमेटी मिली थी उन लोगों ने क्या क्या निश्चित किया है इस का कोई खाका आप बतला सकेंगे ?

श्री सतीश चन्द्र : बहुत सी वैज्ञानिक बातों के बारे में चर्चा हुई, लेकिन मेरे लिये यह कहना तो कठिन है कि क्या क्या चर्चा हुई ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या एटम बाम्ब के बारे में भी कोई चर्चा हुई थी ?

श्री सतीश चन्द्र : जी नहीं ।

श्री राघुवय्या : इस राष्ट्रमंडलीय प्रतिरक्षा सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा हुई थी ?

श्री सतीश चन्द्र : प्रतिरक्षा विज्ञान सम्बन्धी बहुत से प्राविधिक विषयों पर चर्चा हुई थी । मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के लिये उन्हें बताना या समझना बहुत कठिन है ।

श्री राघुवय्या : मैं जान सकता हूं कि क्या इस सम्मेलन में अहिंसा के तत्वज्ञान की भी चर्चा हुई थी ?

श्री सतीश चन्द्र : मैं प्रश्न को समझ नहीं सका ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें इस के लिये विदेशी विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं । अगला प्रश्न ।

श्री वी० पी० नायर : एक और प्रश्न, श्रीमान् ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न :

श्री के० के० बसु : मैं भी मनोविज्ञान वेत्ताओं के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछना चाहता था ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस दल के एक और माननीय सदस्य को यह अवसर मिल चुका है ।

श्री के० के० बसु : यह तो व्यक्तिगत अधिकार है, दल गत अधिकार नही है ।

युवक संघटनों की गणना

*११६१. **श्री मादिया गौडा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत में युवक संघटनों की कोई गणना की गई है ; और

(ख) युवकों के कल्याण में वृद्धि के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) एकत्रित सामग्री की परीक्षा के पश्चात् एक समायोजित नीति निर्धारित की जायेगी और वह कार्यक्रम क्रियान्वित किया जायेगा । हम इसी वर्ष कार्य आरम्भ करने का प्रयत्न करेंगे ।

श्री मादिया गौडा : मैं जान सकता हूं कि क्या इस संगठन के लिये कोई राशि अलग रखी गई है ?

श्री के० डी० मालवीय : जैसा कि मैं ने बतलाया सब की सहमति से जो कार्यक्रम तैयार किया जायेगा उसे क्रियान्वित करने का काम सारी सामग्री एकत्रित कर लेने के पश्चात् आरम्भ होगा ।

श्री मादिया गौडा: मैं जान सकता हूं कि क्या सारी सामग्री पूर्णतया एकत्रित हो जाने के पश्चात् परीक्षा किये जानें तथा उस विषय में मंत्रणा देने के लिये किसी समथ समिति के समक्ष रख दी जायगी ?

श्री के० डी० मालवीय : हां, श्रीमान् । गोष्ठी के प्रस्ताव के अनुसार एक परामर्शदाता सम्मेलन करने का विचार किया गया है जिस में सभी राज्य युवक संघटनों के प्रतिनिधियों तथा अन्य लोगों को भी बुलाया जायगा ।

श्री वेलायुधन : मैं जान सकता हूं कि क्या भारतीय युवक परिषद् को सरकार कोई अनुदान देती है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे इस के लिये पूर्वसूचना मिलनी चाहिये ।

श्री के० के० बसु : हम जान सकते हैं कि यह सामग्री किस प्रकार से एकत्रित की गई थी और यह सामग्री किन संघटनों के द्वारा एकत्रित की जाती है ?

श्री के० डी० मालवीय : एक प्रश्नावलि परिचालित की गई थी और २५ संघटनों ने इस प्रश्नावलि के उत्तर दिये थे ।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि इस युवक संघटन का किस लिये विचार किया जा रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में हुई गोष्ठी की कार्यवाही को देखने के लिये कहूंगा । इस के उद्देश्य उस में बड़े स्पष्ट रूप से दिये हुए हैं ।

श्री पुन्नूस : किसी प्रश्नावलि के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख किया गया था । मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह प्रश्नावलि देश के सभी युवक संघटनों को भेजी गई थी ?

श्री के० डी० मालवीय : जहां तक मैं जानता हूं, यह प्रश्नावलि सभी युवक संघटनों को भजी गई थी । मुझे यह नहीं मालूम कि यह राजनैतिक युवक संघटनों को भी भेजी गई थी या नहीं ।

श्री पुन्नूस : मैं जान सकता हूं कि क्या भविष्य में सभी युवक संघटनों को उन के दल और राजनैतिक स्वरूप पर ध्यान दिये बिना इस संघटन में भाग लेने के लिये सम्मिलित किया जायेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी प्रकार के भी राजनैतिक संघटन को इस का सदस्य बनाना नहीं है, किन्तु इस में यह भी सम्मिलित है कि अराजनैतिक कार्यों के लिये उन में से किसी की भी सहायता की जाये ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या वह प्रश्नावलि कम से कम संसद के युवक सदस्यों को तो दी गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन का कोई अलग संघटन नहीं है ।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या आय व्ययक में दी हुई २० लाख रुपये की राशि इसी संगटन के लिये है ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझ पूर्वसूचना चाहिये ।

विस्थापित व्यक्तियों के लिये नई नगरियों की योजना

*११६२. **सरदार ए० एस० सहगल :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों के लिये नई नगरियां बनाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कहां और कितनी बनाई जानी हैं;

(ग) प्रत्येक नगरी के निर्माण पर कितना धन व्यय किया जायेगा; और

(घ) ये सब नगरियां कब तक बन जायेंगी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : सारे भारत में बहुत बड़ी संख्या में जो सामूहिक रूप से निर्माण किया गया है उन से अपेक्षित जानकारी एकत्रित करने में जो श्रम और समय लगेगा वह फल के अनुरूप नहीं होगा। किन्तु, यदि माननीय सदस्य किसी एक विशेष स्थान या कुछ स्थानों के विषय में कुछ जानना चाहें तो उन्हें यह सूचना दे दी जायेगी ।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं जान सकता हूं कि मध्य प्रदेश में ऐसी कितनी नगरियां बनाई जायेंगी ?

श्री ए० पी० जैन : मुझे पूर्वसूचना चाहिये । यदि माननीय सदस्य अलग से एक प्रश्न पूछें, तो मैं उत्तर दे दूंगा ।

श्री एम० एल द्विवेदी : यह प्रश्न तो एक विशेष विषय के सम्बन्ध में है । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिये था ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न सारे भारत के सम्बन्ध में पूछा गया था । माननीय मंत्री ने कहा है कि इस में समय लगता है और यह फल के अनुरूप नहीं है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : तो प्रश्न को कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया जाता ।

श्री नाम धारी : मैं केवल यह सुझाव देना चाहता था कि माननीय मंत्री एक पुस्तिका छपवा कर माननीय सदस्य को दे दे ।

श्री रघुनाथ सिंह : और टाऊनशिप्स कहां बनेंगे ?

श्री ए० पी० जैन : कुछ नगरियां बन रही हैं । कुछ का निर्माण आरम्भ किया जायेगा । इस समय यह बतलाना असम्भव है कि वे कहां बनाई जायेगी ।

सरदार ए० एस० सहगल : जब यह सूचना एकत्रित हो जायेगी तब सरकार इसें कृपा कर के यथा समय सदन पटल पर रख देगी ?

श्री ए० पी० जैन : मेरे विभाग का वृतान्त प्रकाशित हो चुका है । उस में नगरियों का उल्लेख है । यदि किसी विशेष नगरी के सम्बन्ध में आगे और विस्तृत जानकारी की आवश्यकता हो, तो अलग से एक प्रश्न पूछ लिया जाये और मैं वह जानकारी दे दूंगा ।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या इन नगरियों में विस्थापित हरिजनों के लिये कोई विशेष व्यवस्था की गई है ?

श्री ए० पी० जैन : हरिजनों को इन नगरियों में लाभ उठाने का उतना ही अधिकार है जितना कि किसी और व्यक्ति को है ।

श्री गणपति राम : क्या मैं जान सकता हूं कि जितने टाऊन बनाये जा रहे हैं उन में यह गवर्नमेंट भी कुछ सहायता दे रही है ?

श्री ए० पी० जैन : वे तो सब के सब स्टेट गवर्नमेंट्स के ज़रिये बनाये जाते हैं । लेकिन पैसा तो हम देते हैं ।

डा० सुरेश चन्द्र : मैं जान सकता हूं कि क्या ये नई नगरियां उन पुरानी नगरियों के ही नमूने पर बनाई जाती हैं जो कि घाटे पर चल रही हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : सभी नगरियां घाटे पर चल रही हैं ।

डा० सुरेश चन्द्र : मेरा प्रश्न यह है : क्या यह नई नगरियां उन पुरानी नगरियों के ही नमूने पर बनाई जायेंगी जो कि पुनर्वास मंत्रालय ने बनवाई थीं ?

श्री ए० पी० जैन : मैं प्रश्न समझा नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : न ही मैं समझ सका हूं । अगला प्रश्न ।

हिन्दी के पारिभाषिक शब्द

*११६३. **श्री राम दास :** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या हाई स्कूल के स्तर तक प्रयोग के लिये वैज्ञानिक शब्दावलि बोर्ड की देख रेख में तैयार किये गये हिन्दी के पारिभाषिक शब्दों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कई राज्यों से अपने हाई स्कूलों में १९५४ से इन शब्दों को प्रचलित करने के लिये कहा है ?

(ग) क्या कुछ राज्यों को इन शब्दों को प्रचलित करने से मुक्त कर दिया गया है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) नहीं, श्रीमान् । हिन्दी में वनस्पति विज्ञान, भौतिकी, गणित शास्त्र, रसायन विज्ञान और समाज विज्ञानों के हाई स्कूल के स्तर तक के पारिभाषिक शब्द वैज्ञानिक शब्दावलि बोर्ड द्वारा हाल ही में प्रयोगात्मक रूप से स्वीकार किये गये हैं । इन सूचियों को छापने के पश्चात् बोर्ड द्वारा अन्तिम स्वीकृति के लिये अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व टिप्पणियों के लिये सब राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों इत्यादि में परिचालित किया जायेगा ।

(ख) तथा (ग) । प्रश्न नहीं उठते ।

श्री राम दास : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसी तिथि बतला सकती है जब तक कि इसे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : इस कार्य को शीघ्रता से पूरा करने का हर प्रयत्न किया जा रहा है ।

सेठ गोविन्द दास : अब तक इस मामले में जितनी तैयारी हो चुकी है उस पर कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री के० डी० मालवीय : रुपये के खर्च का अन्दाज़ तो मैं इस समय नहीं दे सकता ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि यह काम मध्य प्रदेश की सरकार और दूसरी सरकारों ने भी कुछ दूर तक किया था ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, कुछ स्टेट सरकारें इस सम्बन्ध में काम कर रही हैं ।

सेठ गोविन्द दास : तो क्या मैं यह मान लूं कि इस सम्बन्ध में दूसरी सरकारों ने और हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने और दूसरी संस्थाओं ने जो काम किया है उस को मद्देनज़र रखा जायेगा जब इस को एक मुस्तकिल रूप दिया जायेगा ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : जरूर मद्देनज़र रखा जायेगा। और उन से यह दरख्वास्त की गई है कि जितना भी काम वे कर चुकी हैं अगर इस सैंट्रल बोर्ड को वह भेज दें तो सैंट्रल बोर्ड को उस से मदद मिलेगी चुनांचे कुछ चीज़ें आ चुकी हैं जिन पर कि सैंट्रल बोर्ड ध्यान दे रहा है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय या अंग्रेजी नामों को हिन्दी (देवनागरी) अक्षरों में लिखने की कोई योजना है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह इस बोर्ड का काम नहीं है जिस के विषय में पूछे गये प्रश्न का मैं ने उत्तर दिया है।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं यह समझूं कि इस योजना के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत सभी शब्दों का हिन्दी में अनुवाद किया जायेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : इन सभी प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि जो अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने पूछा कि कोई इंटरनेशनल चीज़ इस तरह की है, तो ऐसी कोई चीज़ दुनियां में नहीं है और सब जगह भिन्न भिन्न भाषाओं में यह जो वैज्ञानिक शब्दावली है वह तैयार की जाती है। इसलिये, हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने इस सम्बन्ध में बहुत बड़ा काम किया है। और क्या माननीय मत्री जी हिन्दी साहित्य सम्मेलन के उस काम को भी मद्देनज़र रखेंगे ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, यह मैं ने अभी माननीय सदस्य से सुना।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने अभी यही जवाब दिया।

सामान्य चुनाव

* **११६६. श्री बी० एन० मिश्र** : (क) क्या **विधि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२ में हुए सामान्य चुनावों के सम्बन्ध में निर्वाचन न्यायाधिकरणों पर सरकार अब तक कितना व्यय कर चुकी है और जनवरी, १९५३ से न्यायाधिकरणों पर प्रति मास कितना आवर्तक व्यय हो रहा है ?

(ख) क्या न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन पड़े हुए मामलों को निबटाने के लिये कोई तिथि निश्चित की गई है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) एक विवरण, जिस में न्यायाधिकरणों के सम्बन्ध में १ मार्च १९५३ तक किया गया व्यय दिया हुआ है सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १४**] प्रति मास होने वाले आवर्त्तक व्यय के सम्बन्ध में सूचना अलग से एकत्रित करनी पड़ेगी और यदि आवयश्क हुआ तो यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जी नहीं।

श्री बी० एन० मिश्र : इन याचिकाओं का निर्णय करने के लिये भारत में कितने निर्वाचन न्यायाधिकरण हैं और कितने अब भी कार्य कर रहे हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : कुल ६३ न्यायाधिकरण बनाये गये हैं जिन में से ४५ पहिली मार्च को कार्य कर रहे थे।

श्री बी० एन० मिश्र : क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार भविष्य में उन उन राज्यों के उच्च न्यायालयों को निर्वाचन याचिकाओं पर अभियोग चलाने और उन की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार देने का विचार कर रही है ?

श्री अनिल के० चन्दा : इस समय यह सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री दाभी : क्या हम इस समय प्रत्येक राज्य में विचाराधीन निर्वाचन याचिकाओं की संख्या जान सकते हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : राज्यवार या कुल ? कुल मिला कर ३१४ निर्वाचन याचिकायें थीं, जिन में से १२२ के सम्बन्ध में निर्णय हो चुका है और १९२ अब भी न्यायाधिकरणों के समक्ष विचाराधीन पड़े हुए हैं ।

श्री के० के० बसु : इस चीज़ के महत्व को देखते हुए हम यह जान सकते हैं कि सरकार को इन मामलों के निर्णय में कितना समय लगने की आशा है ?

श्री अनिल के० चन्दा : पहिले से इस का अनुमान लगाना बहुत कठिन है कि ये सब कब समाप्त हो जायेंगे ।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार हमें यह बतला सकती है कि पेप्सू में सब से अधिक व्यय क्यों हुआ है, यद्यपि वहां न्यायाधिकरणों की संख्या कम है ?

श्री अनिल के० चन्दा : पेप्सू में न्यायाधिकरणों की संख्या कम है, किन्तु निबटाये गये मामलों की संख्या बहुत अधिक है ।

पंजाब में अर्ध-स्थायी भूमि-आवंटन

*११६७. **श्री राम दास :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पंजाब राज्य में किये गये अर्ध-स्थायी भमि-आवंटन को स्थायी कब किया जायेगा ; और

(ख) क्या कोई अन्तिम तिथि निश्चित की गई है, जिस के पश्चात् कि पंजाब राज्य में भूमि आवंटन का पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) यह प्रश्न केवल तभी उठ सकता है जब कि निर्वासितों के भूमि पर अधिकार स्वत्व और हित विधि द्वारा समाप्त कर दिये जायें।

(ख) अर्ध स्थायी भूमि आवंटन योजना के अधीन किया गया कोई भी आवंटन सदैन पटल पर रखे गये विवरण में बताई गई परिस्थितियों के अतिरिक्त अन्य किसी दशा में २२ जुलाई, १९५२ के पश्चात् न तो रद्द किया जा सकेगा और न ही बदला जा सकेगा । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १५]**

श्री गिडवानी : निर्वासितों के स्वत्वों तथा अधिकारों को कब तक समाप्त कर देने का विचार है ?

श्री ए० पी० जैन : यह विषय सरकार के विचाराधीन है ।

श्री नानादास : मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह भूमि सरकार की है अथवा निजी स्वामियों से अवाप्त है ?

श्री ए० पी० जैन यह भूमि उन व्यक्तियों की है जो पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गये हैं और निर्वासित बन गये हैं ।

नगरों का पुनर्वर्गीकरण

*११६८. **श्री विट्ठल राव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिये जाने वाले प्रतिकर सम्बन्धी भत्ते के लिये जनसंख्या के अनुसार नगरों के पुनर्वर्गीकरण के सम्बन्ध में कोई निश्चय किया गया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : हां, श्रीमान्, आवश्यक आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री विट्ठल राव : मैं यह जान सकता हूं कि क्या कर्मचारियों को १ अप्रैल, १९५१ से जिस दिन कि जनगणना पूरी हुई थी पश्चाद्भामी प्रभाव से भत्ता दिया जायेगा ?

श्री एम० सी० शाह : नहीं, श्रीमान् । ये आदेश १ अक्तूबर, १९५२ से लागू होंगे ।

श्री पुन्नूस : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह विदित है कि रेल मंत्री जी ने कर्मचारियों को इस प्रकार का आश्वासन दिया हुआ है ?

श्री एम० सी० शाह : मुझे विदित नहीं है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये पूना का पुनर्वर्गीकरण कर दिया गया है ?

श्री एम० सी० शाह : हां, श्रीमान् ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या उन्हें १ अप्रैल, १९५३ से इस का लाभ प्राप्त होगा ?

श्री एम० सी० शाह : जी नहीं । उन्हें १ अक्तूबर, १९५२ से इसका लाभ प्राप्त होगा ।

श्री विट्ठल राव : मैं यह जान सकता हूं कि इस तिथि को बदल कर १ अक्तूबर, १९५२ से भत्ता देने का क्या कारण है, जब कि जनगणना अप्रैल, १९५१ में पूरी हुई थी ?

श्री एम० सी० शाह : इस विषय पर विचार किया गया था, और १६ मार्च, १९५३ को आदेश दे दिये गये थे तथा ये आदेश १ अक्तूबर, १९५२ से लागू होंगे । जनसंख्या के अस्थायी आंकड़े विभाग के समक्ष प्रस्तुत हुए थे और तुरन्त इस विषय पर विचार किया गया था, इस के पश्चात्, अन्तिम आंकड़े प्राप्त हुए और सरकार ने आदेश दे दिये हैं ।

श्री विट्ठल राव : जनगणना के आंकड़े तो १९५२ में प्रकाशित हो गये थे !

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तर्क कर रहे हैं जिस की यहां आज्ञा नहीं है ।

राष्ट्रीय बचत योजना

*११५७. **श्री जसानी** : (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बचत योजना के लिये खोला गया विभाग स्थायी है या अस्थायी ?

(ख) इस विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को जो काम सौंपा गया है उस के प्रचार के लिये उन्हें क्या सुविधायें दी गई हैं ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) यह संघटन अस्थायी है ।

(ख) घूम फिर कर काम करने वाले कर्मचारियों को जनता में बांटने के लिये प्रचार का साहित्य दिया जाता है । ये कर्मचारी जो सभायें करते हैं और जिन में भाषण देते ह उन में प्रयोग के लिये ग्रामोफोन और रिका दिये जाते हैं । प्रचार की गाड़ियां भी रखी जाती हैं ।

श्री के० जी० देशमुख : मैं जान सकता हूं कि क्या इस संघटन को स्थायी कर दिया जायेगा अथवा यह पूर्वत् अस्थायी ही रहेगा ?

श्री बी० आर० भगत : इस संघटन को स्थायी बनाने के प्रश्न पर समय समय पर विचार किया जाता है । किन्तु, इस विषय में अन्तिम निश्चय राज्य सरकारों की अन्तिम प्रतिक्रिया और केन्द्र तथा राज्यों की थोड़ी बचत की नवीनतम योजनाओं के परिणामों के पता लगाने और उन का मूल्यांकन किये जाने तक स्थगित कर दिया गया है ।

श्री दामोदर मेनन : मैं जान सकता हूं कि क्या गैर सरकारी संघटन इस योजना में सहायता दे रहे हैं ?

श्री बी० आर० भगत : श्रीमान्, मुझे पक्का पता नहीं है ।

श्री बी० एन० मिश्र : क्या मंत्री जी सदन को यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष कुल कितनी राशि एकत्रित हुई है ?

श्री बी० आर० भगत : १९५२-५३ में संशोधित प्राक्कलन ४४ करोड़ रुपये का है ।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं जान सकता हूं कि सरकार के इस राष्ट्रीय बचत के आन्दोलन में कितनी महिला संस्थायें सहयोग दे रही हैं ?

श्री बी० आर० भगत : उन्हों ने एक राष्ट्रीय बचत सप्ताह का आयोजन किया है--सभी राज्यों में ऐसा किया गया है । किन्तु मैं उन की संख्या नहीं बतला सकता ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : इस योजना की वार्षिक लागत क्या है और वर्ष भर में एकत्रित राशि से इस का क्या अनुपात है ?

श्री बी० आर० भगत : वर्ष १९५२-५३ में यह मुश्किल से १ प्रतिशत पड़ती है । ४४ करोड़ रुपये की अनुमानित प्राप्ति की तुलना में ३७ लाख रुपये का अनुमानित व्यय होने की सम्भावना है ।

श्री दाभी : क्या हम राज्यवार प्रति वर्ष एकत्रित की गई राशियों को जान सकते हैं ?

श्री बी० आर० भगत : मे रे पास इस का विस्तृत ब्यौरा नहीं है ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं इस विभाग के अध्यक्ष का वेतन और भत्ते जान सकता हूं ?

श्री बी० आर० भगत : इन विस्तृत बातों के लिये मुझे पूर्व सूचना मिलनी चाहिये ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि लगभग एक वर्ष पूर्व सरकारी दल के एक संसद सदस्य ने इस विभाग के कार्य के विरुद्ध एक शिकायत भेजी थी और मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या विशेष शाखा द्वारा एक गुप्त जांच का आदेश दिया गया था या नहीं ?

श्री बी० आर० भगत : मुझे इस शिकायत का ज्ञान नहीं है : मुझे यह सूचना माननीय सदस्य से प्राप्त हुई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, संख्या ११६४ ।

श्री विट्ठल राव : श्रीमान्, क्या मैं इस प्रश्न को पूछ सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां ।

श्री विट्ठल राव : संख्या ११६४ ।

हैदराबाद का मन्त्रणादाता

*११६४. **श्री विट्ठल राव** : क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हैदराबाद राज्य के वर्तमान मंत्रणादाता का कार्यकाल आगे और बढ़ाया जायेगा जिस के सेवा काल की बढ़ी हुई अवधि मार्च १९५३ के अन्त में समाप्त हो रही है; और

(ख) क्या हैदराबाद राज्य के मुख्य मंत्री के विचार के अनुसार हैदराबाद राज्य में अब से राज्य के मंत्रणादाता के पद को हटा दिया जायेगा अथवा क्या इसे वर्तमान मन्त्रणादाता की निवृत्ति के पश्चात् भी जारी रखा जायेगा ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख) । श्री वैल्लोडी ने ३० मार्च १९५३ से राज्य मंत्रणादाता के पद का कार्यभार त्याग दिया है । हैदराबाद में राज्य मंत्रणादाता के पद को जारी रखा जाये या कुछ समय के लिये खटाई में डाल दिया जाय यह प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री विट्ठल राव : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह बात विदित है कि हैदराबाद राज्य की जनता राज्य मन्त्रणा-दाता की नियुक्ति के विरुद्ध है ?

श्री दातार : सरकार को विदित है कि जनता का केवल एक भाग इस के विरुद्ध है ।

श्री कास्लीवाल : मैं जान सकता हूं कि क्या राज्य मंत्रालय की यह निश्चित नीति है कि राज्य मंत्रणादाताओं के पद को समाप्त कर दिया जाये ?

श्री दातार : यह नीति भी अभी निश्चित की जानी है ।

श्री कास्लीवाल : मैं जान सकता हूं कि क्या इस समय केवल राजस्थान राज्य में ही राज्य मंत्रणादाता कार्य कर रहा है ?

श्री दातार : ऐसा हो सकता है ।

श्री हेडा : मैं जान सकता हूं कि क्या हैदराबाद सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को अपने विचार बतला दिये हैं ?

श्री दातार : मुझे विदित नहीं है ।

श्री पुन्नूस : मैं यह जान सकता हूं कि इस मंत्रणादाता को लग भग किस तिथि को वापिस बुलाया जायेगा ?

श्री दातार : यह मन्त्रणा दाता पहिले ही हैदराबाद से जा चुका है । जैसा कि मैं पहिले ही बतला चुका हूं, श्री वैल्लोडी ने ३० मार्च १९५३ को राज्य मंत्रणादाता के पद का कार्यभार त्याग दिया है ।

डा० जयसूर्य : माननीय मंत्री ने कहा था कि जनता का एक भाग यह चाहता था कि मंत्रणादाता को हैदराबाद से वापिस बुला लिया जाय । क्या उन्हें यह विदित है कि स्वयं हैदराबाद की सरकार यह चाहती थी कि उसे वापिस बुला लिया जाय ?

श्री दातार : इस समय मेरे पास इस विषय में कोई सूचना नहीं है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां स्टेट कौंसिलर को फिर से नियुक्त करने पर कोई भी प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा ?

श्री दातार : मुझे इस प्रश्न की पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री विट्ठल राव : वे विशेष कारण क्या हैं जिन के कारण कि सरकार ने हैदराबाद के दो मन्त्रणादाता, एक राज्य मन्त्रणादाता और दूसरा वित्तीय मंत्रणादाता, नियुक्त किये थे ?

श्री दातार : विशेष कारण हैदराबाद सरकार की इच्छा ही थी ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या इस मंत्रणादाता का व्यय राज्य मंत्रालय देता है या केन्द्रीय सरकार देती है ?

श्री दातार : मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : सब प्रश्न समाप्त हो गये हैं। भविष्य में मैं कुछ और प्रश्न रखने का प्रयत्न करूंगा । कभी कभी ऐसा होता है कि हम सभी प्रश्नों को समाप्त कर लेते हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अरब की सराय

*११५२. **सरदार हुक्म सिंह :**
श्री अजित सिंह :

क्या **पुनर्वास मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या "अरब की सराय" दिल्ली के प्रशिक्षण व कार्य केन्द्र म इन दिनों सब मशीनें चलाई जा रही हैं ?

(ख) क्या कोई जापानी विशेषज्ञ अब भी वहां प्रशिक्षण देते हैं; और

(ग) इस केन्द्र में ३१ दिसम्बर, १९५२ तक कितने कामकरों को प्रशिक्षित किया गया और उन के प्रशिक्षण के पूरा होने

के पश्चात् कितने प्रशिक्षितों को इसी केन्द्र में काम पर लगा लिया गया ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) (१) ३१ दिसम्बर, १९५२ तक ६९६ ।

(२) प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के पूरा हो जाने के पश्चात् इसी केन्द्र में काम पर लगाये गये प्रशिक्षितों की संख्या . . . . .५ ।

विस्थापित व्यक्तियों का स्नातकोत्तर अध्ययन

*११५३. **सरदार हुक्म सिंह :**
श्री अजित सिंह :

(क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने पश्चिमी पाकिस्तान के किसी विस्थापित व्यक्ति का स्नातकोत्तर अध्ययन के लिये सहायता दी है ?

(ख) कितने विस्थापित व्यक्तियों को कालेजों में साधारण विषयों, विज्ञान तथा औद्योगिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्राप्त करने के लि छात्रवृतियों से सहायता दी गई थी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) यह जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा में केन्द्रीय उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों की सम्पत्ति का मूल्य

*११५९. **श्री संगण्णा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उड़ीसा में केन्द्रीय उत्पाद विभाग के प्रत्येक वर्ग के पदाधिकारियों की चल तथा अचल दोनों प्रकार की सम्पत्तियों का प्रकार तथा मूल्य उन के सरकारी नौकरी में आने से पहिले और पश्चात् वर्ष में एक बार सरकार को बतला दिया जाता है ; और

(ख) क्या इस प्रकार की घोषणा के पश्चात् इन में से कोई पदाधिकारी ऐसा पाया गया है जिस ने कि सरकारी नौकरों के आचार के नियमों में प्रख्यापित तत्सम्बन्धी उपबन्धों का उल्लंघन किया हो ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) जी नहीं, नियम में केवल अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ही इस प्रकार की घोषणा की व्यवस्था है ।

(ख) जी नहीं ।

जूम की खेती

८७२. **श्री दशरथ देव :** क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) त्रिपुरा में जूमियों की संख्या कितनी है जो कि अपने जीवन निर्वाह के लिय पूर्णतया जूम की खेती पर निर्भर हैं;

(ख) क्या कृषि विभाग ने कोई ऐसे पर्चे निकाले हैं जिन में लोगों से जूम की खेती को छोड़ देने के लिये कहा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन जूमियों के जीवन निर्वाह के लिये क्या व्यवस्था की है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) लगभग २०,००० ।

(ख) जी हां, बंगला और त्रिपुरा की भाषा दोनों में ।

(ग) सरकार जूमियों को हल की खेती पर बसाने का प्रयत्न कर रही है उन्हें १९५२-५३ में भिक्षा तथा ऋण देने में २०,००० रुपये व्यय किये गये थे । १९५३-५४ के लिये भी ३०,००० रुपये का प्रावधान किया गया है ।

खास भूमि का पट्टे पर दिया जाना

८७३. **श्री दशरथ देव :** (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या त्रिपुरा सरकार काश्तकारों से, उन की खास भूमि का बन्दोबस्त देते समय, पैसे लेती है ?

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की "सलामी" की दर क्या है ?

(ग) यह "सलामी" सरकार किस काश्तकारी विधान के अनुसार लेती है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां ।

(ख) भूमि की उत्तमता के अनुसार २ रुपये से ५० रुपये तक ।

(ग) त्रिपुरा के लिये काश्ताकारी विधान का प्रश्न विचाराधीन है । इस बीच यह संग्रह भूतपूर्व राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाता है ।

त्रिपुरा में सरकारी विज्ञापन

८७४. **श्री दशरथ देव :** (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा सरकार किस सिद्धान्त के आधार पर स्थानीय समाचारपत्रों को सरकारी विज्ञापन देती है ?

(ख) साधारणतया किन किन स्थानीय समाचारपत्रों को सरकारी विज्ञापन दिये जाते हैं ?

(ग) गत छः मासों में "जन कल्याण", "छिओहा" तथा "त्रिपुरार काथोर" नामक पत्रों को कुल कितने सरकारी विज्ञापन दिये गये ?

(घ) क्या किसी स्थानीय पत्र को कोई आर्थिक सहायता मिली थी ?

(ङ) यदि हां, तो उन के नाम क्या हैं और कुल कितने रुपये की आर्थिक सहायता दी गई थी ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): सरकारी विज्ञापन चुने हुए स्थानीय समाचार पत्रों को दिये जाते हैं । यह चुनाव पत्र की स्थिति, उस की बिक्री की मात्रा तथा अन्य सम्बद्ध बातों के आधार पर किया जाता है

(ख) 'गणराज'
'जनकल्याण'
'आमादेर कथा'

(ग)

पत्र	दिये गये विज्ञापनों की संख्या
जनकल्याण	२२
छिओहा	शून्य
त्रिपुरार काथोर	शून्य

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान के किले

८७५. **श्री बलवन्त सिंह मेहता :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान के किलों की संख्या और इन में से कितने रक्षा विभाग के प्रत्यक्ष अधीक्षण में हैं; तथा

(ख) रक्षा विभाग के प्रत्यक्ष अधीक्षण में रहने वाले किलों का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है और उन पर क्या वार्षिक व्यय किया जा रहा है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) तथा (ख) । राजस्थान राज्य में ग्यारह किले हैं जो कि राष्ट्रीय महत्व के हैं और जिन्हें कि भारत सरकार ने संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया है ।

उदयपुर का इन्द्रगढ़ नामक केवल एक किला जिस में कि पहिले राज्य की भूतपूर्व सेना रहती थी, अब रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में है । यह राजस्थान सरकार को उस के पुलिस विभाग के उपयोग के लिये दे दिया गया है । अभी तक रक्षा मंत्रालय ने इस के संधारण पर कोई व्यय नहीं किया है ।

भारतीय सेना के पदाधिकारियों की सेवा-मुक्ति

८७६. **श्री लक्ष्मण सिंह चरक** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि तीय विश्व युद्ध के पश्चात् भारतीय सेना के भारतीय उद्भव के कितने पदाधिकारियों को सेवामुक्त किया गया और उन की आयु श्रेणी क्या थी ?

(ख) इन में से कितनों को भारत सरकार तथा राज्यों के असैनिक विभागों में काम पर लगा दिया गया था ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) १५ अगस्त १९४७ से ३१ जनवरी १९५३ तक १५०७ भारतीय पदाधिकारियों को सेवामुक्त किये गये थे (१५ अगस्त १९४७ से पहिले के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं) ।

१ अप्रैल १९५० से पूर्व सेवामुक्त किये गये पदाधिकारियों की आयु श्रेणी के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। १ अप्रैल १९५० से ३१ जनवरी १९५३ तक की अवधि की अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) सेना के ३४१ भूतपूर्व पदाधिकारियों को सरकार के अधीन नौकरी मिल गई थी । १९५० से पूर्व के इसी प्रकार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

भारत में विदेशी बैंक

८७७. **श्री एस० सी० सिंघल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विदेशी बैंकों तथा भारतीय अनुसूचित बैंकों में जमा राशि के नवीनतम आंकड़े क्या हैं और उन में भारतीयों तथा अभारतीय के जमा धन का प्रतिशतक क्या है; और

(ख) दोनों प्रकार के बैंकों ने भारतीय तथा अभारतीय समवायों में कितना धन लगाया हुआ है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) तथा (ख) । एक विवरण जिस में भारत में अनुसूचित बैंकों के जमा पूंजी, विनियोजित पूंजी तथा ऋण के सम्बन्ध में २६ दिसम्बर १९५२ तक के आंकड़े दिये हुए हैं नीचे दिया जाता है :—

(राशि लाख रुपयों में)

	विदेशी अनुसूचित बैंक	भारतीय अनुसूचित बैंक
क. जमा पूंजी	१७३,९६	६४८,०३*
ख. कुल विनियोग	४५,९२	३०१,५३*
ग. ऋण पहिले भुनाये हुये विपत्रों सहित	१२६,५२	३४१,७६*

*कलकत्ता नैशनल बैंक लि० तथा दीनाजपुर बैंक लिमिटेड के आंकड़े इन में सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि ये बैंक इस समय सामान्य रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं ।

२. सरकार के पास इन बैंकों में भारतीयों तथा अभारतीयों के जमा धन के सम्बन्ध में अलग अलग कोई सूचना नहीं है और न ही दोनों प्रकार के बैंकों द्वारा भारतीय तथा अभारतीय समवायों में विनियोजित पूंजी के सम्बन्ध में कोई सूचना है ।

मोटर नौका के नाविकों को कारामुक्ति

८७८. **श्री गिडवानी** : (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि दस व्यक्ति जो कि बम्बई से गोआ जाने वाली एक मोटर नौका के नाविक बतलाये जाते हैं विदेशियों के अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किये गये थे और रत्नगिरि के कारागार में निरुद्ध किये गये थे ?

(ख) क्या यह सत्य है कि लगभग सभी नाविक पाकिस्तान के राष्ट्रीयजन थे

और उन के पास कोई द्रष्टांक या नाविकों का प्रमाणपत्र नहीं था ?

(ग) क्या यह सत्य है कि उस मोटर नौका ने १३ दिसम्बर, १९५२ को बम्बई से एक निर्बाध गति के प्रमाणपत्र के साथ जिस में 'खाली' लिखा हुआ था प्रयाण किया था ?

(घ) क्या यह सत्य है कि उक्त मोटर नौका को इंजन में खराबी के कारण रत्नगिरि के पत्तन में आश्रय लेना पड़ा ?

(ङ) क्या यह सत्य है कि सीमाशुल्क अधिकारियों को रत्नगिरि पत्तन में नौका की तलाशी लेने पर उस में कुछ कलें मिली थीं और उन्हों ने इस बात की सूचना पुलिस को दे दी थी ?

(च) क्या यह सत्य है कि नाविकों को बाद में कारामुक्त कर दिया गया था ?

(छ) क्या सरकार ने इस सारी चीज़ की कोई जांच करवाई थी ?

(ज) यदि हां, तो इस प्रकार की जांच का क्या फल हुआ है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): (क) 'पदम' नामक मोटर नौका के दस नाविकों को विदेशियों के आदेश १९४८ के अधीन गिरफ्तार किया गया था और चौबीस घंटे के अन्दर रत्नगिरि डिवीज़न के सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के सामने पेश किया गया था जिस ने कि निवारक निरोध अधिनियम के अधीन उन के निरोध के आदेश दिये थे। उन्हें रत्नगिरि के कारागार में निरुद्ध किया गया था।

(ख) हां, श्रीमान्। जब वे रत्नगिरि पहुंचे थे तो उन में से किसी के पास भी द्रष्टांक या नाविकों का प्रमाणपत्र नहीं था।

(ग) 'पदम मोटर नौका ने ११ दिसम्बर १९५२ को बम्बई से प्रयाण किया था और इस के सम्बन्ध में एक निर्यात पुस्तिका (जिस में ले जायी जाने वाली वस्तुओं की सूची दी हुई होती है) दर्ज कराई गई थी। उसमें यह लिखा हुआ था कि इस जहाज़ पर कोई माल नहीं ले जाया जा रहा है।

(घ) हां, श्रीमान्।

(ङ) रत्नगिरि के सीमाशुल्क पदाधिकारी ने मोटर नौका के रत्नगिरि पहुंचने पर इसकी तलाशी ली थी और उसे नौका पर पुस्तिका में सूचीबद्ध न किया हुआ माल जिस में कि कल-पुर्जे, खाद्य सामग्री, चटाइयां, लोहे का समान इत्यादि थे, मिले थे जिन का मूल्य लगभग १२,००० रुपये था। क्योंकि इस बात का सन्देह था कि गोआ को अनधिकृत रूप से (बिना निर्यात अनुज्ञप्ति के) वस्तुओं के निर्यात करने का प्रयत्न किया जा रहा है, अतः उन पर सीमाशुल्क अधिकारी ने अधिकार कर लिया था, किन्तु जब यह ज्ञात हुआ कि वे नाविक पाकिस्तान के राष्ट्रीयजन थे और उन के पास कोई पारपत्र या द्रष्टांक नहीं था और वे संदिग्ध परिस्थितियों में वहां पहुंचे थे, सीमा शुल्क अधिकारी ने उन्हें पूछताछ के लिये पुलिस को सौंप दिया।

(च) पुलिस ने २३ दिसम्बर १९५२ को उन नाविकों को यह चेतावनी दे कर कारामुक्त कर दिया था कि यदि वे गोआ जायेंगे तो उन्हें वैध पारपत्रों और द्रष्टांकों के बिना पुनः भारत में प्रविष्ट होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(छ) तथा (ज)। इस विषय में की गई जांच का फल इस प्रकार है:

'पदम' नौका पर बम्बई में एक सीमाशुल्क पदाधिकारी उस के प्रमाण से पूर्व गया था और उस ने उसकी तलाशी ली थी और उस में कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिली थी। रत्नगिरि में जो वस्तुयें पकड़ी गई थीं वे सम्भवतः

नौका वालों ने बम्बई से चलने के पश्चत् अनधिकृत रूप से रख ली थीं । रत्नगिरि में नौका पर जो कल-पुर्जे मिले थे वे उसी नौका के प्रयोग के लिये थे और उसी स्वामी की एक और नौका के लिये भी थे जो कि गोआ में चलती है तथा अन्य पदार्थ नाविकों के उपयोग के लिये थे ।

बम्बई के केन्द्रीय उत्पाद समाहर्त्ता ने, जिस ने कि इस मामले में मध्यस्थता की थी समुद्र सीमाशुल्क अधिनियम १८७८ (१८७८ के ८) की धारा १६७ (१६) को धारा १६७ (८) के साथ पढ़ कर उसके अधीन जहाज के अधिपति (मास्टर) को १०० रुपये और स्वामियों को ४०० रुपये का दण्ड दिया था । वस्तुओं का निर्यात इस शर्त पर करने दिया गया था कि उन का स्वामी ४,००० रुपये की बैंक की प्रत्याभूति दे अथवा इतनी ही राशि नकद जमा करवाये और इस बात का वचन दे कि वह कलों, अर्थात् ढ़लाई उत्पादक (वेल्डिंग जनरेटर) के दो भागों तथा दो विद्युत् उपकरणों का इंजन सहित तथा इस के साथ ही मोटर नौका का भी पुनः आयात करेगा ।

बम्बई सरकार के निश्चय के फलस्वरूप पुलिस ने नाविकों को चेतावनी दे कर छोड़ दिया ।

भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में पुनरीक्षण याचिकायें

८७९. **श्री माधव रेड्डी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री पंजाब राज्य (ग्रामीण विभाग) में भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में उन पुनरीक्षण याचिकाओं की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे जो कि २१ जुलाई, १९५२ तक निर्वासित सम्पत्ति के महा-अभिरक्षक, प्रान्तीय अभिरक्षक तथा प्रान्तीय अतिरिक्त अभिरक्षक द्वारा निबटाई नहीं जा सकीं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) :

महा-अभिरक्षक	९४६
राज्य अभिरक्षक	३६
राज्य अतिरिक्त अभिरक्षक (आर)	१,१३४

बीड़ी के तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क

८८०. **श्री जसानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार को १९५२-५३ में बीड़ी के तम्बाकू के उत्पाद शुल्क के रूप में (राज्यवार) कुल कितनी राशि प्राप्त हुई?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १६]**

सैनिक इंजीनियरिंग सेवा के ठेके

८८१. **सरदार हुक्म सिंह :**
श्री बहादुर सिंह :

(क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या एक लाख रुपये से अधिक के सैनिक इंजीनियरिंग सेवा (एम० ई० एस०) के ठेके कमान के मुख्य इंजीनियर द्वारा मंजूर किये जाते हैं ?

(ख) युद्धोत्तर काल में क्रमशः पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी कमानों द्वारा मंजूर किये गये इस प्रकार के ठेकों की संख्या कितनी थी ?

(ग) इस प्रकार के ठेकों का कुल मूल्य क्या था ?

(घ) ३१ दिसम्बर, १९५२ तक पूरे किये गये कार्यों का कुल मूल्य क्या था ?

(ङ) उपरोक्त भाग (ग) में निर्दिष्ट राशि में से कितना धन दिया गया था ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : जी हां ।

(ख) से (ङ) तक । एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १७]**

अगस्त १९४७ से पूर्व किये गये कार्य के ठेके

८८२. **सरदार हुक्म सिंह :**
श्री बहादुर सिंह :

(क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या रक्षा विभागों (एम० ई० एस०, सैनिक अश्वशाला तथा अन्यों) के अगस्त १९४७ से पूर्व किये गये कार्यों के ठेकों सम्बन्धी कोई दावे विभाजन के पश्चात् पड़ताल के लिये पाकिस्तान को निर्दिष्ट किये गये थे ?

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार निर्दिष्ट दावों का मूल्य क्या था ?

(ग) अब तक पाकिस्तान द्वारा पड़ताल किये गये दावों का मूल्य क्या है ?

(घ) क्या पड़ताल किये गये सभी दावों का भुगतान किया जा चुका है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी हां । २३९६ दावे पाकिस्तान को निर्दिष्ट किये गये थे ।

(ख) ७८.४८ लाख ।

(ग) १०१५ लाख ।

(घ) कुल ९.११ लाख रुपयों के दावों का भुगतान किया जा चुका है । पड़ताल किये हुए दावों में से १.०४ लाख रुपये की राशि का भुगतान अभी शेष है ।

विस्थापित बालकों की संस्थायें

८८३. **सरदार हुक्म सिंह :**
श्री बहादुर सिंह :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) दिल्ली में स्कूल जाने की आयु के विस्थापित बालक कितने हैं;

(ख) इस प्रकार के कितने बालक दिल्ली के स्कूलों में प्रविष्ट किये गये हैं; और

(ग) विशेष रूप से इन बालकों के लिये कितनी संस्थायें खोली गई हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ग) तक । जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

आदिवासियों की सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति के लिये अनुदान

८८४. **श्री संगण्णा :** (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९५२-५३ में आदिवासियों तथा अनुसूचित जातियों की सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति के लिये राज्यों के हाथ में जो केन्द्रीय अनुदान दिये गये हैं उन उन राज्यों ने उन के निम्नलिखित मदों में वितरण के लिये क्या अनुपात रखा है (१) शिक्षा (२) कृषि (३) ग्रामीण सड़कों का निर्माण और (४) ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का सम्भरण ?

(ख) उन उन राज्यों ने उपरोक्त मदों के लिये जो अंशदान किया है उस का केन्द्रीय अनुदानों से क्या अनुपात है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख) । एक विवरण, जिस में विभिन्न राज्य सरकारों को संविधान के अनुच्छेद २७५ के अधीन अनुसूचित आदिम-जातियों के कल्याण के लिये तथा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये बनाई गई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये दिये गये अनुदान दिये हुए हैं सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिए **परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १८**]

अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ राज्यों को अनुदान देने के लिये संविधान में कोई उपबन्ध नहीं है ।

इम्फाल नगर कोष

८८५. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) इम्फाल नगर कोष का १९५१-५२ तथा १९५२-५३ में वार्षिक आय तथा व्यय क्या हुआ ;

(ख) उपरोक्त वर्षों में इस की आय के मुख्य स्रोत तथा व्यय की मदें क्या थीं;

(ग) इम्फाल नगर कोष के सम्बन्ध में सामान्यतया कौन, कब और कैसे आयव्यय के प्राक्कलनों तथा आवंटनों को तैयार करता है ;

(घ) इम्फाल नगर कोष के लेखे की सामान्यतया कौन लेखा-परीक्षा करता है; और

(ङ) करदाता इम्फाल नगर कोष की वार्षिक आय तथा व्यय कैसे जान सकते हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क)

वर्ष		रु०	आ०	पा०
१९५१-५२	आय	१,८६,१५४	१४	९
	व्यय	८८,३७१	४	६
१९५२-५३	आय	२,६२,६२९	७	९
	व्यय	२,२५,६५०	१५	१०

(अप्रैल १९५२ से फरवरी १९५३ तक)

(ख) एक विवरण जिस में विस्तृत ब्यौरा दिया हुआ है पटल पर रखा जाता है। **[देखिए परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १९]**

(ग) नगर कोष समिति प्रति वर्ष मार्च मास में मुख्य आयुक्त की स्वीकृति से आयव्ययक के प्राक्कलन तथा आवंटन तैयार करती है ।

(घ) महालेखापाल, आसाम ।

(ङ) यह जानकारी नगर कोष समिति के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है ।

पाकिस्तान द्वारा सामान्य भविष्य निधि तथा निवृति वेतन के दावों का हस्तान्तरण व पड़ताल

८८६. **श्री गिडवानी** : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या पाकिस्तान ने सामान्य भविष्य निधि तथा निवृति वेतन के हस्तान्तरण व पड़ताल सम्बन्धी भारत-पाकिस्तान करार के उपबन्धों को क्रियान्वित किया है ?

(ख) ३१ जनवरी, १९५३ तक विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत कुल कितनी राशि के इस प्रकार के दावे दर्ज करवाये गये हैं ?

(ग) पाकिस्तान ने कितनी राशि की पड़ताल की है ?

(घ) अब तक दावेदारों को कितनी राशि दी गई है ?

(ङ) क्या इन दावों के सम्बन्ध में पाकिस्तान से कोई धन राशि प्राप्त हुई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी हां ।

(ख) (१) सामान्य भविष्य निधि ७१.२९ लाख रुपये ।

(२) निवृत वेतन २.०५ लाख रुपये प्रति मास ।

(ग) (१) सामान्य भविष्य निधि १३.६१ लाख रुपये ।

(२) निवृति वेतन ४२.९५० रुपये तथा ७९ पौंड प्रति मास ।

(घ) भाग (ग) में बतलाई गई राशि के, जिस की कि पाकिस्तान ने पड़ताल कर ली है, भुगतान का अधिकार दे दिया गया है। वस्तुतः भुगतान की गई राशि के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(ङ) दोनों देशों के मध्य वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत भारत का प्रत्येक

लेखा पदाधिकारी एक नामे की अनुसूची तैयार कर के पाकिस्तान के उस लेखा पदाधिकारी को भेज देगा जिस के कहने से कि भुगतान किया गया है। पाकिस्तान के लेखा पदाधिकारी से उसी प्रकार की अनुसूची प्राप्त होने पर दोनों लेखा पदाधिकारियों के मध्य विनिमय की गई आगत तथा प्रेषित अनुसूचियों से कुल देय या प्राप्य राशि निकाल ली जायेगी और दोनों देशों में से जिस देश को जितनी कुल राशि देनी होगी उस का भुगतान एक दर्शनी हुंडी के द्वारा कर दिया जायेगा। इस व्यवस्था के अन्तर्गत इन दावों के सम्बन्ध में पाकिस्तान से जो धनराशि प्राप्त हुई है वह सम्बद्ध लेखा पदाधिकारियों से एकत्रित की जा रही है और यथा समय शीघ्र ही इस सम्बन्ध में एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जायेगा।

गुड़गांव में कुओं का निर्माण

८८७. **श्री जांगड़े** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या विशेष पुलिस प्रतिष्ठान को गुड़गांव में दिल्ली उड्डयन विभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कुंओं के निर्माण के सम्बन्ध में धोखे की शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय में कोई जांच की गई थी, और उस का क्या परिणाम हुआ ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) विशेष पुलिस प्रतिष्ठान को अगस्त १९५० में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये गये १४ कामों के सम्बन्ध में एक शिकायत मिली थी। इन में १९४३ में गुड़गांव के अड्डे पर बनाये गये कतिपय कुंओं का भी उल्लेख था। इस शिकायत में विशेष ब्यौरा नहीं दिया हुआ था।

(ख) इन बातों की शिकायत करने वाले के साथ छान बीन की गई थी और जाच करने पर यह पता लगा था कि कोई सारयुक्त प्रमाण नहीं था जिस से कि कोई अपराध सिद्ध हो सके। विशेष रूप से यह शिकायत बिल्कुल अस्पष्ट और पुरानी थी और इस की पड़ताल नहीं हो सकती थी। अतः जांच बन्द कर दी गई थी।

विश्वविद्यालयों को अनुदान

८८८. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार राष्ट्रभाषा की उन्नति और प्रचार की दृष्टि से हिन्दी माध्यम द्वारा उच्चतम शिक्षा देने वाली संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को कुछ विशेष अनुदान देने का विचार कर रही है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलना आज़ाद) : केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को छोड़ कर चाहे शिक्षा का माध्यम कुछ भी हो विश्वविद्यालय की शिक्षा के विषय में राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। दिल्ली तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागों के विस्तार के लिये एक योजना पहले ही सिद्धान्त रूप में स्वीकार की जा चुकी है और उन के लिये अनुदान मंजूर हो चुके हैं। विश्व-भारती, नागपुर, मद्रास, अन्नमलई, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागों के विकास के लिये भी योजनायें विचाराधीन हैं।

पंजाब में विस्थापित व्यक्तियों का कला तथा शिल्पकला में प्रशिक्षण

८८९. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१ तथा १९५२ में पंजाब के विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में कितने विस्थापित व्यक्तियों को विभिन्न कलाओं तथा शिल्पकलाओं में प्रशिक्षित किया गया ?

(ख) उन में से कितनों को उन शिल्प-कलाओं की आगे और शिक्षा लेने के लिये ऋण या अनुदान के रूप में सरकारी सहायता दी गई थी जिस में कि उन्हें प्रशिक्षित किया गया था ?

(ग) इस अवधि में इस प्रकार के प्रशिक्षित व्यक्तियों को कितनी राशि ऋण या अनुदान के रूप में दी गई थी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ग) तक। जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

रक्षा सेवाओं के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

८९०. **सरदार ए० एस० सहगल** : (क) क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या विभिन्न रक्षा सेवाओं के १९४९-५० तथा १९५०-५१ के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन संसद् के समक्ष रख दिये गये हैं ?

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का इन प्रतिवेदनों को कब तक सदन के समक्ष रखने का विचार है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) तथा (ख)। आशा है कि १९४९-५० का लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन चालू सत्र में सदन पटल पर रख दिया जायेगा।

१९५०-५१ का प्रतिवेदन राष्ट्रपति के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा अभी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस का कारण यह है कि लेखा परीक्षा के लिये सम्बद्ध दस्तावेजों की प्राप्ति में विलम्ब तथा कठिनाई के कारण कतिपय बड़े बड़े सौदों की लेखा-परीक्षा अभी तक पूरी नहीं की जा सकी है। आशा है कि १९५०-५१ का प्रतिवेदन भी चालू सत्र में सदन पटल पर रख दिया जायेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की सहायता

८९१. **श्री के० सुब्रह्मण्यम** : (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को यह विदित है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों की सहायता नामक संघटन विद्यमान है ?

(ख) क्या इस संघटन की कोई शाखा भारत में कार्य कर रही है ?

(ग) इस के कार्य क्या हैं और इस के पदधारी कौन कौन हैं ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग)। जानकारी एकत्रित की जा रही है और बाद में दे दी जायेगी।

बुनियादी शिक्षा

८९२. **श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३-५४ के आयव्ययक में बुनियादी तथा समाज शिक्षा के लिये जो १९८ लाख रुपये की व्यवस्था की हुई है उस में से कितना बुनियादी और कितना समाज शिक्षा पर व्यय करने का विचार है; और

(ख) इस में से कितना राज्यों को उन के स्वविवेकानुसार व्यय करने के लिये दिया जाने का विचार है तथा कितना सीधा संस्थाओं को बांटने का विचार है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) तथा (ख)। बुनियादी तथा समाज शिक्षा के लिये अभी तक कोई अलग अलग आवंटन नहीं किये गये हैं क्योंकि वास्तविक वितरण मुख्यतया राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं पर निर्भर करेगा। इस सारे विषय की परीक्षा की जा रही है।

GIPD- HS- 208--PSD—23-IC-53—285

Par. S. 18. III. 5. 53.
285

अंक ३

संख्या ५

शनिवार

४ अप्रैल, १९५३

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २--प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

अनुपस्थिति की अनुमति [पृष्ठ भाग २८१४]

अनुदानों की मांगें [पृष्ठ भाग २८१४--२८४७]

मांग संख्या १--वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय [पृष्ठ भाग २८१४--२८४६]

मांग संख्या २--उद्योग [पृष्ठ भाग २८१४--२८४६]

मांग संख्या ३--वाणिज्यिक सूचना तथा सांख्यकी [पृष्ठ भाग २८१४--२८४६]

मांग संख्या ४--वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत प्रकीर्ण विभाग तथा व्यय [पृष्ठ भाग २८१४--२८४७]

मांग संख्या ११०--वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय [पृष्ठ भाग २८१४--२८४७]

खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (कपड़े पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) विधेयक--असमाप्त [पृष्ठ भाग २८४७--२८७७]

(मूल्य ६ आने)

लोक सभा

शनिवार, ४ अप्रैल, १९५३

सदन की बैठक दो बजे समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

अनुपस्थिति की अनुमति

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे श्री कामाख्य प्रसाद त्रिपाठी से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिस में उन्होंने लिखा है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बागान समिति की बैठक, जिसमें शामिल होने के लिये वह हवाना गये हुए हैं, २८ मार्च, १९५३ को समाप्त होगी। वह लिखते हैं कि इस के बाद वह दो महीने अमरीका का दौरा करने के लिये जाना चाहते हैं और इस कारण उन्होंने संसद से अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है।

क्या सदन उन्हें वर्तमान सत्र के अन्त तक अनुपस्थित रहने की अनुमति देता है ?

अनुमति दी गई।

अनुदानों की मांगें

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा करेगा।

श्री ए० एम० थामस (ऐरणाकुलम्) : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने वर्ष १९५२

में जो कार्य किया है उसके लिये मैं उसे बधाई देता हूं। विभिन्न क्षेत्रों में मंत्रालय ने स्थिति पर जो काबू पाया है उस के लिये वह हमारी प्रशंसा का पात्र है। मंत्रालय का प्रशासनिक नियंत्रण भी प्रशंसनीय रहा है। हम अपने अनुभव से यह कह सकते हैं कि संसदीय समय का अधिकांश भाग वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के कार्य में ही बिताया गया है जिसका अर्थ यह है कि उस की कार्य-वाहियां बहुत व्यापक रही हैं। गत वर्ष इस मंत्रालय से संबंधित कई क़ानून बनाये गये और अभी बहुत से विधेयकों पर विचार किया जाना शेष है।

स्वयं रिपोर्ट में जो मंत्रालय से प्राप्त हुई है यह कहा गया है कि वर्ष १९५२ एक बहुत कठिन वर्ष था। हमें यह जान कर बड़ा संतोष होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन काफी अच्छी मात्रा में हुआ है। आंकड़ों के देखने से पता चलता है कि कपड़े का प्रति व्यक्ति उत्पादन लगभग १४ गज़ है। परन्तु इस के साथ साथ अन्य कई उद्योगों को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा है। हस्तकरघा उद्योग तथा अन्य कुछेक कुटीर-उद्योगों की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। मुझे यह तो पता नहीं कि सरकार ने इस विषय में क्या क़दम उठाये परन्तु मुख्य कठिनाई यही थी कि सरकार ने कार्यवाही करने में बहुत ढीलेपन तथा धीमेपन से काम लिया। हस्तकरघा उद्योग में लगे सैंकड़ों लोगों के कष्ट सरकार के सामने शुरू में ही रख दिये गये थे परन्तु सरकार

[श्री ए० एम० टामस]

उस समय तक शान्त बैठी रही जब कि स्थिति उस के काबू से बाहर हो गई। मैं इस बात को मानता हूं कि सरकार के सामने जटिल समस्यायें होती हैं और उसे उन पर विचार करना होता है। उदाहरण के लिये मिलों पर धोतियों के बनाने में ६० प्रतिशत की पाबन्दी को लोगों ने अच्छा भी कहा है और बुरा भी। मुझे पता चला है कि इन्हीं सरकारों ने जो हस्तकरघा उद्योग को संरक्षण देने के लिये कहा करती थीं इस पाबन्दी को हटाने पर ज़ोर दिया था। विरोधी दल के सदस्य भी पहले तो हस्तकरघा उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये बड़ी बड़ी बातें किया करते थे परन्तु अब कुछ दिन हुए कम्युनिस्ट सदस्य श्री राघवय्या ने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री से यह प्रश्न पूछा था कि क्या इस पाबन्दी के फलस्वरूप मिलों के उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और क्या इस से सैंकड़ों व्यक्ति बेकार नहीं हो जायेंगे। यह मानना होगा कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री बड़ी उलझन में हैं।

यह ठीक ही है कि हम खादी तथा हस्तकरघा उद्योग को अपनी अर्थ व्यवस्था में उचित स्थान दें। इस को उन्नत करने के लिये हमें प्रोत्साहन देना चाहिये। वर्ष १९५१ में हस्तकरघों की अनुमानित संख्या २८ लाख थी। मद्रास में इन की संख्या ८·४ लाख है और त्रावणकोर-कोचीन में ८४,०००। हमारे राज्य में भी नारियल-जटा उद्योग के बाद यही सब से अधिक महत्वपूर्ण उद्योग है। हमारे राज्य के दक्षिणी भाग में दक्ष बुनकर हैं।

चाय उद्योग में क़ीमतों में कमी होने के बारे में उत्पादक बहुत चिन्तित थे और उन्होंने अप्रैल १९५२ में ही इस संबंध में अभ्यावेदन किया था। जब तक सरकार इस मामले में कुछ करे और सरकारी दल अपनी रिपोर्ट पेश करे, बहुत से बाग़ीचे बन्द हो गये। चूंकि यह एक संगठित उद्योग है सरकार इस के बारे में आंकड़े और तथ्य प्राप्त कर सकती थी और आवश्यकता के समय उद्योग की सहायता के लिये आ सकती थी। परन्तु इस वर्ष जनवरी तक कुछ नहीं किया गया। अब एक नई समिति की नियुक्ति के बारे में सुना जा रहा है।

देश के अन्दर चाय की खपत बढ़ाने पर मैं वाणिज्य मंत्रालय को बधाई देता हूं। गत छः वर्षों में खपत १२०० लाख पौंड से १८०० लाख पौंड से भी अधिक हो गई है।

रबर उद्योग की कठिनाइयों को मत्रालय के सामने रखा जा चुका है और हमें यह जान कर संतोष है कि वह आवश्यक क़दम उठा रहा है।

जहां तक काफ़ी का संबंध है, मंत्रालय ने उस के दामों में वृद्धि होने पर असंतोष प्रगट किया है परन्तु काफ़ी बोर्ड के चेयरमैन ने मंत्रालय पर यह आरोप लगाया है कि उसने काफ़ी के दामों में वृद्धि होने के समय भी निर्यात को जारी रखा। वाणिज्य मंत्रालय को इस विषय में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी है।

अब मैं कुछ व्यापारिक फ़सलों को जैसे काली मिर्च, इलायची, काजू, अदरक, हल्दी और अगिया घास को निर्दिष्ट करूंगा।

जहां तक मेरे राज्य तथा मलाबार का संबंध है ये फ़सलें जीविका-उपार्जन की मुख्य साधन हैं। काली मिर्च से हमें बहुत से डालर प्राप्त होते हैं और काजू भी हमारे लिये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन दो वस्तुओं की दो तिहाई मांग भारत द्वारा पूरी की जाती है। पिछले दिनों इन वस्तुओं में बहुत जल्दी जल्दी तेज़ी

और मन्दी आती रही है । काली मिर्च का निर्यात काफ़ी गिर गया है । अगिया घास मलाबार, त्रावणकोर-कोचीन और दक्षिण कनाड़ा में बहुतायत से उगाई जाती है, परन्तु इस समय उन की कीमतें उत्पादन लागत से भी कम हैं ।

काली मिर्च के निर्यात से हमें १८ से २५ करोड़ के लगभग विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है । गत वर्ष यह केवल १८ करोड़ ही थी । एक वर्ष केवल काली मिर्च से हमें पांच करोड़ निर्यात शुल्क के रूप में प्राप्त हुए थे । इसलिये सरकार का यह देखने का कर्तव्य है कि यह उद्योग दिन पर दिन उन्नति करे । गत वर्ष कीड़ा लग जाने के परिणाम स्वरूप अमरीका को हमारे निर्यात में २० प्रतिशत की कमी हो गई थी । यदि सरकार ने काली मिर्च की क़िस्म की जांच की कोई व्यवस्था की होती तो हमारे निर्यात में इतनी कमी नहीं होती । कीड़ा लगने के मुख्य कारण काली मिर्चों का समय से पहले तोड़ा जाना और मिलावट हैं । मैं चाहता हूं कि सरकार इस विषय में संबंधित संस्थाओं एवं व्यापारमंडलों से राय ले कर कुछ अनुसन्धान कराये ताकि क़िस्म ठीक बनी रहे ।

जहां तक अगिया घास का संबंध है, हम ४०० से ६०० टन तक तेल निर्यात कर रहे हैं । इस उद्योग में भी सुधार की काफ़ी गुंजाइश है । पहले हम अमरीका की ९० प्रतिशत ज़रूरत को पूरा करते थे और अब केवल २८ या ३० प्रतिशत कर रहे हैं । अन्य उत्पादक राज्यों ने अगिया घास के तेल की कीमतों को स्थिर रखने तथा उस की क़िस्म बनाये रखने के बारे में क़दम उठाये हैं । १९४६ में इस तेल की बारह बोतलों की क़ीमत ५५ रुपये थी । उसके बाद वह ४०० रुपये तक हो गई थी, फिर यह ६५ रुपये हुई और अब लगभग ९० रुपये है । मैं पहले कह चुका हूं कि इस समय जो क़ीमत है उससे उत्पादन लागत भी नहीं निकल सकती ।

अब मैं काजू को लेता हूं । वर्ष १९५२ में हम ने लगभग २६,००० टन का निर्यात किया और हमें १२ करोड़ प्राप्त हुए । वर्ष १९५१ में हम ने २३,५०० टन का निर्यात किया और ९ करोड़ ७६ लाख रुपये प्राप्त किये । काजू की कीमतों में काफ़ी उतार-चढ़ाव हुआ है । इस फ़सल को प्रोत्साहन देने का एक लाभ और है; इससे हम भूमि के कटाव को रोक सकेंगे । दामोदर घाटी क्षेत्र में जो अनुसन्धान हुए हैं उन से यह सिद्ध हुआ है कि काजू के पेड़ उगा कर भूमि के कटाव को सफलतापूर्वक रोका जा सकता है ।

मेरा सुझाव है कि एक "मसाला पर्षद्" तुरन्त ही स्थापित किया जाये । वाणिज्य तथा उद्योग एवं खाद्य तथा कृषि मंत्रालयों में परस्पर समायोजन भी अधिक होना चाहिये ताकि इन वस्तुओं की क़िस्म ठीक बनी रहे और इन्हें यथासंभव अधिक मात्रा में विदेशों को निर्यात किया जा सके । इस पर्षद् के अधीन एक विपणन समिति भी स्थापित की जा सकती है जो विक्रय संबंधी सुविधाओं को बढ़ाये और मिलावट जैसी बुरी बातों को दूर करे ।

इन प्रस्थापनाओं के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री वैलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा —रक्षित—अनुसूचित जातियां): मेरा विचार है कि गत चार वर्षों में विदेशी अन्तर्देशीय एवं अन्तर्राज्यीय व्यापार के संबंध में हमारी जो वित्तीय नीति रही है वह ठीक नहीं थी । यदि आयात तथा निर्यात नीति का, जिसका सरकार अनुसरण कर रही थी, इतिहास देखा जाये तो पता चलेगा कि हर विषय में सरकार को बहुत काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है ।

[श्री वैलायुधन]

आयात तथा निर्यात नीति में हर वर्ष या हर छठे महीने में परिवर्तन किया जा रहा है। माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री को पता चला होगा कि आयात व निर्यात नीति में इतनी जल्दी जल्दी परिवर्तन करने से सरकार को बहुत नुकसान हुआ है।

मैं अब विदेशों से, विशेषत: अमरीका और इंगलैंड से होने वाले व्यापार के प्रश्न पर आता हूं। जब पाकिस्तान तथा अन्य देशों ने साम्राजीय रियायतें खत्म कर दी हैं तो फिर क्या कारण है कि भारत इन्हें जारी रखे। जब माननीय वाणिज्य मंत्री, वह सदन के केवल सदस्य थे, मंत्री नहीं, तो वह साम्राजीय रियायतों के बहुत खिलाफ़ थे। अब उन्हें इन रियायतों को समाप्त कर देने का अवसर मिल गया है। गतवर्ष पाकिस्तान ने साम्राजीय रियायतों में काफ़ी कमी कर दी थी, जिसका नतीजा यह है कि पाकिस्तान सरकार को बहुत लाभ हुआ है। पाकिस्तान का बजट फ़ायदे का बजट है जब कि भारत का घाटे का।

[अध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

हमारी कठिनाई पश्चिम के देशों के साथ व्यापार करने की ही नहीं वरन् पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की भी है। अब वह समय नहीं जब हम अलग रहने की नीति अपनायें। हमें अपना व्यापार पश्चिमी देशों के साथ ही नहीं, पूर्वी यूरोप के तथा एशिया के देशों के साथ भी बढ़ाना है। जब तक हम इन सारे देशों के साथ अपना व्यापार नहीं बढ़ाते, हम फल-फूल नहीं सकते।

देश में औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में मैं इतना बता दूं कि यद्यपि हमारे सामने १९४८ का नीति सम्बन्धी वक्तव्य है और १९५१ का औद्योगिक विनिमय अधिनियम है किन्तु मेरी यह शिकायत है कि औद्योगिक विकास के संबंध में गैर सरकारी उपक्रमों को प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। चीन में भी, जहां साम्यवादी सरकार है, गैर सरकारी उपक्रमों को अपने औद्योगिक विकास के लिये सब प्रकार का प्रोत्साहन दिया गया था। हम भी गैर सरकारी उपक्रमों को प्रोत्साहन दे कर अपने उद्योगों का विकास कर सकते हैं।

मैंने व्यापार मण्डल में दिये गये प्रधान मंत्री के तथा इस सदन में दिये गये वित्त मंत्री के भाषण को पढ़ा है। मैं समझता हूं कि उन्होंने भी गैर सरकारी उपक्रमो को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता नहीं समझी। इसका परिणाम यह हुआ कि इस से काफी नुकसान हुआ और विनियोजकों में एक प्रकार के भय की भावना आ गई। इसी कारण हमें गैर सरकारी लोगों से धन नहीं मिल रहा है और हम दूसरे देशों से सहायता लेने के लिये मजबूर हैं। आज जब मध्य श्रेणी के लोग इन उद्योगों में धन लगा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि सरकार की नीति इन उद्योगों को प्रोत्साहन देने की नहीं है।

मुझे अपने राज्य के औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में एक शब्द कहना है। नारियल जटा उद्योग के लिये एक बोर्ड बनाया जा रहा है तथा इस सदन में एक विधेयक प्रस्तुत किया जायगा। किन्तु इस उद्योग में बहुत बेरोज़गारी है। देश में अकाल है, भुखमरी है। पंचवर्षीय योजना से ये सब बातें दूर नहीं हो सकतीं। हमें बहुत शीघ्रता से देश का औद्योगीकरण करना है। जब तक हम कोई क्रियात्मक कार्यवाही नहीं करते तब तक हम देश में, विशेष कर दक्षिण भारत में अकाल और भुखमरी पर काबू नहीं पा सकते।

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर) : श्री जी० एल० बंसल ने माननीय वाणिज्य

तथा उद्योग मंत्री के कार्य-काल में सरकार तथा उद्योगों के बीच परस्पर अच्छे सम्बन्ध बने रहने के कारण उन की प्रशंसा की किन्तु उन्होंने सरकार तथा उद्योगों के बीच जो 'हिचक' बनी हुई है उसका भी उल्लेख किया और आशा प्रकट की उन दोनों में अच्छे सम्बन्ध बने रहेंगे। हम यह समझते थे सरकार तथा उद्योगों के बीच हिचक की कोई भावना नहीं थी और १९४८ में जब सरकार ने अपनी औद्यौगिक नीति घोषित की उस समय दोनों में पूर्ण साम्य था। हम यह भी समझते थे कि पंचवर्षीय योजना बनाते समय सरकार तथा उद्योगों में पूर्ण सहयोग था और गैर-सरकारी उपक्रमों का कार्य योजना में निश्चित कर दिया गया था। इस व्यापारमंडल संघ का, जिस के श्री बंसल सचिव हैं, नई दिल्ली में वार्षिक अधिवेशन हुआ। उसमें अपने भाषण के अन्त में श्री बंसल ने देश की व्यापार संतुलन की चिन्ताजनक अवस्था तथा व्यापार की गिरती हुई दशा का उल्लेख किया।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने हमें जो रिपोर्ट दी है उस में वर्ष १९५१ के सम्बन्ध में इस बात का निर्देश है कि विक्रेताओं की अपेक्षा उपभोक्ताओं को लाभ रहा और अभाव की स्थिति तथा ऊंचे दामों की अपेक्षा चीजों के दाम कम थे। यह बात ठीक है, किन्तु रिपोर्ट में दी हुई इस बात से हम सहमत नहीं कि व्यापार सन्तुलन में जो सफलता प्राप्त हुई है उसका श्रेय मंत्रालय को है। यदि दिसम्बर १९५२ को समाप्त होने वाले दस महीनों को देखें तो हमारा व्यापार संतुलन संतोषजनक नहीं था। और १९५२ में हमने जितने मूल्य का माल बाहर भेजा, उससे १७० करोड़, ३९ लाख रुपये से अधिक मूल्य का माल बाहर से मंगाया था जबकि १९५१ में हमारे आयात किये गये माल का मूल्य निर्यात किये गये माल के मूल्य से १०४ करोड़ ७३ लाख रुपये अधिक का था

यद्यपि इस रिपोर्ट में सन्तोषजनक सन्तुलन इस वर्ष मंत्रालय द्वारा कम आयात निर्यात की नीति चलाने के कारण बताया गया है किन्तु आयात में जो कमी हुई है वह सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों से इतनी नहीं हुई जितनी कि हमारे निर्यात के मूल्य तथा मात्रा में कमी होने के कारण हुई है।

हमें बताया गया कि आयात नियंत्रण नीति में परिवर्तन कर के हम ने एक नई नीति का अनुसरण किया है। किन्तु 'जर्नल आफ़ इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड' के देखने से हमें पता चलता है कि नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और जो नीति १९५२ में थी बिल्कुल वही अब है। गर्म मसाला, शराब, घड़ियां तथा साइकिल आदि के आयात करने की अनुमति है। कम्बल, बच्चों के खाद्य पदार्थ आदि के आयात में जो कटौती की गई थी उसे हटा दिया गया है। बिस्कुट आदि चीजों को भी आयात करने दिया जाता है। इससे पता चलता है कि मंत्रालय किस नीति पर चल रहा है। १९५२ या १९५३ में कोई आयात नियंत्रण नहीं था।

निर्यात बढ़ाने के सम्बन्ध में ऐसा लगता है कि मंत्रालय यह समझता है कि यदि निर्यात अधिक करने दिया जाय और निर्यात शुल्क कम कर दिया जाय तो इस से हमारा निर्यात व्यापार बढ़ जायगा। किन्तु बड़े उद्योगों के, जिन में कि यूरोपियनों का धन लगा हुआ है, माल के निर्यात के मामले में कोई निश्चित कार्य नहीं किया गया। श्री तुलसीदास किलाचन्द ने जो सुझाव दिये थे अच्छा हो यदि मंत्रालय उन पर विचार करे।

अन्त में मैं चाय बगीचों के मज़दूरों के सम्बन्ध में कहूंगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री तथा वित्त मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि मज़दूरों की न्यूनतम मजूरी को कम नहीं किया जायगा। यद्यपि चाय में मन्दी खत्म हो गई किन्तु राज्य सरकारों ने उनकी

[श्री टी० के० चौधरी]

मज़दूरी कम कर दी । मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री सरकार की नीति का पालन करते हुए मज़दूरों के साथ न्याय करेंगे ।

श्री एल० एन० मिश्र (दरभंगा व भागलपुर) : मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं । देश के औद्योगिक उत्पादन में उन्नति होने के कारण मैं वाणिज्य मंत्री को बधाई देता हूं । हमारा उत्पादन बढ़ रहा है । कच्चे लोहे, पटसन तथा कपड़े का भी बहुत उत्पादन हुआ । कपड़े की कमी पूरी हो गई । मैं समझता हूं कि कोयला, कागज़ तथा सीमेंट में भी बहुत उत्पादन हुआ । संक्षेप में देश का औद्योगिक उत्पादन बढ़ता ही रहा ।

१९४७ से पूर्व हमारा विदेशों से अधिक व्यापार नहीं था । किन्तु उसके बाद से हम कच्चा माल निर्यात करने की बजाय हम कच्चे माल का आयात करने लगे हैं । अतः यदि कभी कभी हमारा भुगतान का संतुलन संतोषजनक नहीं रहा तो यह आश्चर्य की बात नहीं । किन्तु सरकार की नीति के कारण हमारे भुगतान के संतुलन में सुधार हुआ । आयात तथा निर्यात के मामले में हमें ऐसी नीति का पालन करना चाहिये जिस से कि हम अपनी अर्थ व्यवस्था का निर्माण कर सकें और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ सके और यह हमारे राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रम में सहायक हो ।

अब मैं पटसन के विषय में कहना चाहता हूं जो कि देश का सब से सुसंगठित उद्योग है । इस में निर्धारित पूंजी तथा कर्मवाहक पूंजी दोनों मिला कर लगभग ६५·८५ करोड़ रुपये लगे हुए हैं । इस उद्योग में प्रतिदिन ३,०६,००० मज़दूर काम करते हैं । किन्तु मैं समझता हूं कि सरकार की आत्मतुष्टि के दृष्टिकोण से इस उद्योग को भी खतरे का सामना करना पड़ रहा है । इसे गतकाल में भी बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा किन्तु अब इसे जिस खतरे का सामना करना पड़ रहा है यदि सरकार इस समय इस में हस्तक्षेप नहीं करेगी तो यह उद्योग चल नहीं सकता । रुई की तरह पटसन के भी निर्माणकारी तथा कृषि सम्बन्धी दो पहलू हैं । यदि हम इस के कृषि सम्बन्धी पहलू की उपेक्षा करें तो निर्माणकारी पहलू को अवश्य ही हानि होगी । कच्चे पटसन के दाम इतने नहीं हैं कि जिस से उत्पादन व्यय का ५० प्रतिशत भी पूरा हो सके । मैं समझता हूं कि कच्चे पटसन के दाम उत्पादकों के लिये अलाभप्रद हैं । इसके परिणाम स्वरूप बाज़ार में पटसन बहुत इकट्ठा हो गया है ऐसा विशेष कर बिहार में हुआ है । इसलिये म समझता हूं कि इस दशा में सुधार करने के लिये इस सम्बन्ध में कुछ कार्य अवश्य किया जाना चाहिये । मैं समझता हूं कि जो उद्योगपति बहुत मुनाफ़ा कमाना चाहते हैं उन के कारण हमारी चीज़ें विदेशों में नहीं बिकतीं । बोरों तथा अन्य पटसन के माल के बढ़े हुए दामों के कारण हमारा माल अमरीका, अर्जेन्टायना तथा आस्ट्रेलिया में नहीं बिकता । उद्योगपतियों ने देशी पटसन की अपेक्षा पाकिस्तान से पटसन मंगाना पसन्द किया जिस के दाम अधिक थे । इसका परिणाम यह हुआ कि पटसन उत्पादकों को हानि हो रही है । सरकार ने पाकिस्तान से पटसन आयात करने के प्रयत्न किये । इसलिये उत्पादकों के मन में बड़ी आशंका पैदा हो रही है । बहुत से देशों में पटसन की मिलें खोल दी गई हैं और यूरोप की मिलों में आधुनिक तरीके से उत्पादन होने लगा है । अतः पटसन के उत्पादन के व्यय को कम करना आवश्यक है । मैं समझता हूं कि आधुनिक तरीके से उत्पादन करने से उत्पादन-व्यय कम हो सकता है । मैं जानता हूं कि ऐसा करने से पहिले कुछ खर्च तो होगा ।

किन्तु इस तरीके से जो कार्य कुशलता आयेगी उस से खर्च पूरा हो जायगा । अतः मेरी सरकार से अपील है कि वह उद्योगपतियों से ४० या ४५ करोड़ रुपये का विनियोजन करने के लिये कहे । वे इस में विनियोजन कर के इसे खत्म होने से बचा सकते हैं ।

मैं सरकार से स्थिति को सुधारने के लिए कुछ करने की प्रार्थना करूंगा । यह मैं जानता हूं कि जूट उद्योग में केवल मात्र उत्पादकों या व्यापारियों के हित से ही कुछ नहीं किया जा सकता है। अतः मेरे कई सुझाव हैं। पहला यह कि सरकार देशी तथा विदेशी दोनों मंडियों में जूट के व्यापार को राज्य-व्यापार बना ले । राज्य-व्यापार हो जाने से न केवल निर्यातकों के अत्यधिक लाभ खत्म हो जायेंगे अपितु इस उद्योग में भाग लेने वाले सभी श्रेणियों के व्यक्तियों के लाभ कम हो जायेंगे और तभी जूट उत्पादकों को उनके वैध लाभ की प्रत्याभूति दी जा सकेगी । मुझे विश्वास है कि यदि गत पांच वर्षों में जूट का व्यापार राजकीय स्तर पर किया गया होता तो न केवल जूट उद्योग ही संकट से बच जाता अपितु राजकोष में भी काफ़ी धन आ गया होता ।

दूसरा सुझाव यह है कि जूट का न्यूनतम मूल्य निश्चित कर दिया जाना चाहिये । जूट जैसी व्यापारिक वस्तुओं का न्यूनतम मूल्य निर्धारण सरकारों की औद्योगिक तथा व्यापारिक नीति में कोई नई बात नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन ने लोहे तथा कोयले के सम्बन्ध में यही किया था। अतः मेरा निवेदन है कि जूट के न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिये जायें और उन में राजकीय सहायता दी जाये । अगस्त १९३९ और मई १९४० में बंगाल सरकार ने गिरते जा रहे बाज़ार को ठीक करने के लिए न्यूनतम मूल्य निश्चित करके काफ़ी खरीद की थी। अतः ऐसा किया जाना चाहिये ।

तीसरा सुझाव यह है कि जूट की मंडियां खोज निकाली जायं । पाकिस्तान से हुए समझौते से देश के उत्पादकों को हानि हुई है । न जाने क्यों सरकार ने इसे स्वीकार किया । जिस दर से आज जूट की खपत हो रही है उसके अनुसार हमारी मिलें जूट की ५७ लाख गांठें काम में ला सकती हैं । देश में उत्पादन ४८ लाख गांठें होने की आशा है । अतः हमें ९ या १० लाख गांठों की आवश्यकता है। यदि पाकिस्तान से हम को अधिक आयात किया गया तो देशी उपज को हानि उठानी पड़ेगी । और इससे योजना आयोग द्वारा बनाई गई योजना भी असफल हो जायेगी । कृषि योजना में मूल्य निर्धारण अति आवश्यक है । अतः सरकार को जूट उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य की प्रत्याभूति देनी चाहिये ।

जूट जैसे उद्योग में उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिये दीर्घकालीन योजनायें बनाना आवश्यक है। अगले कुछ वर्ष जूट उद्योग के लिये निर्णयात्मक हैं। अतः मेरा निवेदन है कि मूल्य निश्चित किये जायें, राज्य व्यापार प्रणाली चालू की जाये और देशी जूट की मांग को बढ़ाया जाये ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : गत वर्ष माननीय मंत्री ने जो भाषण दिया था उससे यह ज्ञात होता था कि सरकार की नीति छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहन तथा प्राथमिकता देने की थी, परन्तु इस समूचे वर्ष में केवल मात्र कुछ परिषदों में ही परिवर्तन किया गया है और इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं किया गया है । प्रधान मंत्री स्वयं ने ही यह मन्तव्य प्रकट किया था कि इन परिषदों की यह सम्मति थी कि इन छोटे पैमाने के उद्योगों का भविष्य बहुत ही संदिग्ध था ; उनकी यह धारणा इस आधार पर थी कि उनका माल निम्न कोटि का होता है और उसके बेचने में अत्यधिक कठिनाई होती

[श्री राघवाचारी]

इसलिये सरकार को दोष देने से क्या लाभ ? जो व्यक्ति देश के कल्याण तथा समृद्धता में रुचि रखते हैं उन को छोटे पैमाने के उद्योगों को देश की आर्थिक स्थिति में जो स्थान दिया गया है उससे सन्तोष ही होगा। परन्तु प्रश्न है कि सरकार ने इन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये क्या किया है। जो कुछ भी किया जा रहा है वह केवलमात्र दिखाने भर को ही किया जा रहा है कोई सारभूत कार्यवाही नहीं की गई है।

यह कहा जाता है कि उद्योग की विभिन्न शाखाओं में उत्पादन बढ़ गया है। परन्तु प्रश्न यह है कि सामान्य व्यक्ति को इस बढ़े हुए उत्पादन से लाभ हुआ है। कपड़े के अधिक उत्पादन को लीजिये। क्या एक सामान्य देहाती और अधिक कपड़ा खरीद सकने में सफल हुआ है? हां इतना अवश्य है कि शहरों और कस्बों में लोगों को अब लाइन लगा कर खड़ा नहीं होना होता है। परन्तु इससे ग़रीबों को कोई लाभ नहीं हुआ है। न ही कपड़े का मूल्य कुछ कम हुआ है। वह तो कुछ बढ़ ही गया है। अतः इससे जनसाधारण को लाभ नहीं पहुंचा है।

मेरी माननीय मंत्री से प्रार्थना है कि वह इस मामले की ओर कुछ अधिक ध्यान दें। इस सम्बन्ध में जो कुछ अभी तक हुआ है वह निराशाजनक है। निस्सन्देह यह कार्य राज्यों का है परन्तु माननीय मंत्री इसे नियंत्रित अवश्य कर सकते हैं। कांग्रेस राज्य द्वारा इस सम्बन्ध में उपेक्षाभाव दिखलाया जाना निस्संदेह निराशाजनक है। पिछले दिनों जब कि श्री राजगोपालाचार्य उद्योग मंत्री थे तो कपड़ा उद्योग में तकुओं की संख्या बढ़ाई जाने के सम्बन्ध में बहुत आन्दोलन किया गया था। मद्रास राज्य के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री श्रीप्रकाशम पूंजीवादियों द्वारा चलाई जाने वाली मिलों की संख्या बढ़ने देने के पूर्णतया विरोध में थे और वह खद्दर तथा खड्डी वाले कपड़े से ही आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चाहते थे। समाचार पत्रों में खूब हल्ला मचा, परिणाम यह हुआ कि तकुए आयात किए गए और श्री श्रीप्रकाशम की विचार धारा की पूर्णतया उपेक्षा कर दी गई। मुख्य मंत्री बनने पर अब श्री राजगोपालाचार्य को मालूम हो रहा है कि कपड़े के बढ़े हुए उत्पादन से बुनकरों के हज़ारों परिवार बरबाद हो गये हैं। मुझे यह जान कर दुख होता है कि माननीय मंत्री कपड़ा उत्पादन का कुछ भाग खड्डी उद्योग के लिये सुरक्षित कर दिये जाने के सिद्धान्त को स्वीकार करने में आना कानी कर रहे हैं। हम तो माननीय मंत्री से प्रार्थना मात्र ही कर सकते हैं। हमारी जैसी स्थिति वाले देश जापान ने अपने सभी उद्योगों का विकेन्द्रीयकरण कर दिया है। अभी हमारे देश का एक शिष्टमंडल जापान गया था। वहां उसने दस तकुओं वाली एक छोटी सी मिल देखी जो आठ घंटे में २० नम्बर का दो पौण्ड सूत कात सकती थी और उसका मूल्य १५०० रुपये के लगभग था। हमारे देश में भी ऐसी मशीनों को आयात किया जा सकता है, फिर हम उनको बड़े पैमाने पर बना कर गांव गांव उन को लगा सकते हैं। हमारे यहां विद्युत शक्ति की कमी नहीं है फिर यह केन्द्रीयकरण क्यों ? बड़े पैमाने और छोटे पैमाने के वस्त्र उद्योग में यह संघर्ष क्यों ? जापान में १२० तकुओं और २५,००० रुपये मूल्य वाली मशीनें भी हैं, उन को यहां चालू कर के झगड़ा दूर किया जा सकता है। बम्बई सरकार द्वारा नियुक्त किये गये एक शिष्टमंडल ने जापान का दौरा करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उसने कुछ सुझाव भी दिये हैं।

मेरी माननीय मंत्री से प्रार्थना है कि वह उद्योगों को संरक्षण दिये जाने के प्रश्न की

जाच करें और खाद्य संरक्षण तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के उत्पादन को प्रोत्साहन देकर देश को बेकारी के चंगुल से बचायें तथा इस प्रकार जनता की क्रय शक्ति में वृद्धि करें।

श्री हेडा (निज़ामाबाद) : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की गतिविधियां इतनी व्यापक हैं कि हमारी पंचवर्षीय योजना की सफलता अधिकांशतया उन्हीं पर निर्भर है। चुनाव के बाद से स्थिति कुछ बदल गई है। हमने अपने घोषणा पत्र में यह बताया था कि हमारी नीति बेकारी को और विशेषतः छोटे उद्योगों में फैली बेकारी को दूर करने की थी। भारत में बेकारी यहां की जनसंख्या की भांति चारों ओर फैली हुई है। अतः पाश्चात्य देशों की भांति हम जनसंख्या को कुछ फैक्टरी वाले नगरों में इकट्ठा करके और उन को वहां काम देकर बेकारी को दूर नहीं कर सकते हैं। हमें कोई ऐसी योजना बनानी होगी जो देश भर में फैले पांच लाख गांवों की झोंपड़ियों तक में बेकारी को दूर कर सके। एकमात्र सूत कातना ही ऐसा उद्योग हो सकता है जिससे झोंपड़ियों तक के निवासियों को रोज़गार मिल सकता है। खादी तथा खड्डी उद्योग को तीन पाई का शुल्क लगा कर सुरक्षण तथा प्रोत्साहन दिया हुआ है। यह कार्य सरकार ने वास्तव में बहुत ही उत्तम किया है।

इस मंत्रालय के बजट आंकड़ों में भी एक शुभ परिवर्तन दिखाई देता है। सन् १९४९-५० में बजट अनुदान छै लाख रुपये का था, सन् १९५०–५१ में वह १४·६ लाख रुपये का था, सन् १९५१–५२ में वह १७ लाख रुपये था, सन् १९५२–५३ में वह १८ लाख का था और इस वर्ष वह पूरे १०० लाख का है। इस रक़म के अतिरिक्त कोई आठ करोड़ रुपये की आय उक्त उपकर से होने की आशा है। ग्यारह करोड़ रुपये की रक़म छोटे पैमानों के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये रखी गई है। कुछ माननीय सदस्यों को, जो देश के औद्योगीकरण तथा यंत्रीकरण के पक्ष में हैं खादी को प्रोत्साहन दिये जाने की बात रुचिकर नहीं लगेगी। उधर मिल मालिक शोर मचायेंगे। परन्तु मेरी प्रार्थना है कि सरकार बिना इन आलोचनाओं की परवाह किये बेकारी की समस्या को दूर करने की कोशिश करे।

दूसरी बात छोटी मशीनों को प्रोत्साहन दिये जाने का है जिससे कि सामान्य श्रमिक भी जीवन यापन कर सके। मशीनों पर सारा परिवार काम कर सकता है। परन्तु इन छोटी मशीनों और बड़ी फैक्टरियों में प्रतियोगिता होने लगती है और इसलिये छोटी मशीनों को संरक्षण दिया जाना चाहिये। थोड़े से अनुभव के बाद हम भी जापान की भांति बड़े पैमाने के उद्योगों से मुक़ाबला कर सकेंगे और उस समय यह संरक्षण हटा दिया जाये। उदाहरण के लिए कीलें, पेंच, डिबरियां तथा बेल्ट बड़ी मशीनों द्वारा न बनाये जायें। उल्टे मोटर तथा सायकिल बनाने वाली बड़ी फैक्टरियां इन छोटी मोटी चीज़ों को इन छोटे उद्योगों से ही लें।

अब मैं मूल्यों में हुए उतार चढ़ाव के प्रश्न को लेता हूं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन पर जो ज़ोर दिया गया है वह ठीक ही है परन्तु इतना होने पर भी हमने कृषि उत्पादनों और विशेषता व्यापारिक फसलों के मूल्यों में होने वाली तेजी मन्दी को नियंत्रित करने के लिये कुछ भी नहीं किया है। जूट के सम्बन्ध में अन्य माननीय सदस्यों द्वारा बहुत कुछ कहा जा चुका है, मेरा निवेदन है कि इसी प्रकार की कोई नीति कपास के सम्बन्ध में भी बनाई जानी चाहिये। हम ने कपास के निम्नतम तथा अधिकतम मूल्य

[श्री हेडा]

निश्चित किये हुए हैं, सभी व्यापारिक फसलों के सम्बन्ध में भी यही किया जाना चाहिये। किसान प्राप्त होने वाले मूल्य तथा उत्पादन परिव्यय को देख कर ही किसी फ़स्ल को उगायेगा। यह ठीक नहीं है कि किसान को, जिसका हमारी अर्थ व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है, अपना सभी कुछ धन, परिश्रम लगा लेने के बाद भाग्य के भरोसे ही छोड़ दिया जाये। काफ़ी के सम्बन्ध में हमने जो नीति बनाई है वैसी ही अन्य व्यापारिक फ़स्लों के लिए भी बनाई जानी चाहिये। इसके लिये सरकार को राजकीय व्यापार प्रणाली का आश्रय लेना होगा। इस योजना के अन्तर्गत सरकार समस्त व्यापारिक फ़स्ल को खरीद कर या तो उसे स्वयं तैयार करके फैक्टरियों तथा निर्माताओं को दे अथवा पहले फैक्टरियों में तैयार करा कर तब निर्माताओं को दे। इससे बीच के दलाल समाप्त हो जायेंगे और समस्त लाभ उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के लिए बच रहेगा। अतः उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के लाभ के लिए ऐसा किया जाना अत्यावश्यक है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

जहां तक हमारे विदेशी निर्यात का सम्बन्ध है हम नियमित प्रगति नहीं कर सके हैं। गत वर्ष व्यापार हमारे अनुकूल था परन्तु इन पूंजीपतियों ने, इन में से प्रत्येक ने, देश के हित को भुला कर निजी स्वार्थ को प्रश्रय दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि समस्त विदेशी मंडियां हमारे लिए खत्म हो गईं। अतः अब समय आ गया है कि सरकार उन वस्तुओं के सम्बन्ध में जिन में अधिक लाभ होने की सम्भावना है, राज्य-व्यापार प्रणाली को चालू कर दे। इससे न केवल सरकार को लाभ ही होगा अपितु मूल्य भी स्थिर हो जायेंगे।

मैं माननीय वित्त मंत्री को आयकर जांच आयोग की इस सिफ़ारिश को मान लेने के लिए, कि सट्टे में हुई हानि को सामान्य अथवा वास्तविक आय में से कम नहीं किया जायेगा, धन्यवाद देता हूं। इसका विरोध अवश्य हुआ है परन्तु सट्टे और फाटके को कम करके हाज़िर सौदों के व्यापार को बढ़ाने के लिये ऐसा करना आवश्यक था। सरकार को यह स्पष्ट नीति बना लेनी चाहिए कि हानि को लाभ में से घटाया नहीं जायेगा अपितु समस्त लाभ पर कर लगेगा। इस नीति को मान लेने से सट्टा और फाटका दब जायेगा। यदि हम इस सट्टे और फाटके को समाप्त कर सके तो निजी व्यवसायों को बल मिलेगा और इससे देश को लाभ पहुंचेगा।

श्री जी० डी० सोमानी (नागौर-पाली): गत वर्ष जब माननीय मंत्री ने कार्य भार संभाला था तो विभिन्न उद्योग मन्दी के शिकार बने हुए थे और औद्योगिक उत्पादन के छिन्न भिन्न हो जाने की सम्भावना थी। इस मंत्रालय द्वारा की गई कार्यवाहियों के फलस्वरूप अब वह कमी न केवल समाप्त ही हो गई है अपितु देश के औद्योगिक उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पादन का देशनांक इस समय १२७·८ है जो कि युद्ध की समाप्ति के बाद से अधिकतम है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री और उनके मंत्रालय को निष्क्रिय नहीं हो जाना चाहिये नहीं तो जो उत्पादन वृद्धि हम ने की है वह स्थिर नहीं रह सकेगी। बल्कि जो प्रगति हम ने की है वह भी समाप्त हो जायेगी।

मुझे विभिन्न उद्योगों की अनेकों वास्तविक शिकायतें मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करनी हैं, परन्तु समय की कमी के कारण मैं कुछ पर ही चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम कपड़ा उद्योग को ही लीजिये। गत वर्ष यहां

४६,००० लाख गज़ कपड़ा बनाया गया था। उत्पादन बढ़ने तथा नियंत्रण नियमों में छूट दिये जाने तथा वितरण की समुचित व्यवस्था होने के कारण यह उद्योग सन्तोषजनक रीति से कार्य करने लगा है। मेरे इस निवेदन का आशय यह है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए उत्पादन पर लगाया गया नियंत्रण एक दम असमर्थनीय है। जब वितरण की कोई ज़िम्मेदारी सरकार पर नहीं है तो उद्योग को इस बात की छूट होनी चाहिये कि उपभोक्ताओं की रुचि तथा आवश्यकता के अनुसार उत्पादन करे। विभिन्न प्रकार के उत्पादनों पर नियंत्रण को जारी रखना किसी भी भांति समर्थनीय नहीं है।

अब मैं उत्पादन शुल्क की बात लेता हूं। खादी उप कर विधेयक प्रस्तुत किया जाना है। सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री द्वारा गत बजट के अवसर पर महीन प्रकार के माल पर अत्यधिक रूप से बढ़ायें गये उत्पादन शुल्क की बात को लूंगा। मुझे यह ज्ञात है कि यह मामला वित्त मंत्रालय से सम्बन्ध रखता है, परन्तु उद्योगों का संरक्षक होने के नाते यह उनका नैतिक उत्तरदायित्व है कि वह उत्पादन शुल्क में की गई १०० प्रतिशत की वृद्धि की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करते। इससे उत्तम कोटि के माल के वितरण में बहुत रुकावट पड़ी है। यदि इस अत्यधिक उत्पादन की दर को पुनरीक्षित न किया गया तो उद्योग को बहुत हानि उठानी पड़ेगी। भारतीय कपास की कमी होने कारण इस कर वृद्धि का उपभोक्ताओं पर भी प्रभाव पड़ेगा। यदि इस शुल्क दर को पुनरीक्षित न किया गया तो कपड़े की उन क़िस्मों पर जो ग़रीब तथा मध्य वर्ग के लिए बनाई जाती हैं बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इस अवस्था पर, जब कि अन्तर्राष्ट्रीय कपड़ा व्यापार कम होता जा रहा है और कपड़े के छोटे से बाज़ार के लिए विदेशों में प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, सरकार ने इस वर्ष के आरम्भ में मोटे तथा दरमियाने दर्जे के कपड़े पर निर्यात शुल्क में संशोधन करने की जो कार्रवाई की है मैं उसकी सराहना करता हूं। किन्तु केवल इसी से समस्या हल नहीं होगी। सरकार को फ़ाइन तथा सुपरफ़ाइन कपड़े के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये भी हर सम्भव पग उठाना चाहिए। इस सम्बन्ध में विदेशी रुई के आयात पर छूट देना आवश्यक है।

कपड़ा उद्योग को पुनः व्यवस्थित करने के बारे में पुस्तिका में केवल इतना कहा गया है कि यह मामला उद्योगों की केन्द्रीय मंत्रणा परिषद् के विचाराधीन है। मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ है कि महत्वपूर्ण मामले में इतनी सुस्ती से काम लिया जा रहा है। यदि इस उद्योग के संयन्त्र और मशीनरी का जल्दी नवीकरण न किया गया, तो हमारी सारी अर्थव्यवस्था को हानि पहुंचने का डर है। मेरे विचार में उद्योग मंत्रालय को वित्त मंत्रालय से अनुरोध करना चाहिए कि वह इस उद्योग पर लगाये जाने वाले अत्यधिक उत्पाद शुल्क का कुछ अंश उद्योग को वापस कर दे, ताकि यह राशि मशीनरी के नवीकरण के लिये उपयोग की जा सके।

अब मैं एक और महत्वपूर्ण उद्योग सीमेंट के मामले को लेता हूं। पैकिंग के सामान के मूल्य गिर जाने के कारण, सरकार ने हाल में सीमेंट का मूल्य घटा दिया है। किन्तु इस सम्बन्ध में सरकार को देखना चाहिये कि अन्य सरकारी विभागों ने इस पर अधिक भार डाल दिया है, जिसके कारण मूल्य में वृद्धि की जानी चाहिये थी। उदाहरणतया रेलवे मन्त्रालय ने कोयले के भाड़े में अत्यधिक वृद्धि कर दी है और श्रम मंत्रालय ने भी विभिन्न श्रम सम्बन्धी कानून बना दिये हैं। ये सब बातें सीमेंट उद्योग पर प्रभाव

[श्री जी० डी० सोमानी]

डालती हैं और मूल्य निश्चित करते समय इन्हें ध्यान में रखना चाहिए था।

राज्य-व्यापार के बारे में हम ने बहुत कुछ सुना है। कहा गया है कि यह मामला एक समिति के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में, मैं लोक लेखा समिति की रिपोर्ट की ओर निर्देश करना चाहता हूं जिस में कहा गया है कि यदि जापानी कपड़ा सौदा के बारे में सम्बन्धित पदाधिकारी साधारणत सावधानी से काम लेते तो ५५ लाख रुपये की राशि बच सकती थी। माननीय मंत्री को इस से सबक सीखना चाहिए और राज्य व्यापार का कार्यक्षेत्र बढ़ाने में बहुत सावधानी से काम लेना चाहिए।

श्री जयरमन (टिंडीवनम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का ध्यान उन कठिनाइयों की ओर जो पिछले चार या पांच वर्षों में हमें वाणिज्य तथा उद्योग के जगत में पेश आई हैं, दिलाना चाहता हूं। सब से पहली बात यह है कि हमारा विदेशी निर्यात व्यापार बढ़ना चाहिए। किन्तु आज हमारी बहुत सी निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य गिर गये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात व्यापार में रंगे हुए चमड़े और खालों में भारत का अंश सब देशों से अधिक है। दक्षिण भारत में बहुत से चमड़ा रंगने के कारखाने हैं और केवल मद्रास राज्य में ५०,००० अनुसूचित जातियों के लोग इस उद्योग में काम करते हैं। आज मद्रास में चमड़े तथा खालों के व्यापार में बहुत मन्दी है। प्रतिस्पर्धा इतनी है कि उद्योग के हित में कोई पग नहीं उठाये जा सकते।

कोई बड़ा विनिमय केन्द्र नहीं है जहां चमड़े और खालों को इकट्ठा किया जा सके और विचवइयों के द्वारा व्यापार को विकसित किया जाये। बम्बई की रुई की मंडी की तरह इस की भी एक विनिमय मंडी स्थापित करने की बहुत आवश्यकता है। व्यापारियों को आज न केवल मूल्यों में कमी का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें कच्चा माल भी कम उपलब्ध होता है। इसका कारण यह है कि विभाजन के पश्चात् बहुत से राज्यों ने पशु-निषेध पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। हमें कच्चा माल पाकिस्तान से आयात करना पड़ता है। इस उद्योग के विकास के सम्बन्ध में मेरे कुछ सुझाव हैं : यातायात सुविधायें अर्थात् लकड़ी के फर्श वाले माल के डिब्बे उपलब्ध कराये जायें; बैटल पौधों के बड़े बड़े बाग लगाये जायें; हमारे बाज़ार के विकास के लिए हमारे विदेशी दूतावासों में विशेष पदाधिकारी नियुक्त किये जायें; चमड़े की नीलामी ब्रिटेन की बजाय भारत में ही की जाये, सरकार को चमड़ा रंगने वालों को वित्तीय निगमों द्वारा वित्तीय सहायता देनी चाहिए।

कुटीर उद्योग के पैमाने पर दियासलाई के निर्माण के बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा। तामिलनाड में सत्तूर, शिवाक्षी, रमनाद इस उद्योग के मुख्य केन्द्र हैं। इस उद्योग से केन्द्र को २ करोड़ रुपये उत्पाद शुल्क मिलता है।

तामिलनाड के १२६ कारखानों में से ३१ बन्द हो चुके हैं और शेष ९५ अपने अस्तित्व के लिए बड़ी बड़ी फर्मों से संघर्ष कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने अपनी इन फर्मों के हितों को सुरक्षित करने के लिए जो प्रतिबन्ध लगाये थे, वह आज भी जारी हैं। बहुत से लाइसेंस लेने पड़ते हैं। मुझे आशा है कि सरकार स्थिति पर पुनर्विचार करेगी और विनियमों में संशोधन करेगी। पोटाशयम क्लोरेट का एक कारखाना खोलना चाहिये। अंदमान

से दियासलाई की लकड़ी आयात की जानी चाहिए और निर्यात किये जाने वाले माल पर उत्पाद शुल्क घटा देना चाहिए।

रेलवे वस्तु भाड़े के सम्बन्ध में इस माल को श्रेणी १४ के बजाय श्रेणी ८ में रखना इस उद्योग के विकास के लिए अधिक लाभप्रद होगा।

हथकरघा उद्योग की बुरी दशा हो रही है। पहले बहुत से बुनकर अपना माल बर्मा, पूर्वी अफ्रीका और पाकिस्तान को भेजा करते थे। अब उन का बाज़ार खत्म हो गया है। हमारे देश में २५ लाख हथकरघा बुनकर हैं और उन में से कम से कम ६ लाख निर्यात का माल तैयार करने के विशेषज्ञ थे। आज उन्हें भूखों मरना पड़ा रहा है। केन्द्र ने उनकी दशा सुधारने में कुछ भी नहीं किया। या तो हमें भारत में ही ऐसे माल की मांग पैदा करनी चाहिए या निर्यात को बढ़ाने का नया आन्दोलन शुरू करना चाहिए। केवल प्रचार या विज्ञापन से ही भारत में इस माल का बाज़ार विकसित नहीं किया जा सकेगा। यह आवश्यक है कि कुछ किसम के कपड़ों को केवल हथकरघा द्वारा बनाने की अनुमति हो और यह सुरक्षा अस्थायी आधार पर नहीं बल्कि स्थायी आधार पर देनी चाहिए।

एक बात और है जिसकी ओर मैं विशेष रूप से निर्देश करना चाहूंगा और वह है आत्म निर्भरता का प्रश्न। हम हर चीज़ में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। आत्म निर्भरता के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार ने उत्पादन की मात्रा बढ़ाने पर अधिक ज़ोर दिया है, जिसके फलस्वरूप माल घटिया हो गया है। चाय के सम्बन्ध में यही समस्या है। यदि हम निर्यात की जाने वाली चाय के गुण प्रकार पर ध्यान न दें, तो हमें इसके और भी कम मूल्य मिलेंगे और चाय का बाज़ार हमारे हाथों से छिन कर इन्डोनेशिया और सीलोन के हाथों में चला जायेगा। पटसन का भी बिल्कुल यही हाल है। मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे पटसन उद्योग के विशेषज्ञों की एक टेकनिकल समिति बनायें, जो कि पटसन के गुण प्रकार को सुधारने के तरीके बतलाए।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस समय तक २३ वक्ता अपना भाषण दे चुके हैं और मुझे यह कहना पड़ेगा कि सदन ने मेरे मंत्रालय के प्रति असाधारण उदारता दिखलाई है। माननीय सदस्यों ने इस मंत्रालय की कठिनाइयों को बहुत अच्छी तरह समझा है और उन्होंने प्रशंसा के जो शब्द कहे हैं, मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। इसका श्रेय मुझ पर या मेरे सहयोगी पर नहीं है, बल्कि उन पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर है, जिन्होंने बहुत परिश्रम किया है और बड़े उत्साहजनक तरीके से बदली हुई परिस्थितियों में अपने कर्तव्य को निभाया है। मैं दस वर्ष से अधिक समय से इस सदन का सदस्य रहा हूं और मैंने देखा है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय पर चर्चा के समय सम्बन्धित मंत्री को बहुत कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा है। मेरे दो पूर्वाधिकारियों, श्री के० सी० नियोगी और श्री श्री प्रकाश को तो विशेष तौर पर बहुत ही कठिन समय से गुज़रना पड़ा था। वे मुझ से कई गुना अधिक योग्य और सक्षम थे, किन्तु उनकी कठिनाइयां कुछ ऐसी थीं कि मंत्रालय को बहुत आलोचना और निन्दा सहनी पड़ी। इस सम्बन्ध में, मैं और मेरे सहयोगी सम्भवतः बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमारे साथ नर्मी का बर्ताव किया गया है और जो आलोचना की गई है वह भी सहृदयतापूर्ण थी।

मैं स्वीकार करता हूं इस बार सदन के पक्ष तथा विपक्ष के सदस्यों ने सरकार

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

के प्रति सहृदयता दिखलाई है। मैं इसके लिए सब का आभार मानता हूं।

श्री तुलसीदास किलाचंद ने तटकर आयोग के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। परन्तु हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि यदि सरकार के प्रत्येक बोर्ड के लिए एक टैक्निकल संगठन नियुक्त किया जाए तो व्यय बहुत बढ़ जाएगा। दूसरी बात यह ध्यान में रखनी चाहिए कि तटकर आयोग १९५२ में स्थापित हुआ था। उसके पूर्ण विकसित होने में कुछ समय लगेगा। जैसे जैसे देश का औद्योगीकरण होता जाएगा वैसे वैसे इस आयोग का काम बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे वित्त आयोग की सब सिफारिशों पर अमल किया जाएगा।

मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि तटकर आयोग के कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी चाहिए। मंत्रणा कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती। हां तदर्थ मंत्रणादाता नियुक्त किए जा सकते हैं।

श्री बंसल ने सुझाव दिया है कि विकास शाखा में उच्च कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। हमारे यहां कम वेतन होने से अच्छे लोग हमें नहीं मिल पाते। अच्छे इंजीनियर और केमिस्ट हमें नहीं मिल पाते। हम इस विषय में विचार कर रहे हैं।

श्री तुलसी दास किलाचंद ने आयात नियंत्रण जांच समिति की रिपोर्ट की तरफ हमारा ध्यान दिलाया। उन्होंने निर्यात के विस्तार के लिए भी कई सुझाव दिए हैं। उन पर सरकार विचार कर रही है।

श्री अच्युतन ने कहा कि हमें अपनी वस्तुओं का विदेशों में प्रचार करना चाहिए। हम इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री कानूनगो ने जो कुछ कहा उसमें तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। वे चाहते हैं कि सरकार के पास प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन की योजना होनी चाहिए। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना सरकार का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पड़ोसी राष्ट्रों से हमें आयात भी करना चाहिए। तब ही वे हमारी वस्तुएं खरीद सकेंगे।

श्री अच्युतन् ने बताया कि उपभोक्ताओं और उत्पादकों के हितों में विरोध है। वास्तव में विभिन्न उत्पादकों के हितों में भी पारस्परिक विरोध है। इसी तरह उत्पादन, व्यापारी, उद्योगपति, आयात-निर्यात करने वाले आदि के स्वार्थ एकसे नहीं हैं। देश में ६ करोड़ पौंड ऊन होता है। कुछ लोग चाहते हैं कि यह निर्यात कर दिया जाए। दूसरे लोग उसका निर्यात सर्वथा बंद करना चाहते हैं। अतएव हमें सब प्रकार के लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नीति बनानी चाहिए।

औद्योगीकरण से देश की बेकारी की समस्या हल न होगी। अन्त में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गांवों को आत्मनिर्भर बनाने से ही समस्या दूर होगी। पंडित नेहरू कुटीर उद्योगों का विकास करना चाहते हैं परन्तु वे औद्योगीकरण भी करना चाहते हैं। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि गांवों के लोग परिवर्तन करना नहीं चाहते। हमें उनकी दशा सुधारना है। हमें वहां के निवासियों को वे सहूलियतें देना पड़ेगी जो शहर निवासियों को प्राप्त हैं। हम उनपर पुरानी बातें लागू नहीं कर सकते। हम उत्पादन के प्रत्येक क्षेत्र का आपस में समन्वय करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि कुछ ग्रामोद्योग बने रहें जिससे कि बेकारी

के समय वे काम आएं। ग्रामोद्योग हथकरघा और खादी के लिए सरकार ने काफी रुपया खर्च करने का निश्चय किया है। जो लोग कहते हैं कि सरकार ने ग्राम उद्योगों के लिए कुछ नहीं किया उन्हें मालूम होना चाहिए कि खादी के लिए ६ करोड़ तथा कुटीर उद्योगों के लिए १ करोड़ रुपया नियत किया गाया है। यदि ग्रामों में फैली हुई बेकारी मिटाने में हमारी योजनाएं सफल हों तो सरकार इसके लिए पर्याप्त रुपए खर्च करेगी।

कुछ सदस्यों ने कहा कि हमें विदेशों से अधिक वस्तुएं न मंगानी चाहिएं। विदेशी विनियम की उपलब्धता तथा आवश्यक वस्तुओं को आयात करने की दृष्टि से हम अनावश्यक वस्तुओं का आयात बन्द कर सकते हैं। परन्तु हम सदैव के लिए सब वस्तुओं का आयात बन्द नहीं कर सकते।

श्री बंसल ने विदेशी पूंजी और देश के औद्योगीकरण की चर्चा की है; पैंच बनाने के लिए एक विदेशी सार्थ को इस देश में कारखाना खोलने की अनुज्ञा सरकार ने दी है क्योंकि लोग अभी भी विदेशी पैंच खरीदते हैं। इस सार्थ के कारण अत्यधिक उत्पादन नहीं हो जाएगा।

श्री झुनझुनवाला, डा० दास और श्री मिश्र ने जूट की चर्चा की। श्री मिश्र की आलोचना उचित नहीं है। श्री झुनझुनवाला के अनुसार यदि हम जूट का निर्यात कर दें तो लोगों की कठिनाइयां कम हो जाएंगी। श्री मिश्र चाहते हैं कि मिलों में आधुनिक यंत्र लगाए जाएं। अभी एक करघे के लिए लगभग ४ व्यक्ति लगते हैं। यदि नई मशीनें लगाई जाएं तो उत्पादन व्यय १५ प्रातशत कम हो सकता है। इससे जूट उत्पन्न करन वाले किसानों को ३ रुपए प्रतिमन, अधिक मूल्य मिल सकेगा। इसके लिए साठ या सत्तर करोड़ रुपए लगेंगे तथा ८०,००० लोग बेकार हो जायेंगे। यदि विदेशों की मांग काफी बढ़ जाए तब ही हम नई मशीनें लगाएंगे। पर इस कार्य को अधिक दिनों के लिए स्थगित भी नहीं किया जा सकता।

सदन में राज्य व्यापार की चर्चा हुई है। इसके लिए बहुत पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी तथा इसमें लाभ के साथ हानि होन की भी संभावना है। इस कार्य के लिये उपयुक्त कर्मचारियों की भी आवश्यकता पड़ेगी। अभी सरकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेवारी पर लाखों रुपयों के बिल पास नहीं करेंगे।

कुछ सदस्यों ने पश्चिमी घाट की ओर ध्यान दिलाया। मलाबार में लोगों की सहायता करने के लिये हम ने कुछ कार्य-वाहियां की हैं। वहां की बेकारी को दूर करने का भी हम प्रयत्न कर रहे हैं।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय काली मिर्च के बारे में विचार कर रहा है। हम शीघ्र ही पश्चिमी घाटों के बन्दरगाहों में फ्यूमीगेशन प्लांट स्थापित कर देंगे।

श्री बसु ने पूंजी वस्तुओं के आयात की बात उठाई थी। वे केवल प्रतिशत की बात करते हैं। वे कहते हैं कि अब पहले की अपेक्षा कम प्रतिशत राशि की पूंजी वस्तुएं आयात की जाती हैं। प्रतिशत से ठीक ठीक पता नहीं चलता। हमें यह भी देखना है कि कितने रुपयों की पूंजी वस्तुएं आयात की गई हैं। १९४९-५० में १०६ करोड़ रुपए की पूंजी वस्तुएं आयात हुई थीं। अगले वर्ष ८० करोड़ की कीमत की पूंजी वस्तुएं आईं। १९५१-५२ में १०० करोड़ रुपए की आईं। इस वर्ष अभी तक ६५ करोड़ रुपए की पूंजी वस्तुएँ

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

आई हैं। आयात की गई सकल राशि के हिसाब से तो कम प्रतिशत राशि पूंजी वस्तुओं पर खर्च की गई है। दूसरी बात हमें यह ध्यान में रखनी चाहिए कि हम देश में भी पूंजी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। कपड़ा बनाने की मशीनें डीजल एंजिन आदि देश ही में बनते हैं। हमें चाहिए कि इन वस्तुओं का आयात न करें।

श्री के० क० बसु (डायमंड हार्बर) : क्या आपका तात्पर्य यह है कि विदेशों से पूंजी वस्तुओं के आयात की अब कोई आवश्यकता नहीं है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : आवश्यकता है, आवश्यकता होने पर ही वस्तुएँ विदेशों से बुलाई जाएंगी।

श्री मुनिस्वामी ने चमड़ा पकाने के उद्योग की चर्चा की। हम खाल और चमड़े के उद्योग की आवश्यकताओं का अध्ययन कर रहे हैं। चमड़े का उद्योग तथा व्यापार करने वाले व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त होने पर हम बहुत कुछ कर सकेंगे।

हमें देश में उद्योग का विकास करना है। सरकारी योजनाओं के सफल होने पर लोगों की आय तथा वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। इस कारण वैयक्तिक क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा। इसके लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। भारतीय पूंजी भी उद्योगों में आकर्षित होगी। यदि वह पर्याप्त नहीं हुई तो विदेशी पूंजी का उपयोग किया जा सकता है। विदेशी पूंजी के विषय में लोगों को कुछ भ्रम है। विदेशी पूंजी लगाने से हम को लाभ होगा। याद भारतीय पूंजी पर्याप्त नहीं होगी तो विदेशी पूंजी का उपयोग करना चाहिए। कुछ सदस्य समझते हैं कि देश में अत्यधिक विदेशी पूंजी आ रही है। बात ऐसी नहीं है। देश में पूंजी की बहुत कमी है। यदि औद्योगीकरण के लिए विदेशी पूंजी आवश्यक हुई तो हमें उसका उपयोग करने में हिचक नहीं होनी चाहिये।

औद्योगीकरण से मेरा तात्पर्य केवल आधार उद्योगों की स्थापना से नहीं है। इन से पूंजी वस्तुएं उत्पन्न होंगी तथा जीवनस्तर न बढ़ेगा। उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करने से ही जीवन स्तर बढ़ेगा। अतएव छोटे उद्योगों को भी महत्व देना चाहिए। इस क्षेत्र में भी विदेशी पूंजी का हम बहिष्कार नहीं कर सकते। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमें किसी प्रकार भी विदेशी पूंजी प्राप्त करनी चाहिए। यदि वह हमें उचित शर्तों पर प्राप्त होगी तो हम उसे लेंगे अन्यथा नहीं। हम विदेशी पूंजीपतियों को कुछ आश्वासन भी दे सकते हैं। परन्तु हमने इस बात का सदा ध्यान रखा है कि विदेशियों द्वारा चलाई गई साथों में थोड़ी देशी पूंजी अवश्य रहे। अभी उद्योगों के ऊपर सरकार का कुछ नियंत्रण है। हम उनके ऊपर पूरा नियंत्रण करना चाहते हैं जिससे कि उद्योगपति राष्ट्रहित के विरुद्ध कार्य न कर सकें तथा उपभोक्ताओं के हितों की अपेक्षा न करें। ऐसा नियंत्रण विदेशी साथों पर भी रहेगा। वे समाज विरोधी नीतियों का अनुसरण न कर पाएँगे। इन बातों को छोड़ विदेशी पूंजीपतियों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा देशी पूंजीपतियों के साथ होता है।

उन कारखानों का भी पूरा समुपयोजन किया जाना चाहिए जो हम स्थापित कर चुके हैं। सहाय उद्योगों की स्थापना की ओर हमने बिलकुल ध्यान नहीं दिया है। उद्योगपति आवश्यक वस्तुओं का आयात करना चाहते हैं। वे इस बात की कोशिश नहीं करते कि आवश्यक वस्तुएं देश ही में

उत्पन्न की जा सकें । हम अपनी पूर्ण उत्पादनक्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हैं । देश की उत्पादन क्षमता का हमें आपरीक्षण कराना चाहिए जिससे पता चल सके कि कहां कहां पर विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है । सीमेंट, कागज, कपड़ा, चीनी आदि बनाने की मशीनें हम देश में ही बना सकेंगे ।

इन मार्गों पर सदन ने सहृदयतापूर्वक विचार किया है । इसके लिए मैं सदन का आभार मानता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं कटौती प्रस्तावों को सदन के मत के लिये रखूंगा ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि ३१ मार्च, १९५४ को समाप्त होने वाले वर्ष में मांग संख्या १,२,३,४ तथा ११० के सम्बन्ध में जो व्यय होगा उसे पूरा करने के लिये राष्ट्रपति को क्रम पत्र में उल्लिखित राशियों तक की राशियां दी जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

[सदन द्वारा जो मांगें स्वीकृत की गईं वे नीचे दी जाती हैं]

मांग संख्या १—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय—६६,२४,००० रुपये ।

मांग संख्या २—उद्योग—१०,९०,९३,००० रुपये ।

मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा सांख्यकी—४७,९८,००० रुपये ।

मांग संख्या ४—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत प्रकीरण विभाग तथा व्यय—३६,९०,००० रुपए

मांग संख्या ११०—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय—५,७०,९९,००० रुपये ।

खादी तथा अन्य हथ करघा उद्योग विकास (कपड़े पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) विधेयक—असमाप्त

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योगों का विकास करने और खादी तथा अन्य हथकरघा कपड़ों के विक्रय में वृद्धि करने के प्रयोजनार्थ धन इकट्ठा करने के लिये कपड़े पर एक अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के आरोपण तथा संग्रहण का उपबन्ध करने वाले एक विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सदन के सदस्य जानते हैं कि जिस दिन यह विधेयक पुरःस्थापित हुआ था उस दिन से, अर्थात् १५ फरवरी से, सरकार, "करों का अन्तकालिन संग्रहण अधिनियम, १९३१" के अन्तर्गत, उत्पादित कपड़े पर तीन पाई प्रतिगज की दर से एक उपकर ले रही है । इस विधेयक का मुख्य भाग खंड ३ है जिसमें कपड़े पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के आरोपण का उल्लेख है । जहां तक परिभाषा खंड अर्थात् खंड २, और खंड ४ तथा पांच का प्रश्न है, वे गौण हैं ।

माननीय सदस्यों ने परिभाषा के सम्बन्ध में कुछ शंकायें प्रकट की हैं । एक माननीय सदस्य ने तो मुझ से यह पूछा कि हथकरघा कपड़े में रेशम, नकली रेशम तथा ऊन आदि से बुना गया कपड़ा क्यों शामिल होना चाहिये

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

इसके उत्तर में मुझे यह कहना है कि बावजूद इस बात के कोई कपड़ा किसी मिल में बना है, असली चीज उसकी बुनाई ही होती है और हमें व्यापार की वर्तमान परम्पराओं को भी ध्यान में रखना होता है जिसके अनुसार वे न केवल रेशम का ही बल्कि नकली रेशम, ऊन आदि का भी प्रयोग करते हैं।

खंड ४ के विषय में मुझे यह कहना है कि जहां तक उक्त शुल्क के आरोपण से प्राप्त आय के प्रयोग किये जाने का प्रश्न है सरकार उस धन को ऐसे ढंगों से प्रयुक्त कर सकती है जो वांछनीय हों। उसमें जो मद दिये गये हैं वे तो उदाहरण स्वरूप हैं। यह बात नहीं है कि सरकार उक्त धन का उपयोग इनके अलावा किसी अन्य तरीके से नहीं कर सकती। खंड ४ के भाग (क) से (छ) तक सरकार को ऐसा करने से नहीं रोकते।

खंड पांच में नियम बनाने की शक्ति दी गई है। हम यह ठीक-ठीक तो नहीं कह सकते हैं कि इस उपकर के लगाये जाने से हमें कितनी आय होगी, परन्तु हमारा अनुमान है कि यह लगभग ५ करोड़ रुपये होगी। हो सकता है कि इससे कुछ अधिक हो जाये, कुछ माननीय सदस्यों ने साधारण चर्चा के दौरान में कहा था कि आय इससे कहीं अधिक होगी। परन्तु मैं ऐसा नहीं समझता क्योंकि हम निर्यातित कपड़े पर यह उपकर नहीं लगायेंगे। अतः आय ५-६ करोड़ के लगभग होगी। स्वभावतः इस आय में से जितनी राशि व्यय की जायेगी उस पर सिद्धान्त रूप से सदन की स्वीकृति ली जानी होगी। अतएव इस विधेयक के पारित हो जाने से संसद् के नियन्त्रण में कोई कमी नहीं आयेगी। इसके द्वारा तो केवल सरकार को उपकर लगाने की अनुमति दी जा रही है।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक के पृष्ठ में कोई गुप्त बात नहीं है और इस सदन की अनुमति के बिना कुछ नहीं किया जा रहा है। यह तो एक स्पष्ट विधान है जिसका खंड ३ ही प्रमुख है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया जाये। परन्तु मैं नहीं समझता कि प्रवर समिति इसमें कोई सुधार कर सकेगी। जब वित्त विधेयक ही, जिसम इतने अधिक खंड हैं, प्रवर समिति को नहीं भेजा जा रहा है तो फिर इस सीधे सादे खंड ३ के भेजे जाने की क्या आवश्यकता है। सदन या तो सरकार को यह उपकर लगाने की इजाजत दे दे या साफ इंकार कर दे। सदन उपकर की राशि में फेर बदल कर सकता है — तीन पाई के स्थान में दो पाई, एक पाई या आधी पाई रख सकता है परन्तु यह काम तो एक साधारण संशोधन के जरिये भी हो सकता है। फिर इसके प्रवर समिति को सौंपे जाने की क्या आवश्यकता है ?

[**श्री पाटस्कर** अध्यक्ष-पद पर आसीन]

अब मैं मोटी तौर से यह बताऊंगा कि इस उपकर से जो आय होगी वह किस प्रकार व्यय की जायेगी : इस वर्ष लगभग एक करोड़ रुपया तो हम खादी के सम्बन्ध में उठायेंगे। मुख्य रुप से, इस राशि से मजदूरों को सहायता दी जायेगी। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है वह इसे सामाजिक बीमे की एक योजना समझती है – इससे बेकारी दूर करने के कार्य में सहायता मिलेगी। मुझे यह कहते हुये प्रसन्नता है कि इस मामले में हमने

जिन लोगों से सहायता देने की प्रार्थना की है वे ऐसे लोग हैं जिनके कोई राजनैतिक हित नहीं है। वस्तुतः वे इस सरकार के अत्यधिक निष्पक्ष आलोचक हैं। सरकार इस धन को किसी ढंग विशेष से व्यय किये जाने का आग्रह नहीं करेगी। हां, एक आयव्ययक अवश्य तैयार किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि सदन को अब विश्वास हो जायेगा कि इस धन का अत्यधिक उचित ढंग से उपयोग किया जायेगा।

जहां तक हथकर्घों पर व्यय का सम्बन्ध है, सदन जानता है कि सरकार ने एक हथकरघा बोर्ड बनाया है। यह बोर्ड मुख्य रूप से एक मंत्रणा बोर्ड है। सरकार का इरादा यह है कि वह राज्य सरकारों से स्थानीय हथकरघा बोर्ड बनाने और उनसे आयव्ययक बनवाने के लिये कहे। तब सरकार धन स्वीकृत करेगी। धन मुख्य रूप से राज्य सरकार को दिया जायेगा। व्यय की देखभाल करना राज्य सरकार का काम होगा, यद्यपि हम कुछ ऐसे सिद्धान्त निर्धारित कर सकते हैं जिनके अनुसार उक्त धन व्यय किया जाये यदि आवश्यक हुआ तो हम हथकरघा बोर्ड से एक-दो 'सुपरवाइजर' नियुक्त करने के लिये भी कह सकते हैं ताकि वे ये देख सकें कि धन किस प्रकार व्यय किया जा रहा है। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि इस विषय में राज्य सरकार पर कोई विशेष नियन्त्रण लगायें। राज्य सरकार के समक्ष जो मोटी नीति हम रखना चाहते हैं वह यह है कि कम से कम प्रथम वर्ष में तो हम सहकारी समितियों के द्वारा ही कार्य करें। मैं जानता हूं कि अब हथकरघा उद्योग को तुरन्त सहायता की आवश्यकता है। मैं यह भी जानता हूं कि कुछ विशेष वस्तुओं का निर्माण हथकरघों के लिये सुरक्षित रखने मात्र से वांछित परिणाम नहीं निकल सकेंगे। हथकरघों से कपड़ा बुनने वाले लोगों को सहायता देने के लिये कुछ अधिक ठोस कार्यवाहियां की जानी होंगी। इसीलिये मैं यह चाहता हूं कि राज्य सरकारें पहले सहकारी समितियों के द्वारा कार्य करें। प्रत्येक जुलाहे को सहकारी समिति के अन्तर्गत लाया जाये। यदि सम्भव हो तो शीर्ष-समिति एक लाख करघों के आधार पर बनाई जाये जिसके नीचे कई प्रारम्भिक समितियां कार्य करें। प्रारम्भिक समितियां जुलाहों को सूत देने आदि का कार्य करें और यदि जरूरत पड़े तो शीर्ष-समिति सामान के विक्रय के लिये (वाणिज्यालय) ऐम्पोरियम भी खोले। इसमें हानि तो अवश्य होगी क्योंकि हम मजदूरों को भूखा नहीं रखना चाहते और न ही हम यह चाहते हैं कि उनसे उनके स्वामी या फैक्टरियां बहुत अधिक काम लें। हमारा अभिप्राय यह है कि हम बेचारे जुलाहों को बीच वालों के पंजों से मुक्त करें। अतः हमें उन्हें अच्छी मजूरी देनी होगी। किसी वस्तु पर जितनी लागत आयेगी, हो सकता है उसको देखते हुए तथा उसके विक्रय मूल्य को देखते हुए हमें नुकसान हो। हमें एक डिजायन विभाग भी स्थापित करना पड़ेगा। यह सब कार्य राज्य हथकरघा बोर्ड तथा उसके द्वारा बनाये जाने वाली अन्य संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।

माननीय सदस्य यह न समझ बैठें कि मैं आवश्यकता से अधिक आशा दिला रहा हूं। यह मेरी इच्छा नहीं है। मेरे विचार में एक या दो वर्ष में कुछ अधिक नहीं हो सकता है। यदि राज्य सरकारें उस तरह से सहमत हो जाती हैं तो इस सहायता द्वारा जुलाहों को समाज में एक स्थायी स्थान दिया जा सकता है। यदि इस योजना द्वारा जुलाहों का भला होता है तथा उन्हें काम मिलता है तो हम इस योजना को कार्यान्वित करने का खर्च इस विधेयक द्वारा जमा किये गये धन या अन्य साधनों द्वारा पूरा करने के लिये

[श्री टी० टी० कृष्णामचारी]

तैयार हैं। मोटे तौर पर हम इसी योजना को लेकर काम करना चाहते हैं। माननीय सदस्य इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे कि हमें इस मामले में विभिन्न राज्यों के कामों का समन्वय करना पड़ता है। हो सकता एक राज्य जरा इससे भिन्न रूप से काम करना चाहे। अनेक राज्यों में कुछ योजनायें चालू हैं। मद्रास में, जहां पर शायद जुलाहों की सबसे बड़ी संख्या है, पहले ही से सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं। परन्तु इनके कार्य संचालन में एक कठिनाई उत्पन्न हो जाती है और वह यह कि आवर्त्तक व्यय को पूरा करने के लिये उनके पास धन नहीं होता और इसीलिये उनके काम में बाधा पड़ जाती है।

मेरा विचार अपने सहकारी माननीय वित्त मंत्री से भी इस सम्बन्ध में सहायता लेने का है। मैं चाहता हूं कि वह रिजर्व बैंक से ऐसे सहकारी बैंकों की सहायता करने के लिये कहें जो ऐसी समितियों को धन उधार देते हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें साधारण तौर पर इसी सहकारी प्रणाली द्वारा सहायता मिले तथा रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों द्वारा प्रस्तुत की गई हुंडियों पर बट्टा सम्बन्धी सहायता देता रहे। मुझे इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं है कि वर्तमान गवर्नर के होते हुए, जो हमारे द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देश किये जाने वाले हर मामले पर प्रसन्नतापूर्वक विचार करने के लिये तैयार रहते हैं, हम अपनी योजना को सफल बना सकेंगे। इस उद्देश्य को भी सामने रखते हुए कि हम इस शुल्क द्वारा जमा किये गये धन से उनकी सहायता करेंगे, सदन को इस विधेयक को पारित कर देना चाहिये। मैं सदन से एक बार पुनः यह निवेदन करता हूं कि यह करारोपण का एक बहुत ही सीधा सा विधेयक है तथा हम चाहते हैं कि अन्य वित्तीय विधेयकों के साथ साथ यह भी पारित कर दिया जाये। जहां तक इस विधेयक के कार्यान्वित करने की तिथि का सम्बन्ध है वह १५ अप्रैल रखी गई है और इसीलिये मैं सदन से इस विधेयक को इसी समय पारित करने का निवेदन कर रहा हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योगों का विकास करने और खादी तथा अन्य हथकरघा कपड़ों के विक्रय में वृद्धि करने के प्रयोजनार्थ धन इकट्ठा करने के लिये कपड़े पर एक अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के आरोपण तथा संग्रहण का उपबन्ध करने वाले एक विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"जुलाई, १९५३ के अन्त तक सर्व साधारण की सम्मति जानने के लिये इस विधेयक को परिचालित किया जाये।"

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

डा० एम० एम० दास (बर्दवान—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"इस विधेयक को निम्न सदस्यों, श्रीमती उमा नेहरू, श्रीमती जयश्री रायजी, पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय, पंडित ठाकुर दास भार्गव, सेठ गोविन्द दास, श्री हरि विनायक पाटस्कर, श्री अरुण चन्द्र गुहा, श्री श्री नारायण दास, श्री एम० एम० वल्लाथरास, श्री पी० टी० चाको, श्री देवेश्वर सर्मा, श्री लोकनाथ मिश्र, डा० सुरेश चन्द्र, श्री एस० वी० रामास्वामी श्री लक्ष्मणसिंह चरक, श्री वी० पी० नायर, श्री शकर शांताराम

मोरे, श्री नेमीचन्द्र कास्लीवाल, श्री टी० टी० कृष्णमाचारी तथा प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये तथा प्रवर समिति को अपना प्रतिवेदन अप्रैल, १९५३ के अन्तिम सप्ताह के पहले दिन तक उपस्थित करने का निर्देश दिया जाये।"

सभापति महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम): मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आखिरकार केन्द्र ने खादी तथा हथकरघा उद्योग में सुधार करने के निमित्त छः करोड़ रुपये की व्यवस्था की। परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि ऐसा करने में देर हो गई है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र से, जिसमें लगभग डेढ़ लाख करघे हैं, बहुत से व्यक्ति अपना काम छोड़ छोड़ कर अन्य स्थानों को चले गये हैं। वहां की हालत काफी खराब है। होना तो यह चाहिये था कि यह विधेयक कुछ महीने पहले ही पारित किया गया होता फिर भी मैं इसका स्वागत करता हूं क्योंकि इससे जुलाहों की हालत कुछ तो सुधरेगी ही।

मेरे विचार में समस्त भारत में २५ लाख करघे हैं। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से इन पर लगभग दो करोड़ व्यक्तियों का जीवन निर्भर करता है। फिर भी अभी तक इस उद्योग को वह सहायता नहीं दी गई है जो इसे दी जानी चाहिये थी।

माननीय मंत्री ने बतलाया कि यह धन अधिकतर सहकारी समितियों को दिया जायेगा। मैं भी इन सहकारी समितियों के महत्व को मानता हूं तथा स्वीकार करता हूं कि वे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। परन्तु मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में मास्टर जुलाहों को न भूला दिया जाये। वे एक तरह से बहुत ही उपयोगी प्रमाणित हुये हैं। जुलाहों की हर प्रकार से सहायता करने के अलावा वे इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि कपड़े की किस्म में गिरावट न आ जाये। इस प्रकार वे अपने आप में एक संस्था से बन गये हैं। अतएव जहां सरकार सहकारी समितियों को सहायता देने का विचार रखती है उसे इन मास्टर जुलाहों का भी ध्यान रखना चाहिये। सहकारी समितियों को रियायती दरों पर सामान मिल जाता है फिर भी वे उसी दर पर कपड़ा बेचती हैं जिस पर कि साधारण जुलाहा बेचता है जिसे सामान खरीदने में कोई रियायत नहीं मिलती। अतः इन समितियों से उपभोक्ता को कोई लाभ नहीं होता। होना तो यह चाहिये कि सहकारी समितियां उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर कपड़ा दें क्योंकि उन्हें सब सामान रियायती दर पर मिलता है पर वे ऐसा नहीं करतीं। वे सारा लाभ अपने आप तक सीमित रखती हैं। सहकारी समितियां भ्रष्टाचार से खाली नहीं हैं। अतएव मेरा निवेदन है कि मास्टर जुलाहों को प्रोत्साहन दिया जाये जिस से उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर कपड़ा मिल सके। अक्सर पैसे की कमी के कारण इन मास्टर जुलाहों का काम रुक जाता है इसलिये सरकार को चाहिये कि वह इन मास्टर जुलाहों को अपना निगम बनाने में सहायता दे। इस प्रकार वह कपड़े की किस्म पर भी नियंत्रण रख सकेगी।

इकट्ठा किया गया धन हथकरघा उद्योग के वैज्ञानिकन तथा उत्पादन के प्रमापीकरण पर भी व्यय किया जाना चाहिये। मैं अनेक प्रक्रियाओं के ब्योरे में तो जाना नहीं चाहता, फिर भी, साड़ी की लम्बाई में कमी और बढ़ती करने के कारण काफी समय नष्ट हो जाता है। कई स्थानों पर तो २०० गज लम्बे ताने तक बनाये जाते हैं और यदि ऐसे ताने साधारणतः बनाये जाने लगें तो हथकरघा उद्योग को काफी सहायता मिलेगी। कपड़ा धोकर सफ़ेद बनाने वाले यंत्र आदि उन्हें दिये जाने चाहियें जिससे वे भी कपड़े को

[श्री एस० वी० रामस्वामी]

उपभोक्ताओं के लिये अधिक आकर्षक बना सकें। मुझे आशा है कि यह धन इन सुविधाओं के देने पर भी व्यय किया जायेगा।

गत नवम्बर में मद्रास विधान सभा ने एक संकल्प सर्व सम्मति से पारित किया था कि धोती और साड़ियां तैयार करने का एकाधिकार केवल हथकरघा उद्योग को दिया जाना चाहिये। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस संकल्प पर ध्यानपूर्वक विचार करें क्योंकि यह इस उद्योग के विकास करने में सहायक होगा। यह संकल्प कोई नया नहीं है। यदि आप तथ्य अन्वेषण समिति की रिपोर्ट को देखें, जिसे प्रो० पी० जे० टामस की अध्यक्षता में १९४२ में तैयार किया गया था, तो उस समिति ने पृष्ठ २२६ पर अनेक प्रकार के रक्षणों का उल्लेख केया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि रिपोर्ट के छप जाने पर भी उसे प्रकाशित नहीं किया गया था। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री इस रिपोर्ट को प्रकाशित करा दें क्योंकि यह रिपोर्ट इस उद्योग के लिये बहुत ही उपयोगी प्रमाणित होगी।

यह कहीं अच्छा होगा यदि माननीय मन्त्री अन्य प्रकार की सहायता देने के साथ साथ मिलों में करघों को न बढ़ने दें। उद्योग नियन्त्रण तथा विकास अधिनियम के अन्तर्गत लगभग ८०,००० करघे बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है। तकुओं के बढ़ाये जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उनसे हमें अधिक सूत प्राप्त होगा किन्तु करघों का बढ़ाया जाना तो जुलाहों के लिये किसी भी प्रकार लाभदायक नहीं होगा। अतएव मेरा निवेदन है कि मिलों में करघों की संख्या न बढ़ने दी जाये।

एक दूसरी बात यह है कि हमें दूर स्थित गांवों में भी जुलाहों को मिल की दर पर सूत दिलाने की व्यवस्था करनी चाहिये। यदि माननीय मंत्री इस उद्योग की सहायता ही करना चाहते हैं तो उन्हें जापान से १०, २० तथा १०० तकुए वाली मशीनें आयात करके देश के कोने कोने में बांट देनी चाहियें जिससे जुलाहों को मिल के सूत पर निर्भर रहने की आवश्यकता न रहे। जुलाहा इन मशीनों को अपने घरों में लगा कर सूत के बारे में आत्मनिर्भर हो सकता है।

अन्त में, मेरा निवेदन है कि यह उद्योग अधिकतर निर्यात पर निर्भर करता है और निर्यात के लिये कपड़े की किस्म पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। माननीय मंत्री को चाहिये कि वह कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे ऐसा कोई भी कपड़ा भारत से निर्यात न किया जा सके जिस पर प्रमापीकरण की मोहर न लगी हो। एक दूसरे विधेयक द्वारा न केवल धोती और साड़ियां बनाने का एकाधिकार हथकरघा उद्योग को दिया जाना चाहिये बल्कि ३६ से ५४ इंच की चौड़ाई वाले कपड़े भी बनाने का एकाधिकार उसे दिया जाना चाहिये। हथकरघा उद्योग को अपने पैरों पर खड़े करने का यही उपाय है।

श्री केलप्पन (पोन्नानी) : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार ने खादी तथा अन्य कुटीर उद्योगों की ओर अपना ध्यान दिया है।

चरखा संघ के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले वर्षों से खादी का उत्पादन और बिक्री काफ़ी कम होती जा रही है। यह जो शुल्क लगाया जा रहा है उससे खादी के उत्पादन में काफी वृद्धि हो सकेगी। यदि सरकार खादी तथा ग्राम उद्योग परिषद् को उत्पादन बढ़ाने के लिये कुछ करोड़ रुपये दे और यदि यह परिषद् सरकार को सहयोग दे, तो

उत्पादन काफ़ी बढ़ जायेगा । परन्तु इससे उसके दामों में कमी नहीं होगी । जब तक इसके दाम मिल के बने कपड़े के बराबर नहीं आ जायेंगे तब तक आप उसकी बिक्री नहीं बढ़ा सकते । यदि खादी के दाम कम होंगे तो बहुत से लोग उसका प्रयोग करने लगेंगे । परन्तु फिर एक नई समस्या खड़ी हो जाती है । यदि चरखा संघ अपना उत्पादन बढ़ा दे तो फिर इस लाखों गज़ खादी का क्या होगा ? क्या सरकार इस बिना बिकी खादी को ख़रीदने के लिये तैयार होगी ? यदि वह इस अतिरिक्त मात्रा को ले भी ले, तो फिर वह इसका करेगी क्या ? इस के लिये चरखा संघ ने एक पंचवर्षीय कार्यक्रम बनाया है उसने सरकार के सामने कुछ सुझाव रखे हैं जो इस प्रकार हैं :

(१) सरकार यह घोषणा कर दे कि प्रत्येक गांव अपने लिये कपड़ा स्वयं तैयार करे ।

(२) खादी को सरकारी वेश-भूषा घोषित किया जाये ।

(३) सरकार अपनी सारी ज़रूरतों के लिये केवल खादी का ही प्रयोग करे ।

(४) सरकार से यह आश्वासन मिलना चाहिये कि वह कातने वालों से सूत की ख़रीद का प्रबन्ध कर देगी, बशर्ते कि यह लोग स्वयं खादी का प्रयोग करें ।

(५) प्रारम्भिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में सूत कातना अनिवार्य विषय बनाया जाये ।

(६) हर गांव या उस पंचायत को गांव के अन्दर आने वाले कपड़े, तेल, चीनी आदि पर अपने यहां के घरेलू उद्योगों को संरक्षित करने के लिये शुल्क लगाने का अधिकार हो ।

(७) मिल के कपड़े पर शुल्क लगाया जाये ।

(८) यह शुल्क खादी को सस्ता करने पर ही नहीं वरन् उसकी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर भी ख़र्च हो ।

(९) इस शुल्क का कुछ भाग गांव वालों को काम पर लगाने के लिये खर्च किया जाये और कुछ खादी उत्पादन के तरीक़ों में सुधार करने पर ।

(१०) गांव के जिन लोगों के पास खादी डिप्लोमा हो, उनके साथ काम पर लगाने के मामले में रियायत की जाये ।

(११) यदि चरखा संघ की सहायता ली जाये तो उस को अपने कार्य में पूरी स्वतन्त्रता मिले ।

यदि सरकारी कर्मचारियों से खादी पहनने के लिये कहा जाये, तो इसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है । आख़िर इससे उनका ख़र्च तो बढ़ेगा नहीं । जब अंग्रेज़ों के ज़माने में लोग टाइयां लगा सकते थे और सूट पहन सकते थे तो अब हम उन से खादी पहनने के लिये भी कह सकते हैं ।

हमारे सामने प्रश्न यही है कि जब खादी का उत्पादन बढ़ जायेगा तो फिर इतनी मात्रा का होगा क्या ? जैसा मैं कह चुका हूं हो सकता है कि सरकार सारी खादी न ख़रीद सके । मद्रास में, मुख्य मंत्री ने एक हल निकाला है । उन्होंने धोतियां और साड़ियां बनाने का काम केवल हस्तकरघा उद्योग के लिये रक्षित कर दिया है । परन्तु मैं समझता हूं इससे भी समस्या हल न होगी । इससे खादी और हस्तकर्घे के बने कपड़े के बीच संघर्ष होगा । लोग खादी क जगह हस्तकर्घे से बना सस्ता कपड़ा लेना पसन्द करेंगे ।

एक बात और है । खादी तथा हस्तकरघा उद्योग को मिल के बने कपड़े पर वसूल किये जाने वाले शुल्क पर निर्भर कर दिया गया है । मेरे विचार में सिद्धान्त रूप में यह चीज़ उचित नहीं । यदि मिल के कपड़े

[श्री केलप्पन]

की खपत कम होगी तो हमें खादी के विकास के लिये कम शुल्क प्राप्त होगा। अतः इसे शुल्क पर निर्भर न किया जाये बल्कि इसके लिये क्षेत्र खुला छोड़ दिया जाये ताकि उसका विकास पूरी तरह हो सके। मिलों में बने सारे कपड़े को निर्यात के लिये रख कर तथा खादी को और हस्त करघे से बने दूसरे कपड़ों को देश की खपत के लिये रख कर भी हम समस्या को सुलझा सकते हैं। मेरा एक सुझाव यह भी है कि सरकार इस शुल्क में, जो तीन पाई प्रति गज़ है, वृद्धि करे।

मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह हस्त करघे के बारे में सरकार की निश्चित नीति की घोषणा करें। मेरा सुझाव तो यह है कि खादी और हस्त करघे के बने कपड़े के क्षेत्र निश्चित कर दिये जायें, उदाहरण के लिये हस्तकरघों से बीस काउंट से कम वाला कपड़ा न बनवाया जाये। शेष सब प्रकार की ज़रूरतें खादी से पूरी की जायें। मुझे पता चला है कि चरखा संघ ने हाल ही में एक नया चरखा बनाया है जिससे एक घंटे में दो लच्छी सूत निकाला जा सकता है। यदि इस चरखे को सरकार सस्ते दामों पर बेचे तो ग़रीब लोग हमें वो सारा सूत दे सकते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है और स्वयं भी अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मुझे डर है कि सरकार को निकट भविष्य में खादी तथा हस्त करघे से बने कपड़े के लिये ग्राहक ढूंढने में बहुत कठिनाई होगी परन्तु मैं आशा करता हूं कि वह इसका कुछ न कुछ हल निकालने में सफल हो सकेगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब चेयरमैन साहब, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने इस ज़रूरी बिल पर मुझे बोलने का मौक़ा दिया।

मैं माननीय मंत्री को इस विधेयक के लिये बधाई देता हूं परन्तु साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि माननीय मंत्री से हमें जितनी आशा थी वह पूरी नहीं हुई। मेरी शिकायत यह है। वह यहां पर केवल मंत्री ही नहीं हैं, सदन में वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो संविधान में अनुच्छेद ४१, ४२ व ४३ के रखे जाने के लिये उत्तरदायी हैं। इन अनुच्छेदों का सम्बन्ध काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार, काम की न्याय तथा मानवोचित दशाओं के उपबन्ध तथा श्रमिकों के लिये निर्वाह मजूरी आदि से है। जब मैंने मन्त्रालय की रिपोर्ट पढ़ी तो मैंने सोचा कि सदन के प्रत्येक सदस्य को माननीय मंत्री को बधाई देनी चाहिये। परन्तु जब मैं यह देखता हूं कि यही मंत्री इन उपबन्धों के रखे जाने के लिये उत्तरदायी हैं तो मुझे इस विधेयक में कुछ कमियां मालूम होती हैं।

मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि देश में बेकारी को दूर करने के लिये उनके पास क्या उपाय है? योजना आयोग की रिपोर्ट को पढ़ कर मुझे बड़ी निराशा हुई यदि आप इतिहास को देखें तो पता चलेगा कि वर्ष १९२० में हम विदेशी कपड़े को जलाया करते थे। उस समय महात्मा गांधी यह कहते थे कि देश के लोगों को काम देने और किसानों की सहायक आय के लिये खादी का अधिक से अधिक चार होना चाहिये। मेरा निवेदन है कि इस देश में लोग केवल भूमि पर ही आधारित नहीं रह सकते। हमारे पास इतनी भूमि नही जो सब के लिये काफी हो। मैं भूमि सुधारों के विरोध में नहीं हूं, परन्तु मेरा ख्याल यह है कि केवल भूमि सुधार करके हम अपनी कठिनाइयों को दूर नहीं कर सकते। हमें इसके लिये अपने घरेलू उद्योगों को विकसित करना होगा। जब एक भूमिहीन व्यक्ति भी अपने जीवन निर्वाह

के लिये उतना ही कमाने लगेगा जितना एक साधारण काश्तकार कमा लेता है तब हम समझेंगे कि हमारी कठिनाई दूर हो रही है। हमारे शहरों में बड़े बड़े उद्योग हैं और गांवों में भी उद्योग हैं जो कि हमारे यहां के लोगों को रोटी कपड़ा और मकान पर्याप्त मात्रा में दे सकते हैं। इन तीनों अनुच्छेदों का आधार भी यही है। परन्तु क्या यह विधेयक इन उपबन्धों के उद्देश्यों को पूरा करता है? हमने बेकारी की समस्या पर पूरा ध्यान नहीं दिया है और न ही उसका हल ढूंढ निकालने के लिये हमने पूरी पूरी बातें समझने का प्रयत्न किया है।

अब दूसरा प्रश्न यह है कि खादी को सस्ते दामों पर किस प्रकार बनाया जाये ताकि इसका प्रयोग अधिक से अधिक लोग करें। हम केवल नारे लगा कर लोगों से खादी अपनाने के लिये नहीं कह सकते; हमें कुछ क्रियात्मक कार्यवाही करनी होगी। सरकार को कोई क्रान्तिकारी क़दम उठाना होगा और लोगों की मनोवृत्ति में काफी परिवर्त्तन लाना होगा। तब ही इस दिशा में सफलता मिल सकेगी।

मेरे मित्र, डा० अग्रवाल ने स्वदेशी आन्दोलन का ज़िक्र किया। मैंने स्वयं ३० या ३५ वर्ष स्वदेशी के लिये ही कार्य किया है जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है मैंने एक भी गांव ऐसा नहीं देखा जहां खादी से काफी व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह करते हों। मेरा निवेदन यह है कि जब तक आप सस्ती खादी न बनायेंगे तब तक उसकी बिक्री नहीं हो सकेगी। मुझे यह देख कर दुख होता है कि हस्तकरघा बुनकरों की आर्थिक दशा ख़राब होती जा रही है; वह अपना पेट भरने में भी असमर्थ हैं जब कि बड़े बड़े उद्योग-पति खूब मुनाफ़ा लूट रहे हैं। मेरा सुझाव यह है कि मिल का कपड़ा सारा बाहर भेजा जाये और देश की ज़रूरतें खादी तथा हस्त करघे के बने कपड़े से पूरी की जायें। यदि हम देश में बेकारी को दूर करना चाहते हैं तो हमें यह क़दम उठाना ही होगा। जब तक हम ऐसा नहीं करते, मैं नहीं समझता कि वर्तमान विधेयक हमारी समस्याओं को कैसे सुलझा सकेगा। हस्तकरघा उद्योग एक मुख्य उद्योग है जिस में हमें अपने यहां के लोगों को लगाना है। मैं इस समस्या को उद्योग में लगे लोगों की वर्तमान संख्या के दृष्टिकोण से नहीं देख रहा वरन् उन करोड़ों लोगों के दृष्टिकोण से देख रहा हूं जो इस समय बेकार हैं या जिन्हें अपनी योग्यतानुसार काम नहीं मिला हुआ है। मैं कठिनाइयों को समझता हूं और मैंने लोगों की मुसीबतें देखी हैं। मैं एक ऐसे ज़िले का रहने वाला हूं जहां हर तीन या चार वर्ष बाद अकाल पड़ता है और बहुत भयंकर अकाल पड़ता है मैंने स्वयं अपनी आंखों से जानवरों को मरते और मनुष्यों को भूख से तड़पते देखा है।

जब सरकार ने हमारी सहायता नहीं की तो हमने अपनी सहायता स्वयं करना आरम्भ कर दिया। हमने अपनी कांग्रेस समिति से इन भूख से पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिये कहा और हमने सहायता कार्य चर्खे से प्रारम्भ किया। हमने कभी कभी उन्हें एक आना ढाई पैसा भी दिया जिससे इन व्यक्तियों को कुछ सहारा मिला। इससे सरकार ने १९३९ में चर्खे द्वारा सहायता देने के कार्य पर दो लाख रुपये व्यय किये। मेरा यह कहना है कि यदि आप इन अकाल वाले स्थानों पर चर्खे से सहायता दे सकते हैं तो यह सबसे अच्छी सहायता है। हम इस कार्य में कैसे आगे बढ़ें? मुझे आशा थी कि इस नीति के अतिरिक्त हमारे सामने कुछ और भी बात रखी जायगी। माननीय मंत्री को उस प्रकार का एक विधेयक प्रस्तुत

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

करना चाहिये था जैसा कि श्री कैलप्पन ने सुझाव दिया। मद्रास विधान सभा में एक संकल्प पारित किया गया और राजाजी यह चाहते थे कि धोतियों तथा साड़ियों के लिये कुछ विशेष प्रकार का कपड़ा जुलाहे ही बनायें। इस से तो खादी की मिल के बने कपड़े से स्पर्धा हो जायगी और फिर यह उसके मुकाबले में टिक नहीं सकता। स्वदेशी आन्दोलन के दिनों में मिल की बनी खादी तथा हाथ की खादी में स्पर्धा थी। अतः जब तक खादी अपने गुण के कारण भारत भर में नहीं बिकेगी इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। हम सब को देश में ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिये कि हम केवल खादी ही पहिनें जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे यह समस्या सुलझेगी नहीं।

माननीय मंत्री ने कहा कि हम में से कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि यह चाहते हैं कि भारत वैसा ही रहे जैसा कि यह कुछ हजार वर्ष पूर्व था। किन्तु मैं समझता हूं कि यहां किसी भी सदस्य ने ऐसी बात नहीं कही आधुनिक भारत में लोगों ने बहुत उन्नति की है। किन्तु यदि आप इस समस्या की बात करें तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे? मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री हमें कुछ ऐसे सुझाव दें जिससे देश में बेरोज़गारी की समस्या हल हो जाय। क्या यह विधेयक उस का हल है? यदि ऐसा है तो मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। मुझे आशा थी कि वह इसका पूर्ण हल उपस्थित करेंगे। योजना आयोग की रिपोर्ट से भी मैं संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि उसने भी इस समस्या का हल प्रस्तुत नहीं किया।

श्री वैलायुधन : तो आप ही इसका हल क्यों नहीं प्रस्तुत करते?

पंडित ठाकर दास भार्गव : इसका हल प्रस्तुत करना तो हमारे नेताओं श्री कृष्णमाचारी तथा योजना आयोग का काम है। मैं तो साधारण आदमी हूं और इनका अनुगामी हूं। आप यह क्यों नहीं कहते कि हम खादी को इतना अधिक प्रोत्साहन देंगे कि यह अपनी अच्छाई के कारण बहुत बिकेगी और मिल के कपड़े की मांग कम हो जायगी।

लोग कहते हैं कि मिलों को बहुत मुनाफ़ा हो रहा है और वित्त मंत्री एक संशोधन रखना चाहते हैं इसलिये वह बड़े असंतुष्ट हैं। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि मैं देश का औद्योगीकरण चाहता हूं किन्तु मुझे खादी के लिये तब तक कोई अच्छा भविष्य नहीं दिखाई देता जब तक कि कपड़ा मिलें अधिक कपड़ा पैदा करती रहेंगी मिल के बने हुए कपड़े के रहते हुए आप कुटीर उद्योगों को सहायता नहीं दे सकते। सब से बड़ा कुटीर उद्योग बुनाई और कताई का उद्योग है। मेरा सुझाव है कि आजकल कताई उद्योग से कातने वाले को कोई लाभ नहीं होता और इस में भी सन्देह है कि इस उद्योग से कभी लाभ भी होगा, अतः हमें अपना ध्यान केवल बुनाई उद्योग पर ही नहीं अपितु कताई उद्योग पर भी देना चाहिये। यदि आप कताई उद्योग को भी अच्छी प्रकार से चला सके तो इसका कुछ हल निकल सकता है अन्यथा इस को दी जाने वाली आर्थिक सहायता से यह उद्योग चल नहीं सकता। अतः मैं चाहता हूं कि कताई करने वालों को अच्छी मज़दूरी मिले। इसके बने कपड़े को ये कपड़े बनाने वाले पहिन नहीं सकते क्योंकि इससे उन की आर्थिक दशा पर प्रभाव पड़ेगा। फिर इसका हल क्या है? खादी को राष्ट्रीय उद्योग बना देना चाहिये और जो इस में काम करें उन्हें अच्छी मज़दूरी मिलनी चाहिये। सरकार को इन लोगों द्वारा तय्यार की गई सब खादी ले लेनी चाहिये और एक ऐसा विधान बनाना चाहिये

कि सभी लोग खादी पहिनें इस प्रकार मिलों के कपड़े का प्रयोग धीरे धीरे समाप्त हो जायगा खाद्य के सम्बन्ध में आजकल क्या हो रहा है ? मद्रासी गेहूं नहीं खाते थे उन्हें आज गेहूं खाना पड़ता है इसी प्रकार उत्तर भारत वाले ज्वार नहीं खाते थे उन्हें भी ज्वार खानी पड़ती है । यदि हम इसका वास्तविक हल चाहते हैं तो हम इसका तर्क संगत परिणाम देखें । हमें सब लोगों के लिये काम का प्रबन्ध करना चाहिये और ऐसा ग्रामीण उद्योगों द्वारा ही हो सकता है । यह सब से महत्वपूर्ण ग्रामीण उद्योग है । यह एक अच्छा विधेयक है और मैं इसका समर्थन करता हूं । किन्तु मैं इस से पूर्णरूप से संतुष्ट नहीं हूं ।

श्री पुन्नूस : इस विधेयक पर बोलते हुए मुझे इस बात का सन्तोष है कि सरकार गम्भीर स्थिति की वास्तविकता को समझती है माननीय मंत्री भी यह समझते हैं कि हथकरघा उद्योग उन से जितनी मांग] करता है उतनी सहायता इस विधेयक से मिल नहीं सकती । मैं नहीं समझता कि मैं इतना योग्य हूं कि मैं अपने समाज का नये आधार पर संगठन कर सकूं । मैं तो विश्व बाजार, बड़े पैमाने पर वस्तु उत्पादन आदि बातों के साथ साथ यह नहीं सोच सकता कि चर्खे और खादी के आधार पर हमारे गांव आत्म निर्भर रह सकते हैं ।

हथकरघा उद्योग के प्रश्न का देश के एक करोड़ व्यक्तियों से सम्बन्ध है हमारा दल इस समस्या में विशेष रुचि रखता है । इस प्रश्न को ले कर जनता में आन्दोलन हुआ है और मैं जानता हूं कि कन्नानोर, चिराकल, नगरकोल और बाला रामपुरम् आदि अन्य कई स्थानों पर लाखों परिवार भुखमरी से पीड़ित हैं जो इस बात की मांग करते हैं कि उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये शीघ्र ही कुछ किया जाना चाहिये ।

हथकरघा उद्योग की समस्या अधूरे कार्य से हल नहीं हो सकती । आप यह नहीं कह सकते कि आप इस उद्योग को आर्थिक सहायता देंगे और इसकी समस्या हल हो जायेगी । मुझे याद है कि कुछ समय पहिले धोतियों और साड़यों के उत्पादन के सम्बन्ध में मिल उद्योग पर ६० प्रतिशत का प्रतिबन्ध लगा दिया गया था । आप समझते हैं कि इससे हथकरघा उद्योग को फायदा हुआ ? बिल्कुल नहीं । अब प्रश्न यह है कि इस विधेयक में जो बातें रखी गई हैं उन से हथकरघा उद्योग को किसी प्रकार की सहायता मिलेगी ? इस का उत्तर तो हथकरघा उद्योग की वास्तविक समस्याओं को देखने से मिलेगा । इस उद्योग की मुख्य समस्या सूत की प्राप्ति है । तथ्य निर्धारक समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है कि इस उद्योग की सफलता के लिये सब से बड़ी बात तो सस्ते तथा अधिक सूत की उपलब्धता है । हथकरघे की बनी हुई चीज़ों के पचास से साठ प्रतिशत दाम सूत के दाम पर निर्भर करते हैं । यदि आप आंकड़े देखें तो आप को पता चलेगा कि १९१० से प्रत्येक वर्ष हथकरघा उद्योग में सूत के खपत की प्रतिशतता घटती गई तथा मिलों में सूत की खपत बढ़ती गई । कई स्थानों पर चोर बाज़ारी में इस के दाम तिगुने और चौगुने हो गये थे । आज उन्हें सूत मिलता है किन्तु उसकी बनी चीज़ों को वे बेच नहीं सकते । यह कठिनाई है । क्या हम जुलाहे को सूत लागत मूल्य पर दे सकते हैं ? यह एक प्रश्न है ।

दूसरा प्रश्न यह है कि हथकरघा उद्योग में ८,००० लाख गज़ कपड़ा प्रति वर्ष तय्यार होता है तो क्या हम इसे बेच सकते हैं ? क्या हथकरघा उद्योग की बनी

[श्री पुन्नूस]

चीज़ें मिल की बनी चीजों से स्पर्धा कर सकती हैं ? इस सम्भावना के विषय में मुझे कोई आशा नहीं है । सरकारी एजेन्सी द्वारा ८,००० लाख गज़ हथकरघे का कपड़ा खरीदने से सरकार को हानि होगी । ज्यादा से ज्यादा यह हानि २० करोड़ रुपये की होगी । इस २० करोड़ रुपये से २ करोड़ व्यक्तियों का जीवन चल सकता है ।

लोगों में एक यह धारणा बनी हुई है कि हथकरघा उद्योग लोगों का मुख्य पेशा नहीं है । यह बात गलत है । यह अनुपूरक रूप में नहीं है । बहुत से लोगों का यह मुख्य पेशा है । तथ्य निर्धारक समिति (१९४२) ने यह लिखा है कि हथकरघा उद्योग को किसानों द्वारा खाली समय में सहायक पेशे के रूप में किया जाने वाला पेशा समझा जाता है । किन्तु आसाम को छोड़ कर भारत के सभी जुलाहों का यह मुख्य पेशा है अतः हमें उन को सहायता देने के लिये उनका सभी तय्यार माल खरीदना चाहिये और उसे बेच कर उस नुकसान को पूरा करना चाहिये । मैं मानता हूं कि इस प्रकार शुल्क द्वारा जिस धन को इकट्ठा करने कर विचार किया जा रहा है वह अपर्याप्त होगा । इस विधेयक तथा इस शुल्क से यह मांग पूरी नहीं होगी । सरकार का कर्तव्य है कि वह इस मांग को पूरा करे । चूंकि हमारी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में इस का महत्वपूर्ण स्थान है अतः यह समस्या महत्वपूर्ण है ।

यह शुल्क सभी प्रकार के मिल के कपड़े पर लगाया जायगा । इस विधेयक के अनुसार यह शुल्क मोटे तथा बीच के कपड़े पर लगाया जायगा । इससे कोई लाभ नहीं होगा । हमारी यह राय है कि मोटे तथा बीच के कपड़े पर यह शुल्क नहीं लगना चाहिये । यह बढ़िया तथा बहुत बढ़िया किस्म के कपड़ों पर लगना चाहिये । बम्बई, मलाबार तथा अन्य स्थानों में हथकरघा उद्योग बड़े उद्योग के रूप में आ रहा है । मुझे बताया गया कि हथकरघा उद्योग का ३० से ४० प्रतिशत माल बीच की तथा बड़ी फैक्टरियों द्वारा तय्यार किया जा रहा है । इस में मज़दूर का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा । फैक्टरियां बन्द हो गई हैं और मज़दूर बहुत दिनों से बेकार हैं । इस धन से सरकार को मज़दूरों को सहायता देनी चाहिये । छोटे छोटे उत्पादकों को भी आर्थिक सहायता देनी पड़ेगी जिस से वे अपना उत्पादन कार्य आरम्भ कर सकें ।

किन्तु जब तक किसी एजेन्सी द्वारा हथकरघे की चीज़ें खरीदी नहीं जा सकती और जब तक वे बेची नहीं जा सकतीं तब तक इन बातों से कोई लाभ नहीं होगा । मैं यह नहीं कहता कि यह समस्या का अन्तिम हल है । मुझे आशा है कि जो कुछ मैंने कहा है उस पर विचार किया जायगा और हथकरघा उद्योग को सहायता देने के लिये शीघ्र ही कार्य किये जायेंगे ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार (तिरुपुर) : हथकरघा उद्योग आज कल बड़े कठिन समय में से गुज़र रहा है । अन्य उद्योगों के समान इस उद्योग की समस्या भी अपने माल को बाजार में बेचने की है । मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार अपनी एक निश्चित नीति बनाये । इसे थोड़ी सी सहायता देने से कोई लाभ नहीं होगा । मैं समझता हूं आर्थिक सहायता देने से तो गुलामी की भावना पैदा होती है । मैं चाहता हूं कि हम इस बात पर विचार करें कि इसे किस प्रकार से सहायता दी जा सकती है । पिछले १५० वर्षों से मिलों ने हथकरघा उद्योग से स्पर्धा की है महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आन्दोलन से ही इसे प्रोत्साहन

मिला । आज यह उद्योग मिल की चीजों से स्पर्धा नहीं कर सकता । हम इसे इसी तरह की सहायता दे कर जीवित रख सकेंगे और इसी प्रकार हम इस उद्योग को स्थायी लाभ पहुंचा सकते हैं । इस उद्योग में लगभग एक करोड़ आदमी लगे हुए हैं । अतः हमें यह सोचना चाहिये कि इतने बड़े उद्योग को हम किस प्रकार स्थायी सहायता दे सकते हैं समय समय पर यह सुझाव दिया गया है कि यह प्रतिबन्ध लगा दिया जाय कि इतना कपड़ा हथकरघा उद्योग ही बना सकता है, इससे लाभ होगा और मैं समझता हूं कि इससे हम इस उद्योग के माल को बाजार में बेचने की स्थायी रूप से व्यवस्था कर सकते हैं । मैं चाहता हूं कि इस विषय में सरकार अपनी नीति स्पष्ट कर दे । मुझे योजना आयोग के एक सदस्य ने बताया कि सरकार कम्पोज़िट मिलों को प्रोत्साहन नहीं देगी । कम्पोजिट मिलों से उनका अभिप्राय उन मिलों से है जिन में कताई और बुनाई होती है । मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले में अपनी नीति स्पष्ट करे कि क्या वह बिजली से चलने वाले करघों को प्रोत्साहन देना चाहती है और क्या इसके साथ इस विधेयक को प्रस्तुत कर के हथकरघा उद्योग को भी प्रोत्साहन देना चाहती है । ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं । मैं समझता हूं कि यह उचित है कि हम यह स्पष्ट करें कि हथकरघे से हमारा क्या अभिप्राय है । मैं आशा करता हूं कि सरकार इसे स्पष्ट करेगी । इससे समस्या काफी हद तक हल हो जायगी और मिलों में काम करने वाले आदमी सरकार की नीति को समझ कर उसके साथ सहयोग कर सकेंगे ।

अपने माल को अच्छी प्रकार से बेचने के सम्बन्ध में जुलाहे सहकारी समितियों से काम ले सकते हैं जब रूई का दाम गिर गया था तब यह समझा गया था कि मिलों की नुकसान होगा और यह प्रस्ताव किया गया था कि सरकार रूई खरीदने के लिये धन लगाये जिस से कि रूई के दाम और न गिर सकें ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं नहीं समझ पाता कि आप कह क्या रहे हैं ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : यदि मेरी बात गलत हो तो उस में सुधार कर दिया जाय । जब बाजार में हथकरघे का करोड़ों रुपये का माल बिना बिके हुए पड़ा हो तो सरकार हथकरघा उद्योग की सहायता इस प्रकार कर सकती है कि वह उस सब को खरीद ले और जब उसकी मांग हो तो उसे बेच दे । आज कल जुलाहे बड़ी मुश्किल से अपनी आजीविका चला रहे हैं । यदि उनका माल कोई विक्रय समिति खरीद कर वक्त पर बेच दिया करे तो इस से जुलाहों को वर्ष भर बड़ी सहायता मिलती रहेगी ।

मैं लम्बे रेशे की रूई (स्टेपलं फाइबर), के बुनने वालों से मिला हूं । उनका कहना है कि दो तीन बार धुलाई होने पर इसका रूप इतना विगड़ जाता है कि उन्हें इसके बेचने में शर्म आती है । खरीददार को उसका मूल्य भी वापस नहीं होता । इससे बुनने वालों की साख जाती रहती है । वे लोग इस के आयात पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के पक्ष में हैं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : लम्बे रेशे की रूई का कारखाना नागपुर में इस समय बन रहा है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या आप मुझे यह आश्वासन दे सकते हैं कि इस का आयात नहीं किया जायेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हो सकता है कि इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का

[श्री टी० टी० कृष्णमाचारी]

अनुभव इतना अच्छा न रहा हो, परन्तु यह इतनी बुरी वस्तु नहीं है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : हमारा उद्देश्य यह होना चाहिये कि उन की प्रत्येक सम्भव तरीके से सहायता करें ताकि वे लोग अपने पांव पर खड़े हो सकें तथा सरकार की ओर ही न ताकते रहें ।

मैं ने खादी बोर्ड, हथकरघा बोर्ड तथा कुटीर उद्योग बोर्ड के सदस्यों के नाम पढ़े हैं । मेरे विचार से कोई सदस्य होते समय यह ध्यान रहना चाहिये कि वह हथकर्घे के उद्योग की उन्नति चाहता हो । कम से कम एक सदस्य ने मुझे बतलाया है कि इस उद्योग के रहने की आवश्यकता नहीं है तथा किसी न किसी दिन यह समाप्त हो कर ही रहेगा । किसी सदस्य के लिये सर्वप्रथम योग्यता यह होनी चाहिये कि उसे सौंपे गए कार्य में उसका विश्वास हो । इन बोर्डों के कुछ सदस्यों के बारे में मेरी जानकारी है कि उन्हें हथकर्घे में विश्वास नहीं है ।

एक और बात मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत एकत्र किए गए उत्पादन उपकर को खादी तथा हथकर्घे पर किस प्रकार से व्यय करने का विचार करती है ? क्या वह बतलाएंगे कि खादी पर कितना भाग व्यय होगा तथा हथकर्घे पर कितना ? जहां आय लगभग ५ करोड़ रु० है, इन दोनों उद्योगों को १, १ करोड़ की ही बांट की गई है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जब तक आय का ठीक ठीक पता न लग सके, हम सांकेतिक बांट ही कर सकते हैं ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मैं यह जानना चाहता हूं कि खादी तथा हथकर्घे में कर से प्राप्त धन की बांट का परस्पर अनुपात क्या होगा ? मुझे और कुछ नहीं कहना है ।

श्री जी० डी० सोमानी (नागौर-पाली) : इतने सदस्यों द्वारा इस विधेयक का समर्थन किए जाने के बाद यदि मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं तो इसका कारण यह नहीं कि मैं हथकर्घे के उद्योग के पुनर्संस्थापन के विरोध में हूं । न ही इस बात पर विवाद है कि राष्ट्रीय सरकार हमारे लाखों करोड़ों व्यक्तियों को सहायता न दे । सवाल यह है कि एक उद्योग को उन्नत करने के लिए आखिर दूसरे उद्योग को क्यों नीचे गिराया जाय ?

प्रत्येक वर्ष आयव्ययक के बनाते समय मंत्री महोदय उस समय की परिस्थिति को देखते हुए कपड़े पर उत्पादन शुल्क निश्चित करते हैं । वह देखते हैं कि इस उद्योग पर अधिकतम कितना कर डाला जा सकता है । परन्तु अब की बार एक नई बात यह की गई है कि बिना इस बात का विचार किए कि क्या भविष्य में भी यह उद्योग कर के इतने भार को सहन कर सकेगा या नहीं, छः करोड़ रुपया का स्थायी भार इस पर डाल दिया गया है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह भार उद्योग पर नहीं पड़ता ।

एक माननीय सदस्य : यह उपभोक्ता पर पड़ता है ।

श्री जी० डी० सोमानी : परन्तु क्या माननीय मंत्री यह बतलाएंगे कि कल को उद्योग द्वारा हानि उठाने की अवस्था में इस से ३ पाई का उपकर वसूल नहीं किया जायगा ? यदि उपभोक्ता उद्योग को वे मूल्य नहीं दे सकेंगे जो उस के लिए लाभदायक हों तो उद्योग की क्या अवस्था होगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि उद्योग के लाभ का ९० प्रति शत भाग मुझे

दे दिया जाय, तो मैं उसकी हानि का दायित्व अपने पर ले लूंगा ।

श्री जी० डी० सोमानी : ब्रिटिश काल में इस शुल्क के विरुद्ध बहुत आन्दोलन चलता रहा है एक बार तो छः मास की हड़ताल तक हो गई थी । आखिर आप हथकर्घे के उद्योग की सहायता के लिये राजस्व से २० करोड़ रु० क्यों नहीं निकालते ? इसके लिए आप सब जनता पर कर लगाइये । इस विधेयक को संविधि पुस्तक पर रख कर आप उद्योग की शोधन समर्थता से विमुख हो रहे हैं। इन करों तथा शुल्कों के सम्बन्ध में हमारा अनुभव बहुत कटु रहा है । हर दिशा में मूल्य कम हो रहे हैं। जनता की क्रय शक्ति बहुत कम है । उद्योग पर अब के ५४ करोड़ रु० अतिरिक्त कर का भार डाला गया है । ये कर एक दूसरे के बाद लगाए गए हैं और वे भी ऐसे समय पर जब उपभोक्ता के विरोध में वृद्धि हो रही है ।

मुझे माननीय मंत्री के भाषण में यह सुन कर बहुत आश्चर्य हुआ क वह उद्योग की शोधन समर्थता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहेंगे तथा न ही उन्होंने इस समर्थता पर समय समय पर विचार करने का कोई आश्वासन दिया है ।

मैं ने पंडित ठाकुर दास भार्गव के इस सुझाव को बड़े ध्यान से सुना है कि वह भारत सरकार द्वारा मिल के कपड़े पर प्रतिबन्ध का लगा दिया जाना अधिक पसन्द करेंगे । मैं इतने विख्यात व्यक्ति से उलझना नहीं चाहता । यह फैसला करना सरकार का काम है कि वर्तमान अर्थ-व्यवस्था में इस सुझाव को कहां तक अमल में लाया जा सकता है । ऐसी अवस्था में जब हम अपने जनता के लिये अधिक कपड़े की व्यवस्था करना चाहते हों तो यह कहना कि हथकर्घे के उद्योग से भारत की सारी जनता को कपड़ा मिल सकेगा, मुझे एक ऐसा सुझाव मालूम होता है जो संसार की वर्तमान परिस्थिति से बिल्कुल असंगत है।

एक माननीय मित्र ने कुछ ही देर पहले कहा कि हथकर्घे के उद्योग को संरक्षण से कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। संरक्षण के लागू करने से इस प्रश्न पर अच्छी प्रकार से विचार होना चाहिये था कि क्या इस उद्योग पर केवल कुछ ही किस्मों पर रोक लगाने से हथकघ के उद्योग को कोई लाभ पहुंच सकेगा । पिछले आयव्ययक के अवसर पर दिए गए भाषण में माननीय मंत्री ने स्वयं यही आशंका प्रकट की थी । मेरा विचार है कि यह जो विचार किया जाता है कि धोतियों के उत्पादन से कपड़ा उद्योग को लाभ पहुंचा है, किसी भ्रम का परिणाम है । मिलों को उन की एक आये दिन की वस्तु के उत्पादन से रोकना उन के लिए हानि का कारण हो रहा है । जो मिलें केवल धोतियों का ही उत्पादन करती थीं, उन्हें तो बहुत ही हानि पहुंच रही है । अतएव संरक्षण अथवा उद्योग पर कर लगाने की बात पर ठीक ठीक विचार होना चाहिये । हमें यह अच्छी प्रकार से सोचना होगा कि क्या कपड़ा उद्योग को बिना रोक टोक के चलने देना है अथवा क्या इसे हमारे स्थान की अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है या नहीं। मेरा निवेदन है कि इस बारे में हम भावना से काम ले रहे हैं ।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि पिछले चार पांच वर्षों में उन के विभाग ने हथकर्घे उद्योग की सहायता के क्या क्रियात्मक उपाय किए हैं। इस बारे में ऐसे कई उपाय हो सकते हैं। अधिक टेक्नीकल सहायता, सहकारी आधार पर विक्रय विशेष प्रकार के कपड़े का उत्पादन, निर्यात बढ़ाने के लिए मंडियों का बढ़ाना ऐसे कुछ उपाय ह । मैं निशंक हो कर कह सकता हूं कि सरकारी

[श्री जी० डी० सोमानी]

विभाग इन के करने में सर्वथा असफल रहा है । तथ्य तो यह है कि इन क्रियात्मक बातों के करने के स्थान पर वे इस विधेयक को आसानी से पुरःस्थापित कर सकते थे जिस से एक क़लम के चलाने से वे छः करोड़ रु० को एकत्र कर लेंगे, परन्तु आशंका बनी रहती है कि क्या इस से हथकर्घे के उद्योग को भी कोई लाभ पहुंचेगा ।

श्रीमान्, इस बारे में व्यापारिक तथा औद्योगिक संस्थाओं के दृष्टिकोण को ग़लत न समझा जाय । हम जानते हैं कि लाखों करोड़ों व्यक्ति इस व्यापार में लगे हैं तथा कि उन्हें यथासम्भव सहायता दी जानी चाहिये । परन्तु माननीय मंत्री ने सभी जनता पर कर लगाने तथा इस उद्योग की सामान्य राजस्व से सहायता करने के स्थान पर इस प्रकार का विधेयक पुरःस्थापित कर दिया है । मेरा निवेदन है कि सरकार हथकर्घे के उद्योग की सामान्य राजस्व से सहायता करे ।

मैं जानता हूं कि कपास, पटसन, काफ़ी तथा गन्ने पर कुछ अधिभार लगाया गया है, परन्तु इस से प्राप्त आय का व्यय भी उन्हीं उद्योगों पर किया जाता है । यदि कपड़ा उद्योग पर इस में सुधार करने या अनुसन्धान के अभिप्राय से कर लगाया जाता है तो बात समझ में आ सकती है, परन्तु एक उद्योग में सुधार करने के लिए दूसरे उद्योग को दण्ड देना सचमुच प्रतियोगीय कार्यवाही है । हम हथकर्घे को किसी भी सहायता के दिए जाने का तनिक विरोध नहीं करते । ये दोनों उद्योग चिर काल से साथ साथ चले आ रहे हैं । राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में कपड़ा उद्योग का विशेष महत्व रहा है तथा कपड़ा उद्योग सरकार को इस बारे में सहयोग देने के लिए सदा तैयार है ।

माननीय सदस्यों को विदित है कि कपड़ा उद्योग हथकर्घा उद्योग को चिरकाल से सस्ते दामों पर धागा दे रहा है । सरकार ने मूल्यों पर नियंत्रण लगा रखा है तथा उन्हें हथकर्घे के उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है । मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी अवस्था में जबकि मूल्य गिरते जा रहे हैं तथा उपभोक्ता की क्रय शक्ति कम हो रही है, इस प्रकार के विधेयक को क्यों पुरःस्थापित किया जा रहा है । मैं माननीय मंत्री से यह आश्वासन चाहता हूं कि कर के लगाते समय उद्योग की शोधन समर्थता को सदैव सामने रखा जायगा तथा जब कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो कि उपभोक्ता इन करों का भार सहन न कर सके तो उद्योग पर अनुचित दण्ड न लगाया जाय तथा सरकार और माननीय सदस्य उद्योग के दृष्टिकोण को ग़लत न समझें ।

सभापति महोदय : दिनांक ७ के बाद दोपहर अनुदानों की मांगों पर चर्चा के समाप्त होने पर विनियोग विधेयक पुरःस्थापित किया जायगा तथा दिनांक ८ को विनियोग विधेयक पर विचार समाप्त होने के बाद इस विधेयक को लिया जायगा और शेष के सदस्यों को इस पर बोलने का अवसर दिया जायगा ।

इस के पश्चात सदन की बैठक सोमवार ६ अप्रैल, १९५३ को दिन के दो बजे तक के लिए स्थागित हो गई ।